तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २७

बुधवार, १८ सितम्बर, १९६३
२७ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २१ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २१ से ३०—१० से २१ सितम्बर, १९६३/१९ से ३० भाद्र, १८८५ (शक)]

अंक २१—मंगलवार, १० सितम्बर, १९६३/१९ भाद्र. १८८५ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८० से ५८३, ५८६ से ५८९, ५९७, ५९१ और ५९२ . . . . . २५७५–२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४, ५८५, ५९०, ५९३ से ५९६ और ५९८ से ६०४ . . . . २६००–०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६४ से १७४७ . . . २६०६–४२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची स्थित भारतीय उच्च आयोग के कुछ अधिकारियों को वापिस बुलाने की पाकिस्तान की कथित प्रार्थना . . २६४२–४४

वक्तव्य में कथित अशुद्धि के बारे में– . . २६४४–४५

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में .. २६४५—४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४७

राज्य सभा से सन्देश २६४७

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य-नीति के बारे में प्रस्ताव २६४८—५५

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में चर्चा . . . . २६५५—८१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २६८१—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६९२—९७

अंक २२—बुधवार, ११ सितम्बर, १९६३/२० भाद्र, १८८५(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१६ . . . . २६९९–२७२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . २७२६–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ से ६२८ . . . . २७३३—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ से १८१७ . . . २७३८—७१

विषय	पृष्ठ
सभा के कार्य के बारे में	२७७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७१
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२७७२—८६
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२७८६—८८
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२७८८—२८१६
दैनिक संक्षेपिका	२८१७—२१
अंक २३—गुरुवार, १२ सितम्बर, १९६३/२१ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३५, ६३० से ६३४ और ६३६ से ६४०	२८२३—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ से ६५१	२८४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या १८१८ से १८२३ और १८२५ से १८६३	२८५४—७१
अनिवार्य जमा योजना के बारे में	२८७१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
स्वर्ण नियंत्रण आदेश	२८७२—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७७—७८
राज्य सभा से सन्देश	२८७८—७९
भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक—	२८७९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	२८७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	२८७९
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२८७९—८८
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२८८८—२९०७
भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक	२९०७—१४
संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफ़ारिश से सहमति देने का प्रस्ताव	२९०७—१४
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२९१४—१६
संनिक संक्षेपिका	२९१७—२२

†किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

विषय पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३/२२ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५५, ६५७ से ६६६, ६६८ से ६७३ और ६७५ . . . . . २९२३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६, ६६७ और ६७४ . . . २९५५–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६४ से १८९६ और १८९८ से १९०० .. . . . . २९५६—७३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— २९७३—८०

(१) एक मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी के एक मुकदमे के स्थानान्तरण के बारे में एक शपथ पत्र दायर किये जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई न्याय संबंधी बातें

(२) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

राज्य सभा से सन्देश २९८१

लोक लेखा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन २९८१

याचिका का उपस्थापन . २९८१

सभा का कार्य . . . २९८१—८६

भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक— २९८६—३००१

राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छेद १७१ का संशोधन)—(श्री सेझियान का)—पुरःस्थापित . . ३००१–०२

समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा १५, ३० आदि का संशोधन)—(श्री प० ला० बारूपाल का)—वापिस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३००२—११

विषय	पृष्ठ
दंड विधि (संशोधन) विधेयक--(श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा का)--परिचालित-	
विचार करने का प्रस्ताव	३०११—२४
परिचालन के लिए संशोधन--स्वीकृत .	३०२२—२४
संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (अनुच्छेद १३६, २२६ आदि का संशोधन)--(श्री श्रीनारायण दास का)--विचाराधीन--	
विचार करने का प्रस्ताव	३०२५
विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३०२५—२७
दैनिक संक्षेपिका . .	३०२८—३२
अंक २५—सोमवार, १६ सितम्बर, १९६३/२५ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ से ६८४ और ६८६ . . .	३०३३—५६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . .	३०५६—५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८५, ६८७ से ६९०-क और ६९१ से ६९९ .	३०५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९०१ से १९७४ . .	३०६६—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना--	३०९६—३१०२
(१) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना	
(२) अनिवार्य जमा योजना पर कथित पुनर्विचार	
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३१०२—०३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	३१०३
समिति के लिये निर्वाचन--	
भारतीय केन्द्रीय जूट समिति .	३१०३—०४
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	३१०४—३०
दैनिक संक्षेपिका	३१३१—३५
अंक २६—मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३/२६ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०० से ७०२, ७०४ से ७१० और ७१३ .	३१३७—६०

विषय	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७ . . .	३१६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७११, ७१२, ७१४ से ७१६, ७१६-क, और ७२० से ७२७	३१६४—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १६७५ से २००६, २००८ से २०७३, २०७३-क और २०७३-ख	३१७२—३२१७
दिनांक १६ अप्रैल, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर में शुद्धि . . .	३२१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	३२१८–१६
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में . .	३२१६–२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२२०–२१
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	३२२१
आक्कलन समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन . .	३२२१
अनुपस्थिति की अनुमति	३२२१—२३
गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	३२२३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	३२२३—५७
दैनिक संक्षेपिका . . .	३२५८—६४
अंक २७—बुधवार, १८ सितम्बर, १६६३/२७ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३०, ७३१, ७३३, ७३५, ७३७ से ७४०, ७४२ और ७४३ . .	३२६५—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ और ६	३२६०—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७३२, ७३४, ७३६, ७४१, ७४४ से ७५३, ७५३-क और ७५५	३२६६—३३०३
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७४ से २१४० और २१४२ से २१६१	३३०४—३६

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	३३४०–४५
(१) नागा विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सेना के छै व्यक्तियों के मारे जाने की कथित घटना	
(२) लाटीटीला में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने की कथित घटना	
एक समाचार पत्र द्वारा सभा की कार्यवाहियों का अशुद्ध प्रकाशन किये जाने के बारे में . .	३३४५–४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३४६–४७
राज्य सभा से सन्देश	३३४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति-- छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	३३४७
भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक—	३३४७–६१
राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव .	३३४७
समय नियत करने के बारे में प्रस्ताव	३३६०—६१
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३३६१–७९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . .	३३६१
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	३३७९—८३
दैनिक संक्षेपिका	३३८४–९०
अंक २८—गुरुवार, १९ सितम्बर, १९६३/२८ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ से ७६६ . .	३३९१–३४१४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११	३४१४–१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ७८१ . . .	३४१८–२४
अतारांकित प्रश्न संख्या २१६२ से २२१७ और २२१७-क .	३४२४–४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	३४५०–५१
चीन में रहने वाले भारतीयों के साथ किया गया कथित अमानवीय व्यवहार	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३४५२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४५२–५३
संसदीय समिति के कार्यवाही सारांश . . .	३४५३–५४
लोक लेखा समिति—	
पद्रहवां प्रतिवेदन . . .	३४५४
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३४५४—८६
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	३४५४
तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के बारे में वक्तव्य—	
विदेशी बैंकों में मंत्रियों के खाते	३४५८–५९
नेफा जांच के बारे में चर्चा . .	३४८६—९२
आकाशवाणी से प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३४९२—३५००
दैनिक संक्षेपिका .	३५०१–०६

अंक २९—शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३/२९ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ८५, ७८७, ७८९, ७९० तथा ७९२ से ७९८	३५०७—३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ तथा १३ .	३५३२—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८६, ७८८, ७९१, ७९९ तथा ८०० से ८०४ .	३५३६—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ से २२७३ .	३५४०—६३
स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की सूचना के बारे में	३५६३–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३५६४—६६, ३६०९—१२
(१) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चांगसानी स्टेशन के यार्ड में एक माल डिब्बे में से गेलेटाइन बक्सों की चोरी	
(२) पश्चिम बंगाल में खाद्य तथा चीनी की स्थिति	
(३) कलकत्ता में कपड़े की कीमतों में वृद्धि .	
सभा पटल पर रख गये पत्र .	३५६७—६९
प्राक्कलन समिति	
सिफारिशों के उत्तर	३५६९

विषय	पृष्ठ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	३५६९
कार्यवाही सारांश . .	३५६९
सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रबन्ध के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा गया . .	३५६९
गौहाटी तेल शोधक कारखाने के बारे म वक्तव्य . . .	३५६९–७०
सरकारी आश्वासनों के बारे में	३५७१
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३५७१—९१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . . .	३५९२
भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . .	३५९२—३६००
सशस्त्र सेनाओं के लिये निवृत्ति-वेतन के बारे में संकल्प . .	३६००—१२
मौरिस कारों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३६१२—१७
दैनिक संक्षेपिका	३६१८—२४

अंक ३०—शनिवार, २१ सितम्बर, १९६३/३० भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १८ . . .	३६२५—३२
आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाना बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य	३६३२—३६
स्वर्ण-नियंत्रण तथा अनिवार्य जमा योजनाओं के बारे में वक्तव्य . .	३६३६—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६४१
याचिका समिति	
कार्यवाही-सारांश .	३६४ १
राज्य सभा से सन्देश	३६४१
मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में	६६४२
नेफा जांच संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . .	३६४२
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३६४३—८३

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव . .	३६८३—८५
तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर में शुद्धि	३६८५
दैनिक संक्षेपिका	३६८६–८७
पांचवे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३६८८—९०, १–९

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III 1305 (Ai) LSD—28-10-63—160.

लोक-सभा

बुधवार, १८ सितम्बर, १९६३

२७ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

छिद्रण कार्य

+

†*७२८. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह:
श्री बूटा सिंह:
श्री य० ना० सिंह:
श्री श्यामलाल सर्राफ:
श्री वलजीत सिंह :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में इस समय हो रहे छिद्रण कार्यों में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या वहां तेल के मिलने की कोई संभावना है ?

†खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७५५/६३]

†मूल अंग्रेजी में

†श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कार्यों को कब तक करने का विचार है ?

†श्री तिम्मय्या : छिद्रण कार्य तब तक होता रहेगा जबतक कि कोई ठोस परिणाम प्राप्त न हों ।

†श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किन्हीं नये स्थानों पर भी छिद्रण कार्य किया जायेगा ?

†श्री तिम्मय्या : जिन स्थानों का विवरण में उल्लेख किया गया है वहां खोज हो रही है तथा छिद्रण कार्य भी चल रहा है ।

†श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ज्वालामुखी में तेल निकालने के प्रयास को अब बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है और यदि हां तो वहां सफलता मिलने की क्या संभावना है ।

†श्री तिम्मय्या : ज्वालामुखी तथा जनौरी क्षेत्रों में हमने अब तक २ नहरें कुएं तथा ५ संरचनात्मक कुयें खोदे हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में एक कुएं का परीक्षण किया गया था और उसमें कुछ गैस मिली है बाकी के कुयें शुष्क हैं। आगे की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक गहरा कुआं खोदने का प्रस्ताव है ।

†डा० रानेन सेन : पीछे यह समाचार था कि पश्चिम बंगाल में छिद्रण कार्य किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में किये जाने वाले छिद्रण कार्य के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन): जिन विभिन्न क्षेत्रों में छिद्रण कार्य हो रहा है वे प्रश्न के उत्तर में बता दिये गये हैं । पश्चिम मंगाल में इस समय कोई छिद्रद्रण कार्य नहीं हो रहा है। मेरा विचार है कि कुछ समय पहले ऐसा प्रस्ताव था परन्तु उसे छोड़ दिया गया था ।

†श्री मानसिंह पु० पटेल: क्या मैं जान सकता हूं कि गुजरात की प्रस्तावित राजधानी गांधीनगर क्षेत्र में कुआं संख्या २ तथा ३ में छिद्रण कार्य के कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

†श्री अलगेशन : मेरा विचार है कि गांधीनगर क्षेत्र में दो कुएं खोदे जा चुके हैं । वे अब तीसरा खोद रहे हैं । प्रश्न इसलिये पैदा होता है क्योंकि राजधानी के निर्माण के लिये जो भूमि रक्षित की गई है वह मुक्त की जानी है । दो कुंओं के छिद्रण कार्य से भी बहुत सा इलाका मुक्त किया गया है। केवल साबरमती नदी के पास की कुछ भूमि रक्षित की गई है ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में छिद्रण कार्य के क्या परिणाम हैं ?

†श्री तिम्मय्या: जम्मू क्षेत्र में कोई छिद्रण कार्य नहीं हुआ है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केवल एक भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था परन्तु अभी तक कोई सारवान परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बूटा सिंह:** मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब राज्य में किन किन स्थानों पर ये छिद्रण कार्य पहले ही चल रहे हैं अथवा भविष्य में किये जाने का विचार है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**श्री तिम्मय्या:** छिद्रण कार्य ज्वालामुखी क्षेत्र में किया जा रहा है । जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, बाद में किसी समय जनौरी क्षेत्र में भी छिद्रण कार्य होगा ।

†**श्री बूटा सिंह:** तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** वह जानना चाहते हैं कि पंजाब के लिये कितनी अलग रकम मंजूर की गई है ?

†**श्री तिम्मय्या :** तराई वाले इलाके में तथा होशियारपुर और आदमपुर के मैदानों में भी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पंजाब के लिये कोई अलग मंजूर रकम ?

†**श्री अलगेशन :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले छिद्रण कार्यों से अभी तेल के होने का कोई संकेत नहीं मिला है । परन्तु छिद्रण कार्य वहां बराबर हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि वहां काम क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है और इस पर कितना रुपया खर्च किया गया है ।

†**श्री तिम्मय्या :** उज्जैन के पास तीन संरचनात्मक कुएं तथा एक गहरा कुआं खोदे गये थे ।

†**एक माननीय सदस्य :** उज्जैन उत्तर प्रदेश में नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य जानना क्या चाहते हैं ? वे उस काम को बन्द कर दें या .....

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस से कोई नतीजा निकलने की संभावना है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** संभावना के बारे में कैसे बताया जा सकता है, यह तो केवल खोज का काम है; हो सकता है कि कोई अप्रत्याशित चीज मिल जाये । उनके प्रश्न का उद्देश्य क्या है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में तेल मिलने का भविष्य अब भी उज्जवल है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या तेल मिलने का भविष्य अब भी उज्जवल है जिसके कारण आगे प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री अलगेशन:** माननीय सदस्य ऐसा शायद इसलिये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं । इसलिये वहां और आगे छिद्रण तथा खोज करने का कोई लाभ नहीं है । परन्तु अभी हम ऐसी अवस्था में नहीं आये हैं जहां कि हम अन्तिम रूप से कह सकें कि इस काम से कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये हम छिद्रण कार्य करते जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रक्तचाप के लिये औषधि

+

†*७३०. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीव-रसायन तथा परीक्षात्मक औषध संस्था, कलकत्ता में, रक्तचाप की किसी नई औषधि की खोज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे बेचे जाने के लिये बाजार में लाया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायुन कबिर):** (क) जी हां।

(ख) तब तक नहीं जब तक कि औषधि की चिकित्सीय महत्व के निर्धारण की जांच पड़ताल पूरी न कर ली जाये।

†**श्री भागवत झा आजाद:** क्या हम जान सकते हैं कि इस बारे में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा कि इस औषधि को साधारण इस्तेमाल के लिये बाजार में लाना ठीक होगा या नहीं ?

†**श्री हुमायून कबिर :** समय के बारे में कोई वचन देना कठिन है क्योंकि जब मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाली औषधियों की बात आती है तो हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ता है।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस औषधि की विशेषता क्या है ?

†**श्री हुमायून कबिर:** इस औषधि की एक विशेषता तो यह लगती है कि जब किसी सामान्य प्रयोगार्थ पशु को कम मात्रा में इसका टीका लगाया जाता है तो रक्तचाप बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर यह रक्तचाप को कम कर देती है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** इस बात को देखते हुए कि पत्रकारों, शिक्षकों तथा संसद्-विज्ञों जैसे जनता के विशेष वर्गों के ही अधिकतर लोग रक्तचाप का शिकार होते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में अग्रेतर अनुसन्धान करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह संगत नहीं है। मुख्य प्रश्न औषधि के बारे में है न कि सामान्य रक्तचाप के बारे में।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रश्न पूछने से पहले माननीय सदस्य ने रक्तचाप से पीड़ित संसद् विज्ञों की संख्या का पता लगाने का प्रयत्न किया था ? यह संसद्-सदस्यों पर आक्षेप है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें उन के बारे में चिन्ता है जिन्हें अभी यह बीमारी नहीं लगी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय: मैं जानना चाहता हूं कि यह दवा सब से पहले कहां निकली और किस ने इस को निकाला ?

श्री हुमायून कबिर: इस को अभी तक तो दवा कहना मुश्किल है । लेकिन इस पर एक्सपैरीमेंट चल रहा है । जैसा कि बताया गया इस पर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बायाकैमिस्ट्री और एक्सपैरीमेंटल मैडीसिन में एक्सपैरीमेंट चल रहा है । यह एक छोटा सा पेड़ है जो कि इस की बुनियाद है, जिसका हिन्दी में नाम अखोला है और साइंटिफिक नाम है एलैंग्युम लेमरकी[1]

अध्यक्ष महोदय : वह आदमी कौन है जिसं ने इस को निकाला है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** यह एक संस्था का काम है । मैं विशेष सम्बन्धित वैज्ञानिक का नाम नहीं जानता ।

श्री शिवनारायण : मैं जानना चाहता हूं कि इस एक्सपैरीमेंटल पर अब तक गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** यह काम के कार्यक्रम का एक भाग है । यह कहना कठिन है कि इस विशेष प्रयोग पर कितना खर्च किया गया है । परन्तु मैं सदन को बता दूं कि बाहर इस प्रयोग की बड़ी प्रशंसा की गई है । और अमरीकी जन स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य विभाग ने अग्रेतर प्रयोगों के लिये लगभग २ लाख रुपये का प्रस्ताव किया है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इस औषधि के महत्व को देखते हुए क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार भारत की किसी अन्य प्रयोगशाला में साथ-साथ अनुसन्धान करवाने की बात सोच रही है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** जब किसी विशेष चीज का अनुसन्धान एक प्रयोगशाला द्वारा आरम्भ किया गया है तो स्पष्ट है कि उसे ही यह काम पूरा करना चाहिये । परन्तु रक्तचाप के बारे में ऐसा ही काम लखनऊ स्थित प्रयोगशाला में किया जा रहा है ।

†**श्री बूटा सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात आई है कि अनिवार्य जमा योजना, स्वर्ण नियंत्रण तथा संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक के बारे में कहा जाता है कि रक्तचाप होने में ये सहायक हैं और यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे अपनी नीति बाद में बतायेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** हम में रक्तचाप पैदा करने का एक कारण अध्यक्ष महोदय भी हैं । माननीय सदस्य इसे भी अपने प्रश्न में शामिल कर सकते थे ।

†**एक माननीय सदस्य :** यह बात कह कर माननीय सदस्य अध्यक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक अध्यक्षपीठ पर मैं बैठा हूं मैं अपना बचाव नहीं कर सकता । इसलिये मेरा बचाव सदस्यों ने करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Alangium Lamarckii.

मितव्ययिता समिति

*७३१. श्री भक्त दर्शन:
श्री हरिश्चन्द्र माथुर:
श्री सरजू पाण्डेय:
श्री ज० ब० सिंह:
श्री बारियर:
श्री रामेश्वर टांटिया:
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास:
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री दे० जी० नायक :
श्री राम हरख यादव:

क्या गृह-कार्य मंत्री १ मई, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने के बारे मितव्ययिता समिति ने अपने काम में इस बीच क्या प्रगति की है ;

(ख) किन किन मंत्रालयों में कितने कितने कर्मचारियों को फालतू बताया गया है; और

(ग) किन मंत्रालयों अथवा विभागों में इन फालतू कर्मचारियों को खपाया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख). १९ मंत्रालयों के सम्बन्ध में मितव्ययिता समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है, तथा उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इन मंत्रालयों/विभागों में इस समिति द्वारा निर्धारित फालतू टाफ का एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल० टी०/१७५६/६३] मितव्ययिता समिति में पांच मंत्रालयों/विभागों की और जांच की है, तथा इन के सम्बन्ध में उस की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस फालतू स्टाफ को उन्हीं तथा अन्य मंत्रालयों / कार्यालयों के संशोधित स्वीकृत पदों पर तथा अन्य नये कार्य आदि के लिये बनाये गये पदों पर लगाना है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि अभी कुछ मंत्रालयों के बारे में विचार किया जा रहा है मैं जानना चाहता हूं कि अंतिम रूप से इस के बारे में कब तक निर्णय हो जायगा और देर से देर उस निर्णय पर कब तक अमल हो जायेगा ?

श्री हजरनवीस: यह समय बतलाना तो बहुत मुश्किल है वसे काम तेजी से चल रहा है और वह चलता ही रहेगा। किसी मंत्रालय में लोग ज्यादा हैं तो किसी मंत्रालय में कम हैं तो जहां ज्यादा हैं वहां से कर्मचारियों को हटा कर कमी वाले मंत्रालय में भेजना है और इसलिए मैं ने कहा कि यह काम तो एक तरीके से चलता ही रहेगा।

श्री भक्त दर्शन: मेरे पहले प्रश्न के उतने अंश का उत्तर नहीं दिया गया है कि जो एकोनौमी कमेटी ने सिफ़ारिशें की हैं उन को अमल में लाने में कितना समय लगेगा, एक वर्ष लगेगा या दो वर्ष लगेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): इस का आधार तो इस बात पर है कि जैसे जैसे और जहां जहां वकेंसीज़ होंगी वैसे वैसे उन को दाख़िल कर दिया जायेगा । किसी को कोई नौकरी से निकालने की बात तो इस में है नहीं । इसके अलावा और अमल तो हो नहीं सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब प्राय: प्रत्येक मंत्रालय में अफ़सरों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ी हुई पाई गई है तो क्या इस बीच नई भरती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और क्या इस आशंका में कुछ तथ्य है कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भरती पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन ऊंचे दरजे के कर्मचारियों की भरती पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ?

श्री नन्दा: यह ऊंचे, नीचे सब पर है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** इस बात को देखते हुए कि इस समिति का कार्यक्षेत्र सीमित था और उसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित नहीं हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग बनाने का विचार है ? यदि हां, तो उस आयोग का स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र क्या होगा ?

†**श्री नन्दा:** यह एक सुझाव है जिस पर हम विचार करेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं । मैं तो यह कह रहा हूं कि इस समिति का कार्यक्षेत्र बड़ा सीमित था और उस में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नहीं आते । मैं ने पूछा है कि इसे देखते हुए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ।

†**श्री नन्दा:** अभी तक इस पर सोचा नहीं गया है । परन्तु यह बात इस प्रश्न में नहीं आती क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ और तरह से बर्ताव किया जाता है न कि यहां पर पूर्वकल्पित निकाय के द्वारा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** मैं औचित्य प्रश्न तो नहीं उठाता परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि नये माननीय मंत्री अपने पूर्वाधिकारी द्वारा सलाहकार समिति को दिये गये वचन से परिचित नहीं हैं कि वह एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करना चाहते हैं । मैं जो कह रहा हूं वह कोई सुझाव नहीं है । उस वचन का पालन करना अब इनका काम है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले तो यह सुझाव ही था । अब जानकारी दी जा रही है । वह पता करेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह जानकारी का प्रश्न नहीं है । उन्हें कहना पड़ेगा कि क्या वह उस वचन का पालन नहीं कर रहे । यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय:** वह पता करेंगे ।

†**श्री नन्दा :** मैं किसी बात से फिरता नहीं हूं । मैं अवश्य पता करूंगा कि क्या वचन दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सरजू पाण्डेय: कई बार इस सदन में और इस सदन के बाहर भी यह कहा गया कि तनख्वाहों का अनुपात १ और १० से ज्यादा का नहीं होना चाहिये तो क्या इस सिलसिले में भी इस कमेटी ने कुछ विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय: इस सवाल में वह चीज़ नहीं आती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति विशेष के सदस्य कौन थे और क्या श्री कामराज नाडार भी इस समिति के सदस्य थे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । ज्यादा जिम्मेदारी बरती जानी चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** उस आधार पर मंत्रि-पदों की संख्या में कमी हुई है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय:** इसे हम इस तरह हल्के-फुल्के ढंग से नहीं ले सकते । यहां हमें ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए । श्री कामराज का इस के साथ क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** सरकार के छः सदस्य चले गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दिया जाये ।

†**श्री शिव नारायण :** एक औचित्य प्रश्न पर ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । उनका औचित्य प्रश्न क्या ह?

श्री शिव नारायण : मेरा प्वायंट औफ आर्डर यह है कि श्री कामराज नाडार इस हाउस के मेम्बर नहीं हैं और उन पर इस तरह से छींटाकशी की जा यह बहुत ही अनुचित होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस में छींटाकशी क्या हुए ? नाम लेना कोई छींटाकशी नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जानबूझ कर उन का नाम लेना यह तो मज़ाक करना है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जो आपत्ति उठाई गई है उस में काफी सार है क्योंकि इस सदन में बताया गया था कि यह समिति तीन उच्च शक्ति प्राप्त सचिवों की समिति है और सचिवों के नाम भी बताये गये थे । यदि सदन को वह जानकारी होने पर माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो इस में आक्षेप वाली कोई बात नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर मेरी प्रतिक्रिया क्या है और उसे माननीय सदस्य अब तक जान गये होंगे । सदन ने देखा है कि मैं ने इस पर आपत्ति की है । मेरे विचार में आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है ।

कमेटी के मेम्बरों के नाम माननीय सदस्य जानना चाहते थे ।

†**श्री नन्दा :** इस समिति में कुछ सचिव थे—गृह-कार्य सचिव, वित्त सचिव, योजना आयोग के अतिरिक्त सचिव ।

†**श्री त्यागी :** यदि इन सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या उन की क्रियान्विति से होने वाली मितव्ययिता का कोई अनुमान लगाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस** : आशा है कि मितव्ययिता समिति की जो सिफारिशें पहले ही स्वीकार हो गई हैं उन से कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के सम्बन्ध में अन्ततः ८२,७१,९२७ रुपये की बचत होगी तथा कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में ४४,३८,२६२ रुपये की । हो सकता है कि तत्काल ही कोई बड़ी बचत न हो क्योंकि जब तक अतिरिक्त कर्मचारियों को काम की नई मदों में कहीं और नहीं खपाया जाता या वर्तमान कर्मचारीवृन्द में रिक्त स्थानों को नहीं भरा जाता उन्हें सम्बन्धित मंत्रालय की कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के साथ अधिसंख्या समझा जायेगा ।

†**श्री त्यागी** : यह निरर्थक है । यह कोई बचत नहीं है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : जिन मंत्रालयों में कर्मचारी कम किये हैं और वह दूसरी जगहों पर लगाये जा रहे हैं तो क्या वे उसी ग्रेड में लगाये जा रहे हैं या उन के ग्रेड में कटौती करके उन को दूसरी जगहों पर लगाया जा रहा है ?

श्री हजरनवीस : ग्रेड में कटौती नहीं की गई है । उसी ग्रेड पर लिये जायेंगे । उन को कोई नुक़सान नहीं होगा ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में कोई निर्णय करने से पहले इस समिति ने घटनास्थल पर विभागीय जांच की थी ?

†**श्री हजरनवीस**: उन्होंने यथासंभव विस्तृत जांच की थी ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या मौके पर जांच की गई थी ?

†**श्री हजरनवीस** : मैं नहीं जानता था कि ठीक ठीक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था परन्तु मंत्रालय की जांच करने वाले अधिकारियों ने सुनिश्चित किया था कि क्या काम हो रहा था, क्या कर्मचारियों के लिये काफ़ी काम था, आदि आदि ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बाकी पांच मंत्रालयों में रेलवे मंत्रालय भी है क्योंकि इस बारे में मुझे विवरण में कोई उल्लेख नहीं मिला है ।

†**श्री हजरनवीस**: रेलवे मंत्रालय सम्मिलित नहीं है । उन्हें कहा गया है कि व स्वयं प्रश्न पर विचार करें तथा आवश्यक कदम उठायें ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

†*७३३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय शिक्षा सेवा स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी कोई योजना बनायी गयी है जिसके अधीन शिक्षा निदेशक, सार्वजनिक शिक्षणनिदेशक और कालेजों के प्रधानाध्यापक जैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों के पदों पर केन्द्रीय पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपना पहले वाला रुख़ बदल दिया है जो अधिकांशतः शिक्षा सेवा की कल्पना के विरुद्ध था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ग). जो राज्य सरकारें सेवा की स्थापना से सहमत नहीं हुई हैं उन से बातचीत हो रही है।

(ख) ऐसी योजना विचाराधीन थी परन्तु भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के लिये अब चल रही बातचीत को देखते हुए उसे रोक दिया गया है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस बारे में राज्यों की आपत्ति के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर**: अभी तक तीन राज्य सहमत नहीं हुए हैं—मद्रास, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, कोई कह सकता है कि तीन 'म'–परन्तु आपत्ति के कारण अलग अलग हैं। महाराष्ट्र सरकार का विचार है कि इस सेवा में एक स्पष्ट नुकसान कुछ ऐसे शिक्षा अधिकारी रखना होगा जो अखिल भारतीय अधिकारी होंगे। मध्य प्रदेश सरकार समझती है कि यह आवश्यक नहीं है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**: जिन विश्वविद्यालयों के वायुमंडल में दलीय राजनीति का विष फैला हुआ है उन में होने वाली अवांछनीय घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार ने राज्य सरकारों पर एकरूप स्तर स्थापित करने की आवश्यकता प्रकट की है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा स्वीकृत सिफारिशों में से एक है और लगभग सभी मुख्य मंत्री वहां थे और लगता था कि सभी सहमत हैं। परन्तु बाद में जब विस्तार में बातचीत की गई तो इन तीन राज्यों ने मतभेद प्रकट किया और उनके साथ हम मामले का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या माननीय मंत्री जी को यह आशा है कि ये तीन राज्य भी इस से सहमत हो जायेंगे ; और देर से देर कब तक इस पर अमल हो जायेगा।

श्री हुमायून् कबिर : आशा तो जरूर है कि जल्दी ही होगा लेकिन उन्होंने एक दूसरी बात मान ली है कि अगर आल-इंडिया सर्विस न भी बने अगर सैंट्रल सर्विस बने तो सैंट्रल सर्विस के आफ़िसर्ज के साथ स्टेट आफ़िसर्ज का एक्सचेंज हो। यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी मन्जूर किया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जिस समिति का विभिन्न राज्यों को सुझाव दिया गया है उसके गठन के प्रस्तावों की रूपरेखा तथा क्षेत्र क्या है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अभी तो इस सेवा में शिक्षण तथा अनुसन्धान पदों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अभी तो यह मुख्यतः शिक्षा प्रशासकों के स्तर पर प्रशासनिक आदान-प्रदान के लिये ही है। यही सबसे प्रमुख पहलू है। जहां तक बाकी चीजों का सम्बन्ध है यह सुझाव दिया गया है कि लगभग १० से १५ प्रतिशत पद स्त्रियों के लिये रक्षित कर दिए जायेंगे; यह भी सुझाव है कि पदोन्नति का अभ्ययंश वरिष्ठ पदों का २५ प्रतिशत हो। कुछ स्थायी क्रम तैयार किये गये हैं। अन्य पहलू मोटे तौर पर वहीं हैं जो वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के हैं।

†**श्री स्वैन** : राष्ट्रीय एकता के लिये अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के महत्व को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ राज्यों के आपत्ति करने पर भी सरकारी ऐसी सेवा स्थापित करने के लिये निश्चय बद्ध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हुमायून् कबिर: राज्यों से थोड़ा-बहुत विरोध होने पर भी हम एक केन्द्रीय सेवा बना सकते हैं परन्तु एक अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने के लिए हमें राज्यों का साथ लेना पड़ता है और मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है। केन्द्र द्वारा ऐसी किसी सेवा को थोपने की कोशिश करने का विचार बहुत से दृष्टिकोणों से वांछनीय नहीं होगा और संविधान को बदले बिना यह व्यवहारिक भी नहीं होगा।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस अखिल-भारतीय सेवा में शिक्षण को शामिल नहीं किया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस की ख़ास वजह क्या है कि इस में शिक्षण को शामिल नहीं किया जा रहा है?

†श्री हुमायून् कबिर: मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि शिक्षण को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। विषयों में एक कठिनाई उत्पन्न होगी। आज विशेषीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि एक सेवा के अधिकारियों में परस्पर अदला-बदली करना कठिन है; उदाहरणार्थ एक कैमिस्ट तथा डाक्टर अथवा एक जीव रसायनज्ञ अथवा दार्शनिक में अदल-बदल बहुत कठिन होगा।

†श्री विश्राम प्रसाद: माननीय मंत्री ने बताया है कि प्रविधिक तथा अनुसन्धान सेवाओं को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि प्रविधिक तथा अनुसन्धान सेवाओं का क्या बनेगा? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें सेवा की उसी श्रेणी में रखा जाएगा अथवा सेवा की किसी अवकृष्ट अथवा प्रकृष्ट श्रेणी में रखा जायेगा?

†श्री हुमायून् कबिर: यह तो मैं ने कभी नहीं कहा कि तकनीकी शिक्षण तथा अनुसन्धान पद सुधार की योजना में शामिल नहीं होंगे। हम इस आशय के लिये प्रत्येक संभव उपाय कर रहे हैं कि शिक्षण तथा अनुसन्धान पदों को उच्चतर मान्यता प्रदान की जाए। सच तो यह है कि इस बारे में काफी सुधार हो भी चुका है।

दिल्ली में ईंटों के भट्ठे

+

†*७३५. श्री श्यामलाल सर्राफ:
श्री सिद्धनंजप्पा:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ईंटों की निकासी काफी गिर जाने के कारण दिल्ली में पहले से चले आ रहे ईंट के भट्टों के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की छानबीन करने और आवश्यक कदम उठाने का सरकार का विचार है?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस): (क) दिल्ली के ईंटों के भट्टों के सामने कोई संकट नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामलाल सर्राफ:** अखबारों में छपी यह खबर कहां तक ठीक है कि ये भट्टे अपने अधिकतर उत्पादन को बेच नहीं पाये हैं? क्या सरकार ने कारणों का पता लगाया है?

†**श्री हजरनवीस:** कारण यह है कि कभी कभी ईंटें अपेक्षित किस्म की नहीं होती हैं। दूसरा कारण यह है कि दिल्ली में भवन निर्माण का काम धीमा पड़ता जा रहा है। यह कारण हैं। परन्तु कठिनाई कोई नहीं है क्योंकि भट्टे के मालिकों को दिल्ली से बाहर ईंटें बेचने के लिये उदारतापूर्ण परमिट दिये गये हैं ताकि अनावश्यक रूप से माल इकट्ठा न हो जाये।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या सरकार को ज्ञात है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित कुछेक योजनायें चल रही हैं और यदि हां तो क्या सरकार ने इस बात का विश्वास कर लिया है कि ये छोटे और कम वेतन पाने वाले लोग इस समय ईंटें खरीद सकेंगे और क्या उन्हें ये ईंटें उपलब्ध होंगी या नहीं?

†**अध्यक्ष महोदय:** एक तरफ तो वह कहते हैं कि फालतू माल पड़ा है और कोई उसे खरीदने के लिये तैयार नहीं है और दूसरी तरफ वह यह कहते हैं कि सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिये कि थोड़ी आमदनी वाले लोग उसे खरीद सकें।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ:** मैं जानना चाहता हूं कि इसके बिकने या न बिकने के क्या कारण हैं?

†**श्री हजरनवीस:** उनकी सहायता करने के लिये ही दरों, मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण लगाया गया है। दूसरी बात यह है कि भवन-निर्माण के लिये ईंटें ही एकमात्र सामान नहीं है जिसकी कि जरूरत है। सीमेंट की भी जरूरत है। कभी कभी सीमेंट का संभरण भी कम होता है।

श्री शिव नारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में ब्रिक्स का क्या भाव है?

अध्यक्ष महोदय: भाव तो उन को पूछना चाहिए जो कि ब्रिक्स खरीदना चाहते हैं। क्या माननीय सदस्य ख़रीदना चाहते हैं?

श्री हजरनवीस: जहां तक कंट्रोल भाव का सम्बन्ध है पहले दर्जे की ईंटों का भाव ३१ रुपये २५ नये पैसे, दूसरे दर्जे की ईंटों का भाव २७ रुपये और तीसरे दर्जे की ईंटों का भाव २१ रुपये फ़ी हजार है।

†**श्री सोनावने:** गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अभी अभी कहा है कि कुछ ईंटें ऊंचे स्तर की नहीं हैं। अत: क्या मैं जान सकता हूं कि जब ये ईंटें स्तर से नीचे की हैं तो वह क्यों चाहते हैं कि इन्हें दिल्ली से बाहर बेचा जाये और वह इन्हें दिल्ली से बाहर बेचने की अनुमति क्यों दे रहे हैं?

†**श्री हजरनवीस:** १ अगस्त को लगभग ३० करोड़ ईंटों का स्टाक होने का अनुमान है। वे सभी तरह की थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि यदि वे स्तर से नीचे हैं, तो उन्हें बाहर बेचने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिये।

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा)**: ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में किसी खास किस्म की बिक्री बन्द कर दी गई है। अलग अलग प्रयोजनों तथा इस्तेमाल के लिये सभी तरह की ईंटें बेची जाती हैं। जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है वहां भी ईंटें घटिया से घटिया किस्म की नहीं होतीं। सभी तरह की ईंटें वहां भेजी जायेंगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह सच है कि इन भट्टा-स्वामियों की सहायता के लिये उदार होकर सरकार ने उन्हें अन्य स्थानों के लोगों को ईंटें बेचने की आज्ञा दे दी है, और वे काफी ऊंचे मूल्य ले रहे हैं और यही कारण है कि भट्टों के मालिक ये ईंटें दिल्ली के लोगों को बेचने में रुचि नहीं रखते हैं ?

†**श्री नन्दा**: दिल्ली के लोगों को जितनी जरूरत थी उतनी पूरी हो गई थी और उसके बाद माल जमा हो गया था। इसलिये ऐसा करना ही पड़ा।

श्री काशीराम गुप्त : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि चूंकि दिल्ली में मकान कम बन रहे हैं इस लिए ईंटों की खपत कम हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दिल्ली में सरकार की मकान बनाने की योजना बहुत बड़ी है तो मकान कम बनने का कारण क्या है ?

†**श्री नन्दा** : यह ईंटों की उपलब्धता का प्रश्न है। परन्तु मकान बन रहे हैं लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं कि जितनी ईंटें बन रही हैं। उन सब का इस्तेमाल किया जा सके।

श्री यशपाल सिंह : दिल्ली से बाहर के भट्टों में ईंटें दस रुपये फ़ी हजार कम पर मिल रही हैं। इसलिए यहां पर दस रुपये फ़ी हज़ार का जो भाव बढ़ा हुआ है वही निकासी को रोक रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस भाव को कम करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री हजरतवीस : जो रेट मुकर्रर किया गया है वह इस आधार पर किया गया है कि लागत क्या लगती है कोयले का क्या भाव है और मज़दूरी क्या लगती है आदि ?

कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रम

+

†*७३७. { **श्री वासुदेवन् नायर:**
श्री वारियर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में कालेज के अध्यापकों के लिये एक समान वेतनक्रम लागू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) प्रस्ताव के कब क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया]। देखिये संख्या एल० टी०—१७५७/६३]

†**श्री वासुदेवन् नायर**: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए उपबन्धों का कितने राज्यों ने लाभ उठाया है तथा क्या आयोग द्वारा बताये अनुसार कालेज के अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिए हैं?

†**श्री हुमायून् कबिर** : योजना के अधीन २३ विश्वविद्यालयों से संबद्ध ४८० कालेजों को सहायता मिली है।

†**श्री वासुदेवन् नायर**: क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिक कालेज गैर-सरकारी अभिकरणों के हैं तथा यदि हां, तो क्या अध्यापकों के वेतन क्रम सुधारने के लिए ये गैर-सरकारी अभिकरण अपना अंश देने को तैयार हैं?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम उनको तथा राज्य सरकारों को बाध्य कर रहे हैं। हमारी कठिनाई यह है कि आयोग की सहायता पहले पहल पांच वर्षों के लिए हैं। परन्तु अब वह इसको एक वर्ष के लिए और बढ़ाने को तैयार है परन्तु इस शर्त पर कि वेतन क्रम स्थायी बनाये जायें तथा राज्य सरकारें कुछ आश्वासन दे दें।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से यह समझौता करते समय राज्य सरकारों ने विभिन्न कालिजों से नहीं पूछा था जिनकी मैनेजिंग कमेटियां इस स्थिति में नहीं हैं कि इतना खर्च उठा सकें। तथा यदि हों, तो क्या राज्य सरकारें बढ़े हुए वेतन क्रम का खर्चा उठायेंगी क्योंकि समझौता उन्होंने किया है?

†**श्री हुमायून् कबिर**: कालेजों से हुए समझौते के ब्योरे में नहीं बता सकता हूं। हम धन दे देते हैं और जैसा कि मैंने बताया ८ राज्य सरकारों ने इसका समर्थन करना स्वीकार कर लिया है। जो कुछ माननीय सदस्य ने बताया वह सूची में नहीं है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य**: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि यह शर्त लगी हुई है राज्यों को भी उतना ही धन देना पड़ेगा और राज्यों ने उतना धन नहीं दिया?

†**श्री हुमायून् कबिर**: यह राज्य का विषय है। धन का उपयोग न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आयोग ने पुरुषों के कालेज में बढ़े हुए व्यय का ५० प्रतिशत तथा महिलाओं के कालेजों में बढ़े हुए व्यय का ७५ प्रतिशत वहन करना स्वीकार कर लिया है। यह अब राज्यों का दायित्व है कि उसका उपयोग करें।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य**: मैंने पूछा था कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा दिया गया अनुदान इसलिए उपयोग नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकारें अपना अंश उसमें नहीं दे पाई थीं।

†**श्री हुमायून् कबिर**: प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** यह काम राज्यों को करना है।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** क्या विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर कालेज प्रोफैसरों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिए भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना लागू की गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर:** विश्वविद्यालय के योजना अलग हैं। विश्वविद्यालयों में तो इससे भी ज्यादा प्रगति की गई है। कठिनाई केवल उन कालेजों के बारे में है जहां पर कालेजों का प्रबन्ध गैर-सरकारी संस्थायें कर रही हैं और जिनके पास धन की बहुत कमी है। इस-लिए जब तक राज्य सरकारें उनको सहायता नहीं देंगी तब तक उनको बड़ी कठिनाई रहेगी।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या यह सच है कि कुछ मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान रोक देने पर कालेजों में पुन: वेतनक्रम कम कर दिए ?

†**श्री हुमायून कबिर :** मुझे पूर्वसूचना चाहिए।

†**डा० मा० श्री० अणे:** क्या अध्यापकों के वेतन-क्रम बढ़ाने के प्रयत्न में गैर-सरकारी कालेजों ने विद्यार्थियों की फीस बढ़ा दी है जिस से वह अध्यापकों को अधिक वेतन देने की स्थिति में हो सकें ?

†**श्री हुमायून् कबिर:** मुझे कोई जानकारी नहीं है परन्तु यह सम्भव हो सकता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** स्नातकोत्तर कालेज के प्रिंसिपल का वेतनक्रम ६०० रुपये से ८०० रुपये किस आधार पर दिया गया है और क्या यह वेतन डिप्टी सेक्रैटरी अथवा अंडर सैक्रेटरी के आज के वेतन के बराबर है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** सामान्यत: यह स्नातकोत्तर कालिजों के लिए नहीं है। स्नातकोत्तर कालेज विश्वविद्यालय वेतनक्रम में आ जाते है। वर्तमान स्थिति पर ध्यान रख कर वेतन क्रम बनाये गये हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि इन को और बढ़ना चाहिये परन्तु यह वृद्धि में वर्तमान स्थिति के अनुसार बहुत है ?

श्री सरजू पाण्डेय: क्या सरकार को पता है कि बहुत से कालेज हैं जिन को सरकार सहायता देती है और जहां पर आम तौर से मैनेजमैंट टीजर्ज को तनख्वाह कम देते हैं और रसीदें ज्यादा की लिखाते हैं ? इस सिलसिले में सरकार क्या कर रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर:** इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है . . .

अध्यक्ष महोदय: इस में माननीय सदस्य की सहायता की जरूरत है।

†**श्री त्यागी :** इस अनुदान के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कितनी रकम देता रहेगा तथा क्या इसको देने की जिम्मेदारी केन्द्र पर होगी ?

†**श्री हुमायन् कबिर:** केन्द्र पर जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि संविधान के अधीन यह जिम्मेदारी केन्द्र पर पहले ही है कि स्तर समान रहे। स्तर समान तभी रह सकता है जब अध्यापक संतुष्ट तथा योग्य हों। इस से गत तीन वर्षों में कालेज के अध्यापकों के वेतनक्रम

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ गये हैं। अर्थात् १९६०-६१ में ४५.५२ लाख रुपये, १९६१–६२ में ५८.१९ लाख रुपये तथा १९६२–६३ में ५५.१३ लाख रुपये।

†**श्री कपूर सिंह:** संभवतया माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि यह नोटों, सिक्कों आदि में दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : सम्भवतया जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था वह उत्तर से सन्तुष्ट है।

श्री तुलसीदास जाधव: आजकल कालेज चलाना बहुत मुश्किल होता है। उस का जो खर्चा होता है, उस को जुटाने के लिए वे बाहर से चंदे इत्यादि लेने की कोशिश करते हैं लेकिन पैसे उन को मिलते नहीं हैं। इसलिए शिक्षकों और प्रोफेसरों की पगार के अन्दर से वे पैसे काट लेते हैं और सिगनेचर पूरी पगार पर ले लेते हैं। क्या यह खबर सरकार को है ?

अध्यक्ष महोदय: यह इनफार्मेशन तो आप सरकार को खुद दे रहे हैं।

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

+

†*७३८. { **श्री प्र० चं० बरुआ:**
श्री याज्ञिक:

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी तेल शोधक कारखाना पुनः कठिनाइयों में पड़ गया है और कच्चे तेल का परिष्करण करने की उस की क्षमता ५० प्रतिशत कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने और तेल शोधक कारखाने में निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) जी, नहीं। अगस्त, ६३ से औसतन पूरी क्षमता बना रखी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या यह सच है कि कुछ उपकरण का सम्भरण करने वाले स्विस लोगों तथा उस को स्थापित करने वाले रूमानिया के प्रविधिज्ञों में कारखाने के बार बार बन्द हो जाने के बारे में जिम्मेदारी पर विवाद है तथा यदि हां, तो क्या विवाद हल हो गया है ?

†**श्री अलगेशन** : कोई विवाद नहीं था। रूमानिया के प्रविधिज्ञों ने नमूना दिया था तथा स्विटजरलैंड की फर्म ने उस को नमुने के अनुसार बनाया था। जब रूमानिया के प्रविधिज्ञों ने उस में कुछ परिवर्तन करने चाहे तो स्विटजरलैण्ड वालों ने मशीन को उन परिवर्तनों के साथ बना दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मरम्मत आदि के चालू न होने के कारण शोधक कारखाने को कितना नूकसान हुआ था ?

†**श्री अलगेशन :** मिट्टी के तेल की यूनिट के न चलने के कारण यह सच है कि शोधन कारखाना पूरी क्षमता से नहीं चल पाया था। कुछ समय पहले गणना की गई थी तथा यह अनुमान लगाया गया था कि चालू न होने के कारण हानि लगभग १.८ करोड़ रुपये हुई थी।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि गौहाटी का शोधक कारखाने में संकट पर संकट आता चला आ रहा है वह इस कारण से आ रहा है कि रूमानिया के विशेषज्ञ जिन को तेल प्रौद्योगिकी का अधिक ज्ञान नहीं था, शोधक कारखाना बनाने में गलतियां की थीं तथा यदि हां, तो गलती ठीक करने में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**श्री अलगेशन :** यह सच है कि क्योंकि मिट्टी के तेल की यूनिट कुछ समय तक चालू नहीं हुई थी इसलिये तेल शोधक कारखाना भी पूरी क्षमता पर चालू नहीं हो सका था। परन्तु अगस्त के दूसरे सप्ताह में पैट्रोल और तेल उपमंत्री रूमानिया के तेतृत्व में एक बड़ा दल भारत आया था। उन्हों ने मिट्टी के तेल की यूनिट को ठीक करने के सभी कार्य किए। २५ अगस्त से अब यह चालू है।

†**श्री स्वैल :** शोधक कारखानों के जलदी जलदी बन्द हो जाने का एक कारण क्या यह भी था कि भारतीय कर्मचारी इस को नहीं चला सकते थे क्योंकि उन को उस पद पर नहीं होना चाहिये था जिस पर उन को नियुक्त कर दिया गया था ?

†**श्री अलगेशन :** इस के कारण को बनाना ठीक नहीं है।

†**श्री यशपाल सिंह :** क्या यह सही है कि वैगन न मिलने के कारण यह गिरावट आई थी, यदि हां, तो उन का क्या इंतज़ाम किया जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन :** अब वैगन मिलने में कठिनाई नहीं है। अब दैनिक वैगन सम्भरण ६० वैगन प्रति दिन है तथा भार का लदान सन्तोषजनक रूप में हो रहा हैं और अब कोई कठिनाई नहीं है।

दिल्ली के लिय वृहद योजना (मास्टर प्लान)

†७३९. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की वृहद योजना (मास्टर प्लान) में उल्लिखित राजधानी क्षेत्र के विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिए उन के सभापतित्व में एक उच्चाधिकार समिति नियूक्त की गई है, और

(ख) यदि हां, तो समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और दिल्ली का आयोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशखर) :** (क) जी हां।

(ख) अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवचरण गुप्त** : दिल्ली की वृहद् योजना के लिए इस क्षेत्र के महत्त्व के आधार पर सरकार ने योजना पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व तथा विकास करने के लिए क्या क़दम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : कुछ परामर्श किया जा रहा है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

†**श्री शिवचरण गुप्त** : अनुभव के आधार पर क्या सरकार योजना तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक प्राधिकार के औचित्य पर विचार करेगी ?

†**श्री नन्दा** : यहां उद्योग है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : दिल्ली की मास्टर प्लैन को बने हुए काफी वर्ष हो चुके और इस पर काफी विचार विमर्श हो चका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वयं गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी नियुक्त की गई है उस को बनाने का क्या उद्देश्य है । यानी क्या कार्य उस के सुपुर्द किया गया है ?

श्री नन्दा : कुछ इलाके जोकि उन राज्यों में हैं वह इस के अन्दर शामिल हैं। इसलिये क्या करना चाहिये, इस के लिए उन की राय और मश्विरा जरूरी है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस महत्त्वपूर्ण कार्य में धीमी गति के क्या कारण है ?

†**श्री नन्दा** : क्योंकि इस का सम्बन्ध कुछ अन्य राज्यों से हैं और उन के बारे में हमारे भी कुछ विचार हैं । इसलिए परामर्श जरूरी है ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी में कितने लोग हैं, और जनता में से भी अगर कुछ लोग लिये गये हैं तो उन के नाम क्या हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं :— गृह-कार्य मंत्री, भारत सरकार, सभापति, स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार, सदस्य, निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री, भारत सरकार, योजना आयोग के उप-प्रधान, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के मुख्य मंत्री तथा दिल्ली के मेयर और दिल्ली के मूख्यायूक्त, सदस्य ।

श्री कछवाय : जनता में से कितने लोग लिये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने पब्लिक से पूछा था । उन्हों ने मेम्बरों के नाम पढ़ दिये । सारे अफसर हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारें जो अपने अपने राज्यों का भाग दिल्ली की मास्टर प्लैन के लिये देने के लिए पहले सहमत नहीं थीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब वे कुछ सहमत हो गई हैं ? यदि हां तो वह बात कहां तक आगे बढ़ी है ?

श्री नन्दा : मैं ने कहा कि इस में कुछ सलाह मश्विरा हो रहा है। उसकी फाइनल पोजीशन इस वक्त में नहीं बतला सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज

+

†*७४०. { श्री नि० रं० लास्कर :
श्री पं० वेंकटसुब्बया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री इ० मधसूदन राव :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की शेष अवधि में विदेशी सहायता तथा सहयोग से देश में कितने प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज खोले जायेंगे ;

(ख) ये कालेज किन राज्यों में होंगे ; और

(ग) कितने प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज खुल गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर)** : (क) और (ख) शेष योजनावधि में मद्रास, पंजाब, राजस्थान और आसाम में चार प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज चालू करने का विचार है, परन्तु उसके लिए अब तक विदेशी सहायता नहीं ली गई है :

(ग) ग्यारह ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१०० का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने हमें बताया था कि आसाम का प्रादेशिक कालिज सिलचार में होगा । इस कालेज को यहां पर स्थापित करने में इस बीच क्या ठोस क़दम उठाये गये हैं ;

†**श्री हुमायुन् कबिर** : हमने आसाम सरकार को लिखा है कि पूर्व प्रादेशिक समिति ने सिल्चर को उपयुक्त स्थापनास्थान चुना है । हम राज्य सरकार की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : इस कालिज की स्थापना की पुष्टि सरकार को कब तक मिल जाने की आशा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह कालिज १९६५ अथवा १९६६ में चालू होगा । इसलिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करन के लिए अभी समय है ।

†**श्री बासप्पा** : माननीय मंत्री ने बताया था कि मंगलौर के निकट सूरतकल इंजीनियरिंग कालिज के लिए विदेशी सहायता मिल जायेगी । इसमें क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कनाडा सरकार ने सहायता के लिए सूरतकल इंजीनियरिंग कालेज को चुना है । उन्होंने अध्यापक तथा अधिछात्रवृत्तियां देने को कहा है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : माननीय मंत्री अपना आदर्श घोषित कर रहे हैं कि प्रादेशिक कालिज ही नहीं वह तो प्रत्येक ज़िलें में एक इंजीनियरिंग कालज बनाने को उत्सुक हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येंक ज़िले में ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां । मैं जानना चाहता हूं कि दो वर्ष पहले अमरावती में जो कालिज खुलने वाला था वह अब कब खुलेगा ?

†**श्री हुमायुन् कबिर** : प्रश्न इंजीनियरिंग कालिजों के बारे में है इसलिए यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आश्चर्य हुआ । क्या सरकार ने प्रत्येक ज़िले में एक इंजीनियरिंग कालिज खोलने का निर्णय कर लिया है ?

†**श्री हुमायुन् कबिर** : अन्ततः हमारा यही उद्देश्य है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां । मुझे भली प्रकार जानकारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपनी ना जानकारी मानता हूं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इन चार राज्यों का चुनाव किसी योजना के अधीन किया गया है अथवा केवल पसंद होने के कारण इनको छांट लिया गया है ?

†**श्री हुमायुन् कबिर** : माननीय सदस्य भूल गये हैं कि मैं सभा में पहले भी बता चुका हूं कि प्रत्येक राज्य में एक इंजीनियरिंग कालिज स्थापित किया जायेगा । इन चारों राज्य में ये कालिज अभी नहीं है ।

†**श्री ओंकारलाल बेरवा** : मैं जानना चाहता हूं कि इन कालेजों को खोलने के लिये विदेशों ने जो सहायता दी है वह कितनी है और केन्द्रीय सरकार ने उस में कितना योग दिया है ?

†**श्री हुमायुन् कबिर** : मैं सभा में पहले भी बता चुका हूं कि प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिजों के लिए भारत सरकार ने शतप्रतिशत अनुदान दिया है तथा राज्य सरकारों ने भूमि की व्यवस्था की है । आवर्त्तक व्यय में वह पहले पांच वर्षों तक भाग लेंगे । पांच वर्ष के बाद क्या स्थिति होगी इसका निश्चय तभी किया जायेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक इंजीनिअरिंग कालेज को खोलने के लिये आरम्भ में ६० लाख रु० की आवश्यकता होती है । यदि इस के लिये कोई व्यक्ति या संगठन २० लाख रुपया दे दे, अपनी ओर से, तो राज्य और केन्द्रीय सरकारें शेष भाग की पूर्ति कर देती हैं और उस कालेज को चलाती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस प्रकार का प्रपोजल बिजनोर से आया है ? यदि हां, तो सरकार इस के बारे में क्या विचार कर रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस प्रकार की एक योजना है परन्तु उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है । दूसरी योजना में हमने 'खुला द्वार' योजना चालू की थी जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत तथा राज्य सरकार तथा गैर सरकारी पार्टियों द्वारा ५० प्रतिशत दिए जाने की व्यवस्था थी । तीसरी योजना में इस योजना में इतना परिवर्तन किया गया कि यदि गैर सरकारी पार्टी ५० प्रतिशत देगी तो केन्द्रीय सरकार २५ प्रतिशत देगी ।

†**श्री राम चन्द्र उलाका** : देश में अब तक स्थापित इंजीनियरिंग कालिजों की क्षमता क्या है । तथा क्या सरकार का विचार परियोजना की शेष अवधि में क्षमता बढ़ाने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायुन् कबिर :** कालिजों की अलग अलग क्षमता बताना बड़ा कठिन है। इस वर्ष कुल दाखिले लगभग २०,००० होंगे।

†**श्री कपूर सिंह :** पंजाब में यह कालिज कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री हुमायुन् कबिर :** पंजाब में मैं समझता हूं कि कुरुक्षेत्र को चुना गया है। पंजाब के मामले में मैं बता सकता हूं कि कालिज एक प्रकार इस वर्ष चालू हो गया है। हमने उनको दो अन्य कालिजों में विद्यार्थियों को दाखिल करने की अनुमति दे दी है। और जब कुरुक्षेत्र प्रादेशिक कालिज स्थापित हो जायगा तब इनको उसमें स्थापित कर दिया जायेगा।

†**श्री स्वैल :** क्या विश्वविद्यालय शिक्षा की नीति पर ध्यान रखते हुए इन प्रादेशिक कालिजों में शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं में दी जायेगी ?

†**श्री हुमायुन् कबिर :** जब विश्वविद्यालय स्वीकार कर लेंगे जिसकी मैं शीघ्र आशा करता हूं, तब इस कलिजों में भारतीय भाषा में शिक्षा दी जायेगी।

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि वर्तमान प्रादेशिक कालिजों में दाखिले के समय राज्यों के प्रत्येक प्रदेश का ठीक अनुपात नहीं रखा जाता है। यदि हां, तो क्या भविष्य में बनने वाले कालिजों के लिए सरकार का विचार ऐसा फार्मूला बनान का है कि यह प्रतिशतता ठीक रहे।

†**श्री हुमायून् कबिर :** प्रादेशिक कालिजों का सिद्धान्त बना लिया गया है तथा स्वीकार कर लिया गया है। ५० प्रतिशत विद्यार्थी उसी प्रदेश के होते हैं जिसमें कालिज स्थित हों ; ३० प्रतिशत उस क्षेत्र के होते हैं तथा २० प्रतिशत अखिल भारतीय आधार पर चुने जाते हैं ?

"अग्रनयन नियम[1]"

+

†*७४२. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री श्री नारायण दास :
श्री कछवाय : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान २९ अगस्त, १९६३ को दिये गये उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए लोक सेवाओं में पदों का आरक्षण करने वाले "अग्रनयन नियम १९५५" को असांवेधानिक घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ वर्गों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):** (क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय का निर्णय मिल गया है। उसकी उपलक्षणाओं की जांच की जा रही है। इस जांच के पूरा होते ही सरकार इस विषय में किये जाने वाले उपायों का फैसला करेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] "Carry forward rule".

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उच्चतम न्यायालय के फैसले से लगभग कितने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति प्रभावित होंगे ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : उच्चतम न्यायालय के फैसले का अन्य किन्हीं पिछड़े वर्गों पर कोई असर नहीं पड़ा है । अनुमान किया जाता है कि जिन अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के अधिकारियों पर इसका असर पड़ना चाहिए उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या उनका विचार इस अन्याय को ठीक करने के लिए कोई विधान पेश करने का है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : पहले प्रश्न के उत्तर में स्पष्टतः को बता दिया गया था. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति । इसको कैसे बताया जा सकता है । उच्चतम न्यायालय अन्याय किस प्रकार कर सकता है । इसको उन्हें वापिस लेना चाहिए ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं वापस लेता हूं परन्तु उत्तर क्या मिला ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार का विचार मामले में कोई कार्यवाही करने का है जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की रक्षा हो सके ।

†**श्री कछवाय** : मैं यह जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देश में क्या प्रतिक्रिया हुई है, इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई छानबीन की है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम इसकी जांच करेंगे ।

†**श्री श्री नारायण दास** : इस फैसले में क्या मुख्य बातों हैं क्या फैसले की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं फैसले का संबंधित अंश पढ़ देती हूं :—

> "यह फैसला करते हुये कि (अग्रेनयन नियम) १९५५ के परिवर्तन के अनुसारअसंवैधानिक है यह प्रश्न उठता है कि हमें न्यायधिकरणों को क्या सहायता देनी चाहिये । न्यायाधिकरण के वकील श्री गोपाल कृष्णन ने स्पष्टतः बता दिया कि वह नियम की अवेधता की घोषणा कराना चाहता है और वह आशा करता है कि संबंधित विभाग इस न्यायालय के फैसले को उचित रूप में लागू करेगा । यह ठीक है कि उनको कोई सहायता नहीं दी जा सकती है क्योंकि जो व्यक्ति नियुक्त होगा तथा जिन पर इस निर्णय का प्रभाव होगा उन्होंने इस याचिका में अपने हस्ताक्षर नहीं किये ।"

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या यह सच है कि कुल रिजवेशन अनुसूचित जातियों का लगभग ६५ प्रतिशत था तथा क्या सरकार ने सहायता देने के मामले में जिसका जिक्र माननीय मंत्री ने अभी किया है संबंधित विभाग की राय मांगी है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : ४२ रिक्त स्थानों का अग्रेनयन किया गया था । नियुक्तियां केवल २८ पदों पर की गई थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** इसकी जांच की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह कहते हैं कि सभा में कम प्रश्न लिये जाते हैं । इस लिये माननीय सदस्य को बार-बार मेरे सामने नहीं उठना चाहिये ।

†**श्री महेश्वर नायक :** इन वर्गों के लिए निश्चित व्योरे के अनुसार इन तीनों वर्गों में कितने अभ्यार्थी नियुक्त कर लिये गये हैं ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** जैसा कि हम सभी जानते हैं अनुसूचित जातियों के लिये रिजर्वेशन १२½ प्रतिशत तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रिजर्वेशन ५ प्रतिशत है । यदि अनुसूचित जातियों या आदिम जातियों का कोटा पूरा नहीं किया जाता है तो इस कारण कि अपेक्षित संख्या में उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहे हैं ।

बम्बई में फिल्म स्टूडियो की तलाशी

\+

*†७४३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री कृष्ण मेनन :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग द्वारा फिल्म व्यवसाय के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फिल्म स्टूडियों तथा मकानों की ली गई तलाशी के दौरान कुछ कागजात तथा दस्तावेज़ बरामद हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो फिल्म व्यवसाय के उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उनमें से किसी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज कराया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा):** (क) से (ग). जासूसी कार्रवाई के सन्देह में गिरफ्तार किये गये अजीमुलइस्लाम नामक व्यक्ति से कुछ बातों का पता लगने पर ३१ अगस्त, १९६३ को बम्बई में कुछ जगहों पर स्थानीय पुलिस ने कुछ छापे मारे और तलाशी की । इस मामले की छानबीन हो रही है और इस समय और अधिक कोई जानकारी देना उचित नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** हम इस मामले में आपका मार्ग दर्शन चाहते हैं कि जांच पड़-ताल के अधीन इस मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्यों नहीं बताये जा सकते । हम कार्रवाई से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांग रहे हैं , केवल नाम जानना चाहते हैं ।

†**श्री नन्दा :** जब यह उत्तर तैयार किया गया था तब से मैं इस बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सका हूं और इस लिये मैं यह बता सकूंगा लेकिन मैं सारी जानकारी नहीं बता सकता क्योंकि अभी जांच जारी है । कई नाम बताये गये हैं और उनके संबंधमें मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दोषी ठहराने योग्य कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है है । मैं वह जानकारी दूंगा । वे नाम हैं बिमल राय, राजबंश खन्ना, मोहन स्टूडियो—ये नाम उस समय आरम्भ में नहीं थे लेकिन स्टूडियो की तलाशी लेने के बाद ये नाम प्रकाश में आये, और तीसरा नाम दिलीप कुमार है । दोषी ठहराने योग्य कोई साक्ष्य नहीं मिली है ।

†**श्री नाथ पाई :** माननीय मंत्री के उत्तर का आशय बहुत स्पष्ट है कि इन दो नामों के सम्बन्ध में दोषी ठहराने योग्य कोई साक्ष्य नहीं है । उसका प्राथमिक अर्थ यह है कि अखबारों में उल्लिखित नामों के विरुद्ध दोषी ठहराने योग्य साक्ष्य है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसका यह मतलब नहीं होता । जांच पड़ताल का यह नतीजा हो सकता है कि इन तीनों नामों के सम्बन्ध में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** औचियत्य प्रश्न के हेतु, श्रीमान् । यह सारी चीज कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है और वहां के गवाह सब जानते हैं । दोनों ओर के वकील भी सारा मामला जानते हैं । बंबई की जनता को भी सारे ब्योरे मालूम हैं, केवल हमी लोगों को ब्योरा नहीं बताया जा रहा है । गृह मंत्री किस अधिकार से हमें यह खबर नहीं बता रहे हैं । इस लिये आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करके माननीय मंत्री से हमें ब्योरे बताने के लिये कहें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कौन सी जानकारी चाहते हैं जिस पर मैं अपना ध्यान केन्द्रित करूं ?

†**श्री हेम बरुआ :** हम सारे ब्योरे चाहते हैं कि ट्रांसमीटर पाया गया था या नहीं, पाकिस्तानी जासूस ने ....

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति, जहां तक नामों का सम्बन्ध है, मुझे सचमुच ही इसमें संदेह है कि क्या वे नहीं बताये जा सकते हैं । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि तलाशी लेना वैध है या नहीं उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य है या नहीं, तो यह बिल्कुल अलग सवाल है । लेकिन किनके मकानों की तलाशी ली गयी थी (**अन्तर्बाधायें**) । जहां तक इस तथ्य का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि दूसरे ब्योरे तब तक नहीं बताये जा सकते जब तक कि जांच पड़ताल चल रही हो ।

†**श्री नन्दा :** सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह दो हिस्सों में है । एक तो अजी-जुल इस्लाम की गिरफ्तारी से प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है और उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा ४२० और ३०९ तथा कुछ अन्य धाराओं के अधीन मामले हैं । उसने जो कुछ कहा उसी के आधार पर तलाशी ली गयी । नाम इस प्रकार हैं :— मोहन पिक्चर्स, महबूब प्रोडक्शन लिमिटेड, नसीर खां, दिलीप कुमार, अनिल रामनाथ लाड, मानिक धोन्डोपन्नरेगे, अयाज परिभोय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या माननीय मंत्री द्वारा बताये गये व्यक्तियों में से कोई हिरासत में रखा गया है और यदि हां, तो वे कहां रखे गये हैं और क्या यह सच है कि इनके खिलाफ कलकत्ते में कार्रवाई की जा रह है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें कहां बन्दी बनाकर रखा गया है यह जानकर माननीय सदस्य को क्या लाभ होगा ? वे यह पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें बन्दी बनाया गया है । वह एक संगत प्रश्न है । उन्हें कहां रखा गया है यह एक दूसरी बात है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मैं जानना चाहता हूं कि कार्यवाही किस जगह हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगर वह किसी से मिलना चाहते हैं तो वह वहां जा सकते हैं और उन्हें देख सकेंगे ।

†**श्री नन्दा :** तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है अर्थात् अजीमुल इस्लाम, फारूकी और श्री मल । इसमें से उत्पन्न होने वाली दूसरी बातों के सम्बन्ध में कोई बंदीकरण नहीं हुआ है ।

श्री द्वारकादास मंत्री : यह जो सर्चेज हुई हैं यह कलकत्ता पुलिस ने बम्बई पुलिस की मदद से की है और इस में प्रतिष्ठित लोगों की तलाशियां ली गई हैं तो ऐसी अवस्था में क्या भारत सरकार यह उचित नहीं समझती कि किसी उच्च अधिकारी के जरिये इस का इनवैस्टिगेशन हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव होगा इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अजीजुल इस्लाम जो कि ए० के० मुकर्जी बन कर कलकत्ते में रह रहा था उसने किसी हिन्दू लड़की से विवाह किया है और इस विवाह को कराने में उन तीन व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति का हाथ था, क्या सरकार को इसकी भी कोई जानकारी मिली है ?

अध्यक्ष महोदय: उसका इससे क्या ताल्लुक है । अब शादी कहां की और उसको कराने वाले लोग कौन थे, उससे इसका क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या केवल एक आदमी श्री अजीजुल इस्लाम के बयान पर ही ये छापे मारे गये थे या सरकार के पास इसके लिये दोष प्रमाणित करने वाली कोई साक्ष्य थी और क्या इस बारे में सरकार का कोई सिद्धांत होता है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** औचित्य प्रश्न के हेतु, हम यह नहीं बता सकते ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अवश्य ही यह नहीं बताया जा सकता ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हम केवल एक बात जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ एक आदमी के बयान पर किसी भी व्यक्ति के,चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो,मकान की तलाशी ली जा सकती है या कोई सरकार के पास प्रमाणित करने वाली साक्ष्य भी होना आवश्यक है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं, वह सवाल नहीं उठाया जा सकता । श्री भागवत झा आजाद खुद महसूस करेंगे कि जांच करने वाले अफसर को खुद यह देखना होता है कि उसे जो जानकारी प्राप्त हुई है वह मामले को आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त है या नहीं । यह सिर्फ एक आदमी की सूचना के आधार पर भी हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है. . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने घड़ी की तरफ नहीं देखा था। अब और आगे इस पर नहीं चला जा सकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या ये तलाशियां केन्द्रीय गुप्तचार कार्यालय के आदेश से की गयी थीं, और क्या अजीजुल इस्लाम ने कुछ नाम बताये और अपने आप ही तलाशी हो गयी ?

†**श्री नन्दा :** केन्द्रीय गुप्तचर कार्यालय या केन्द्रीय सरकार के और किसी विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। ये तलाशियां बंबई पुलिस ने कलकत्ता पुलिस की विशेष शाखा के आदेश पर की थीं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** अब अल्प सूचना प्रश्न ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी :** आपने इस प्रश्न के बारे में कुछ रुचि दिखाई है . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने गलती की और और प्रश्न काल को आगे बढ़ाने के लिये आप मुझे न कहें। मुझे खेद है कि मैं प्रश्न की ओर ध्यान दे रहा था और घड़ी देखना भूल गया।

† **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि इसमें गलती समझने का कोई कारण नहीं है क्योंकि आप अपनी इच्छा से प्रश्न काल बढ़ा सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सामान्यतया मैं नहीं कर सकता और न ही मुझे करना चाहिये ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अमरीका और रूस को एक सदस्यीय शान्ति शिष्ट मंडल

+

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ८. †{**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** / **श्री मन्नू लाल द्विवेदी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन के बीच हिमालय सीमा विवाद को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये अमरीका और रूस की सरकारों की ओर से एक संयुक्त अपील जारी करने के लिए श्री सुधीर घोष संसद् सदस्य जो एक सदस्यीय शान्ति शिष्ट मंडल के रूप में गये हैं क्या वाशिंगटन से प्राप्त तत्सम्बंधी समाचार से पत्रों की खबर की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार को प्रस्तावित संयुक्त अपील की शर्तें मालूम हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). श्री सुधीर घोष ने जो सुझाव रखा था वह उन्होंने अपनी ओर से तथा बिना सरकार से पूछे रखा था इस अपील का ब्योरा सरकार को मालूम नहीं है। स्पष्ट रूप से तो यह शांतिपूर्ण

---

†मूल अंग्रेजी में

समझौते में सहायता के लिये एक सामान्य अपील थी और उनके ब्यौरे का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। सरकार शांतिपूर्ण समझौते के लिए किसी भी कार्यवाही का स्वागत करती है बशर्ते कि वह भारत के सम्मान और उसकी एकता के अनुरूप हो।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या श्री सुधीर घोष द्वारा वाशिंगटन में दिये गये इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि शासक दल, कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव का समथन किया है। उन्होंने अमरीका के गृह-कार्य विभाग के उंचे अधिकारियों और ऊंचे व्यक्तियों के साथ १५ दिनों तक बातचीत की थी ...

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति, मैंने हमेशा ही यह कहा है कि अनुपूरक प्रश्न पढ़े नहीं जाने चाहिये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं जानता हूं लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न के लिए अनुमति देता हूं लेकिन वह बहुत लंबा नहीं होना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वह अखबारों से उद्धरण दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसा हो तो मैं उसके लिए अनुमति दे दूंगा।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : वह गृह सचिव श्री रस्क, प्रतिरक्षा सचिव श्री मैक नामारा, विदेशी संबंध समिति के अध्यक्ष श्री फुलब्राइट तथा अन्य लोगों से मिले और १५ दिन तक उनके साथ बातचीत की। स्वाभाविक ही यह ख्याल पैदा हुआ कि कम से कम कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है। क्या श्री घोष को यह बता दिया गया है कि चूंकि वह शासक दल के सदस्य हैं इस कारण हमारे मित्रों और अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों में एक भ्रम उत्पन्न हो जायगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य जिस विशेष व्यक्तव्य का निर्देश कर रहे हैं उसे मैंने नहीं देखा है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि वे वाशिंगटन गये थे और कुछ समय तक वहां ठहरे थे। जहां तक मुझे मालूम है वह किसी खास उद्देश्य से, कांग्रेस पार्टी या सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं गये थे। लेकिन वह वहां पर कई लोगों को जानते हैं और उन्होंने कई ऊंचे अधिकारियों से भेंट की। निश्चय ही उन्होंने कई मामलों के बारे में जिनमें उन्हें दिलचस्पी थी, उनसे बातचीत की। हो सकता है उस में यह मामला भी आया हो। श्री सुधीर घोष के लौटने पर अभी तक मैं उनसे नहीं मिला हूं। मुझे इसके ब्योरे के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन वहां पर अपने सम्पर्क के कारण, वे जब कभी वहां जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार को मालूम है कि श्री सुधीर घोष किस लिए वहां गये थे, विदेशी मुद्रा उन्हें किस प्रयोजन के लिए दी गयी थी और क्या इस कथन में कोई सचाई है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा कुछ इस्पात कम्पनियों के संबंध में अमरीका गये थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे मालूम है, उन्हें कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी थी। कई लोगों को जो सम्मेलन के लिए या मास्को या अन्यत्र कहीं गये हैं उन्हें भी विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी है। मुझे याद नहीं है कि क्या वह किसी प्रकार के सम्मेलन के लिए गये थे और अपनी यात्रा से लाभ उठा कर वाशिंगटन और कई दूसरी जगह गये और कई लोगों से मिले।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने वाशिंगटन तथा मास्को स्थित दूतावासों को श्री सुधीर घोष को मदद देने का आदेश दिया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वहां जाने वाले संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों को मदद करने के संबंध में जो सामान्य आदेश दिये जाते हैं उनके अलावा और किन्हीं आदेशों के बारे में मुझे मालूम नहीं है । मैं समझता हूं कि श्री सुधीर घोष शायद लौटते समय केवल दो दिन के लिए मास्को रुके थे । मुझे निश्चित नहीं मालूम लेकिन वह बहुत ही कम समय ठहरे थे ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी प्रधान मंत्री महोदय ने बताया कि श्री सुधीर घोष ने पीस अपील के लिए जो बातचीत की है, वह अपने आप की है और उन को किसी ने इस सम्बंध में कहा नहीं था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भारत सरकार के केस को पूरी तरह से जानते हैं और जिस तरह से वह दोनों देशों से बातचीत करेंगे, क्या उससे हमारे देश का उद्देश्य पूरा हो सकेगा; यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बंध में उनको ब्रीफ़ कर दिया है ; यदि नहीं, तो इससे जो ग़लत-फ़हमियां इस बारे में फैलेंगी, उनको दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस बात का जबाब तो नहीं दे सकता हूं कि वह कितना जानते हैं, लेकिन मुझे उन से मालूम हुआ है कि उन्होंने जानने की कोशिश बहुत की है और इस बारे में हमारे जो काग़जात और पैम्फलेट्स वगैरह हैं, वे उन्होंने हम से मांगे थे । वह उन को अपने साथ ले गये थे और उन्होंने उनको ज़रूर पढ़ा होगा ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का, और खासकर श्री सुधीर घोष जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का, शांतिदल में जाने और दूसरे देश के नेताओं से भेंट मुलाकात करने में विध्वंसात्मक और देशद्रोहपूर्ण कोई कार्यवाही नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अच्छे उद्देश्य के लिए काम करना विध्वंसात्मक नहीं होता लेकिन इस खास मामले में वह शांतिदल में नहीं गये थे । जहां तक मुझे पता है वह क्वेकर्स कानफरेन्स या इसी तरह की किसी सम्मेलन में गये थे और उन्होंने वाशिंगटन जाने तथा उन लोगों से मुलाकात करने के लिए उस अवसर से लाभ उठाया ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को देखते हुए कि संसद के पिछले अधिवेशन में न केवल सरकार को वरन इस सदन को भी श्री पटनायक और श्री घोष जैसे कुछ लोगों द्वारा अमरीका में भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने विचार व्यक्त करने की खबरों से बड़ी परेशानी हुई थी, क्या सरकार का इस तरह की घटनाओं को रोकने का कोई विचार है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसे लोग वक्तव्य देते हैं जिन पर इस सदन का कोई नियंत्रण नहीं होता क्योंकि न तो वे मंत्रालय द्वारा नियुक्त हुए होते हैं और न ही वे सरकार के सदस्य होते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने श्री पटनायक का उल्लेख किया । वे निश्चय ही हमारी जानकारी से नहीं गये, लेकिन हमारी सद्भावना से गये थे । इसलिए उनका नाम लाने की जरूरत नहीं है । सभी तरह के लोग जाते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते, सिवाय इसके कि हम उन्हें 'पी' फार्म या अनुमति न दें । जहां विदेशी मुद्रा की कोई बात नहीं होती और उनके जाने के लिए उचित कारण होते हैं, हम उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं । जैसाकि मैंने बताया वह किसी सम्मेलन में जा रहे थे । जब वह वहां जाते हैं तो हम उन्हें यह नहीं बता सकते कि वे किससे मुलाकात करें और

---

†मूल अंग्रेजी में

किससे न करें लेकिन जाते समय उन्होंने हमारे मंत्रालय से अपनी जानकारी के लिए काफी सामग्री मांगी थी जिससे वे उपस्थित विषयों के संबंध में पूरी तरह ज्ञान प्राप्त कर लें ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : औचित्य प्रश्न के हेतु । मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के लिए यह कहना जैसा कि प्रधान मंत्री ने अभी कहा है, नियमानुसार है कि कोई व्यक्ति विशेष विदेश जा सकता है और वैदेशिक कार्यों के संबंध में दूसरी सरकारों के साथ बातचीत कर सकता है जब कि वह व्यक्ति इस सदन के प्रति इस कारण उत्तरदायी नहीं है कि वह न तो मंत्रालय का सदस्य है और न ही वैदेशिक कार्य मंत्रालय का कर्मचारी है । प्रधान मंत्री ने अभी हाल में कहा है कि कोई भी व्यक्ति उनकी जानकारी और स्वीकृति से जा सकता है और विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ राजकीय आधार पर बातचीत कर सकता है ।

†**श्री रंगा** : इस का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक बार इसी प्रकार की परिस्थितियों में श्री डांगे मास्को गये थे और उन्होंने कुछ वक्तव्य भी दिये और प्रधान मंत्री को यह कहना पड़ा कि यद्यपि वह किसी और काम से मास्को गये थे फिर भी उन्होंने उनसे सोवियत सरकार के साथ अपनी सद्भावना का उपयोग करने के लिए कहा था । प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों ने यही बात कही । अब भी श्री नंबूद्रिपाद मास्को गये हैं और वहां से पेकिंग गये हैं । वह किस आधार पर गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि सदस्यगण जब चाहें तब विषयांतर करते हैं । अब प्रश्न यह है कि जो औचित्य प्रश्न उठाया गया है वह वैध, न्यायोचित और नियमानुसार है और मुझे इस पर निर्णय देना है कि क्या वह इस सदन या हमारे नियमों या संविधान से संबंधित है, नाकि सरकार की नीतियों के बारे में । मैं वह निर्णय नहीं दे सकता । इसलिए कोई औचित्य प्रश्न नहीं । वह सरकार की बात है ।

†**श्री नाथ पाई** : लन्दन टाइम्स में प्रकाशित श्री सुधीर घोष के इस दावे को देखते हुए कि श्री ख्रुश्चेव और श्री केनेडी, दोनों ने ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि उन्हें सामान्यतया भारत की प्रादेशिक अखंडता सुरक्षित रखनी चाहिये, क्या भारत सरकार को इसमें दिलचस्पी है ? इस बारे में भारत सरकार की क्या राय है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या मैं सब से पहले यह कह सकता हूं कि प्रोफेसर मुकर्जी का प्रश्न बिलकुल गलत तथ्यों पर आधारित है ? वह बातचीत के बारे में कह रहे हैं । हम ने यह कहा है कि कोई भी बात कर सकता है । मैं ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो वह लोगों से मिलता जुलता है और उन से बातचीत करता है । उससे हम किसी प्रकार वचनबद्ध नहीं होते । मैं नहीं जानता कि श्री सुधीर घोष वहां गये और उन्होंने ऊंचे अधिकारियों या राष्ट्रपति से किसी योजना के बारे में बातचीत की . .

†**श्री नाथ पाई** : मेरे प्रश्न के दूसरे हिस्से के बारे में क्या हुआ ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वे इस बात के लिये सहमत थे कि भारत में शान्ति रहे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने कहा है कि दो व्यक्तियों को साथ साथ नहीं खड़े होना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आप ने मुझे अनुमति दी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने कभी अनुमति नहीं दी थी ।

†**श्री नाथ पाई** : सरकार की राय क्या है ? यही मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कोई उनकी बात से सहमत हुआ है । मुझे सन्देह है कि मास्को में एक दिन के निवास में वह श्री ख्रुश्चेव से मिले होंगे । लेकिन मैं यह समझ नहीं पाता कि श्री मुकर्जी ने औचित्य प्रश्न कैसे उठाया, जैसेकि हम ने ही किसी को बातचीत करने के लिये भेजा हो । वास्तव में अगर हम ने किसी को भेजा होता, तो उस पर औचित्य प्रश्न नहीं हो सकता ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : वह अखबारों में प्रकाशित हुआ है और हम उस पर ध्यान देते हैं । जब इस मामले का प्रचार किया गया है तब प्रधान मंत्री किस तरह बचना चाहते हैं ? हम सचाई जानना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री इस सदन में जो कुछ कहते हैं क्या उस की अपेक्षा समाचारपत्रों में प्रकाशित बातों की ओर वह अधिक ध्यान देंगे ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इसीलिए हम उन से मालूम करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बता दिया है । सदस्यों को अब सन्तुष्ट हो जाना चाहिये ।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ †**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष (१ जनवरी, १९६३ से) और गत वर्ष (१९६२) की उसी अवधि में कितनी बार इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान में उड़ान के दौरान यांत्रिक अथवा इंजिन की खराबी पैदा हुई ; और खास तौर से आग लगने की चेतावनी दी गई ;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) कितनी बार उसी विमान से उचित मरम्मत अथवा पुनर्नवीकरण किये बिना दूसरी उड़ान की गई ; और

(घ) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के इन विमानों के सम्बन्ध में विमान चालकों के "सावधानी टिप्पण" पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) चालू वर्ष (जनवरी से अगस्त) में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउन्ट जहाजों के इंजनों में गड़बड़ी होने की ५ और आग की चेतावनी की ३ घटनाओं की सूचना दी गई । १९६२ में उसी काल में क्रमशः १ और ३ घटनायें घटीं । आग लगने की चेतावनी की सारी सूचनायें गलत निकलीं । दूसरी किस्म के हवाई जहाजों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी । यह केवल वाइकाउन्ट के बारे में ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (घ). हर मामले में आवश्यक मरम्मत सम्बन्धी कार्यवाही कर ली गई थी। एक विवरण, जिस में यह सब ब्यौरा दिया हुआ है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० १७५८/६३]।**

(ग) एक भी बार नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रखा गया विवरण उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सूचीपत्र है जिन का इंयिडयन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के विमानों को इस वर्ष तथा गत वर्ष की इसी अवधि में सामना करना पड़ा। इस वष इन घटनाओं की संख्या गत वर्ष से दुगुनी है। क्या सरकार ऐसी संसदीय समिति की स्थापना करने से सहमत है जिसे चुना जाये अथवा आप के द्वारा नाम-निर्देशित किया जाये और जो विशेषज्ञों की सहायता से इस बात की जांच करे कि गत कुछ वर्षों में हवाई जहाजों के संधारण-कार्य में गिरावट क्यों आती जा रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई है। जहां तक आग की चेतावनियों का प्रश्न है मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह गलत थी और वे बिजली के कनेक्शनों में गलत सम्पर्क हो जाने के कारण थीं। निर्माताओं से सम्पर्क स्थापित किया गया था। उन्होंने कुछ परिवर्तन किये जाने के विषय में सलाह दी थी और जहां तक आग लगने की चेतावनी का प्रश्न है कुल १२ वाइकाउन्ट जहाजों में यह सारे परिवर्तन कर दिये गये हैं।

जहां तक इंजन में गड़बड़ी होने का प्रश्न है सभा पटल पर रखे गये विवरण में समस्त ब्योरा दिया हुआ है। इंजन में गड़बड़ी होने के प्रत्येक मामले की जांच केवल इंडियन एयर कार्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा ही नहीं अपितु डी० जी० सी० ए० के अधिकारियों द्वारा भी कर ली गई है। जहां तक इंजिन की गड़बड़ी सम्बन्धी आश्वासन का प्रश्न है हम निश्चय ही इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन से प्रार्थना करेंगे कि वे इस वर्ष इंजन में गड़बड़ी होने की घटनाओं में वृद्धि के विषय में अधिक विस्तृत जांच करें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस के पहले कि मैं दूसरा प्रश्न पूछूं मैं आप की सहायता चाहता हूं। मंत्री महोदय ने गलत चेतावनी के विषय में कुछ उल्लेख किया है। मेरी समझ में नहीं आता, मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता नहीं लगता कि यह गलत थे अथवा सच, क्योंकि हर मामले में मरम्मत की गई थी। अतः मैं नहीं समझ पाता कि गलत होने का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है। इसलिए मैं आप की सहायता चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी व्यक्ति की गलती नहीं थी, अपितु तारों के गलत सम्पर्क के कारण स्वयं विमान द्वारा ही चेतावनी दी गई थी। विमान में कोई दोष था जिस की ओर निर्माताओं का ध्यान दिलाया गया। सम्भवतः उस शब्द "गलत" के कारण उन्हें भ्रम उत्पन्न हो गया है (**अन्तर्बाधायें**)।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार के पास इस विषय का कोई समाचार प्राप्त हुआ है कि जब इन में से कुछ विमान हवाई अड्डे पर उतरे तब इन के इंजनों में गड़बड़ी पैदा हो गई और विमान से आग की चेतावनी की आवाज आने लगी और, कई अवसरों पर, हवाई अड्डों पर आग की चेतावनी देने वाले उपकरण अपर्याप्त थे और यह केवल भाग्य की ही बात थी जो कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

हल्के उपकरण उन के पास थे उन्हीं से आग बुझा दी गई और यदि हां, तो क्या सारे हवाई अड्डों पर आग बुझाने वाले अन्य सहायक यंत्र लगाने का और उन्हें बिल्कुल ठीक हालत में रखने का सरकार का विचार है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : माननीय सदस्य इंजनों में गड़बड़ी के प्रश्न से आग बुझाने वाले यंत्र के प्रश्न पर जा रहे हैं । आग बुझाने वाले यंत्रों में वृद्धि करने पर भी विचार किया जा रहा है । इस समय भी वे सन्तोषजनक हैं किन्तु फिर भी हम उन में वृद्धि करना चाहते हैं । हम उन का आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मंत्री महोदय ने संसदीय समिति स्थापित करने सम्बन्धी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे सहमत नहीं थे, इसलिये उस की आवश्यकता नहीं थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या उन्होंने यह कहा है कि वे ऐसी समिति की स्थापना से भी सहमत नहीं हैं जिसे आप नियुक्त करें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति, मैं भी सहमत नहीं हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह दुर्भाग्य की बात है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि सब से अधिक यातायात पूर्वी क्षेत्र में होता है और हम ऐसे डकोटा विमानों का प्रयोग कर रहे हैं जो बहुत अधिक अप्रचलित और पुराने हैं इसका क्या कारण है कि मरम्मत का कार्य पूर्वी क्षेत्र के मुख्य केन्द्र कलकत्ता से काफ़ी दूरी पर किया जाता है और क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इंडियन एयर लाइन्स के विमानों के संधारण के प्रश्न पर गौर किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त कर्मचारी रखे जायेंगे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : डकोटा विमानों की मरम्मत का केन्द्र कलकत्ता है । केवल ढांचे की मरम्मत अन्यत्र होती है । मरम्मत कार्य का एक बड़ा केन्द्र कलकत्ता में है और यह ठीक कार्य कर रहा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

माध्यमिक शिक्षा का स्तर

†*७२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में माध्यमिक शिक्षा का एक रूप स्तर सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावी निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसंधान के लिये छात्रवृत्तियां

†*७३२. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्राकृतिक विज्ञान समाज विज्ञान और मानव-शास्त्र के क्षेत्र में अनुसन्धान आदि करने वाले विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को वित्तीय सहायता देने के प्रावेदन-पत्रों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई प्रवर समितियों ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिस पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*७३४. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए तथा बेलिया में रखे गये विस्थापित व्यक्तियों के कुछ परिवारों को सरकार अब तक जमीन नहीं दे पाई है तथा उन का पुनर्वास नहीं कर पाई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने परिवार हैं और उन का तुरन्त पुनर्वास करने के लिये क्या योजना बनाई जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पात्र पाए गए विस्थापित व्यक्तियों को जमीन तथा अन्य स्वीकार्य अनुदान दे कर उन्हें फिर से बसा दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

युद्ध सेवा लाभ

†*७३६. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र सेनाओं से निकलने के पश्चात् असैनिक विभागों में लग जाते हैं उनकी पदोन्नति के प्रयोजनों के हेतु वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये उनकी विगत सेवाओं का लाभ उन्हें नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों के लिये सभी पदालियों में पदोन्नति देने के हेतु कुछ अभ्यंश (कोटा) आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है, जैसाकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख). असैनिक विभागों में लग जाने वाले भूतपूर्व सैनिकों पर वरिष्ठता संबंधी वही आदेश लागू होते हैं जो अन्य असैनिक सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में। २२ दिसम्बर, १९५९ को जारी किये गये विद्यमान वरिष्ठता सम्बन्धी आदेशों के अनुसार, जो अधिकांश सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, इन आदेशों के जारी होने की तिथि को अथवा उस के बाद की तिथि को असैनिक पदों/सेवाओं नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को पिछली सेवा का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अतः भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विभेद नहीं है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिये सामान्य सेवा पदालि

†*७४१. श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिये सामान्य सेवा पदालियां बनाने के मामले पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). समस्त संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवाओं की संयुक्त पदाली बनाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा

*७४४. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) यह मामला साइंटिफिक परसोनल कमेटी के विचार के लिए सौंप दिया गया है।

(ख) और (ग). कमेटी की सिफारिशों का इंतजार किया जा रहा है।

विस्थापित व्यक्तियों को आयु संबन्धी रियायतें

†*७४५. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ के बाद प्रतियोगी सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले विस्थापित व्यक्तियों को मिलने वाली आयु सम्बन्धी रियायतें वापस ले ली जायेंगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या परीक्षा में बैठने की इच्छा रखने वाले विस्थापित व्यक्ति अभ्यर्थियों के रियायत को कम से कम कुछ समय के लिये और बनाये रखने के अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है ?

†गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

डा० प्रताप सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला

†*७४६. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री ६ सितम्बर १९६३ के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में उन के दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० प्रताप सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पूर्णतया तथा सक्रिय रूप में विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां तो संविधान के अनुच्छेद ३५३(क) के उपबन्ध के अनुसार तथा / अथवा अन्यथा मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): (क) और (ख) पंजाब की सरकार से उच्चतम न्यायालय के फैसले के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिये प्रार्थना की गई थी । १४ सितम्बर १९६३ को हमें उन का टिप्पण प्राप्त हुआ था । उस का अध्ययन किया जा रहा है ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा

†*७४७. श्री राजगोपाल राव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा अन्तिम रूप से कब तक बन जायेगी तथा उस की राजपत्रित सेवा में कौन कौन अधिकारी होंगे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) :भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिये प्रारम्भिक अवस्था में नियुक्त करने के लिये चुने गये अधिकारियों के संबंध में कुछ जानकारी उन मंत्रालयों से मांगी गई है जिस में इस समय यह अधिकारी कार्य कर रहे हैं । समस्त मंत्रालयों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के तुरन्त बाद सेवा के प्रारम्भिक गठन का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा । चूंकि अभी सेवा का गठन नहीं हुआ है इसलिये इस समय चुने गये अधिकारियों का नाम प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा ।

ब्रिटिश सरकार की छात्रवृत्तियां

†*७४८. श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने ५ सितम्बर को घोषणा की है कि राष्ट्र मंडल छात्रवृत्तियां तथा अभिछात्रवृत्तियां अगले वर्ष ५०० हो जायेंगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में भारतीय विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई तथा इन छात्रवृत्तियों के अधीन इस समय कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं; और

(ग) छात्रवृत्तियों की सिफारिश करते समय सरकार क्या प्रक्रिया तथा कसौटी अपनाती है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) गत तीन वर्षों में ११२ भारतीय विद्वानों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं। ९२ विद्वान अब भी इंगलैंड में अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) छात्रवृत्तियों के विषय में विज्ञापन निकाला जाता है और इस प्रयोजन के लिये एक प्रवर समिति द्वारा गुणों के आधार पर नामों की तालिका तैयार कर ली जाती है। इंगलैंड के छात्रवृत्ति आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का अन्तिम चुनाव किया जाता है।

युवक व्यावसायिक केन्द्र

†*७४९. श्री यशपाल सिंह :
श्री सरजू पांडेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में युवक व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने योजना का समर्थन किया है; और

(ग) ये केन्द्र किस आधार पर स्थापित किये जायेंगे तथा इन में कब काम आरम्भ हो जायेगा ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) हां श्रीमान्।

(ग) केन्द्र उपयुक्त स्कूलों के साथ सम्बद्ध होंगे जिन का चुनाव राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकारों के उत्साह और सहयोग पर निर्भर करते हुए पहले २० केन्द्र १ जुलाई १९६४ से स्थापित किये जाने की आशा है।

बहुप्रयोजनीय स्कूल

†*७५०. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को अपने आप में सम्पूर्ण बनाने के लिए बहुप्रयोजनीय स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये उद्देश्य कहां तक पूरे हो गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि व्यावसायिक लोगों ने बहुप्रयोजनीय स्कूलों में अध्यापक बनने से इन्कार कर दिया है तथा इसके फलस्वरूप व्यावसायिक विषय उचित रूप में नहीं पढ़ाये गये ; और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) व्यक्ति और समुदाय के लिये माध्यमिक शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के हेतु आयोग ने ऐसे स्कूलों की स्थापना की सिफारिश दी है ।

(ख) अभी से कोई निश्चित मत व्यक्त करना उपयुक्त नहीं होगा किन्तु उन स्कूलों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं जहां अध्यापकों और उपकरणों की समुचित व्यवस्था है ।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से बहुप्रयोजनीय स्कूलों में ऐसी कठिनाइयां सामने आई हैं ।

(घ) शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय परिषद् द्वारा स्थापित प्रादेशिक शैक्षणिक कालेजों में अध्यापकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के हेतु विशेष पाठ्यक्रम चालू कर दिये गये हैं । वेतनक्रम में सुधार करके अच्छे अध्यापकों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है । पाठचर्या का पुनिरीक्षण करने और छात्रों को शिक्षा देने के लिये अधिक अच्छी सुविधायें देने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

†*७५१. श्री भावगत झा आजाद :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री गुरुशरन :
श्री बेंटा सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री वूरियर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बड़े :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (हायर सैकंडरी एजुकेशन) असफल सिद्ध हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार हाई स्कूल प्रणाली में सुधार करने का है ; और

(ग) जून १९६३ के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में हुए राज्य शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में क्या राय व्यक्त की गई ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हाई स्कूलों के स्तर की और अन्य स्तरों की शिक्षा में सुधार करने और करने के उपायों का सरकार निरन्तर निरीक्षण कर रही है।

(ग) सम्मेलन ने माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली के विषय में कोई मत व्यक्त नहीं किया।

प्रशासनिक सुधार

†*७ श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती शशांक मंजरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शासन व्यवस्था में प्रशासनिक सुधारों का सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार आयोग स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के निर्देशपद क्या हैं ; और

(ग) क्या यह आयोग राज्य सरकारों में भी प्रशासनिक सुधारों के सुझाव देगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) से (ग). अभी कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं। अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व अभी इस विषय पर और विचार किये जाने की आवश्यकता है।

तेल की पाइपलाइन

†*७५३. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया-बरौनी तथा गोहाटी-सिलीगुड़ी तेल पाइप लाइनों के निर्माण के अधीक्षण के लिए मैसर्स बेखटेल (एशिया) कारपोरेशन नामक एक अमरीकी फर्म को नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह फर्म कितनी फीस लेगी ; और

(ग) क्या इस काम को करने के लिए देश में अधीक्षण इंजीनियर उपलब्ध नहीं हैं ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) गौहाटी-सिलिगीरी पाइप लाइन के लिये मेसर्स बेचल (एशिया) कोर्पोरेशन को इंजीनियर-मैनेजर नियुक्त किया गया है। हल्दिया-बरौनी–कानपुर पाइप लाइन के लिये बेंचल कार्पोरेशन को निर्माण-प्रबन्ध नियुक्त करने के प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गौहाटी–सिलिगुरी पाइप लाइन के संबंध में इस फर्म को दी जाने वाली शुल्क इस प्रकार है :

(१) अमरीका में की गई प्रविधिक सेवाओं की शुल्क ११.४५ लाख रुपये

(२) भारत में की गई प्रविधिक सेवाओं की शुल्क १२.८७ लाख रुपये

(३) भारत में किये गये वास्तविक व्यय के अनुसार प्रतिपूर्त व्यय किन्तु यह ७.३१ लाख रुपये से अधिक नहीं होंगे ।

हल्दियाअ–बरौनी कानपुर पाइपलाइन के संबंध में शर्तों पर समझौता हो रहा है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

न्यायाधीशों को हटाने के लिये विधान

†*७५३-क. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद१२४(५) के अनुसरण में विधान बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) यह विषय विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रवण चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड

†*७५५. **श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपतनगर नई दिल्ली में श्रवण चिट फन्ड प्राईवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यालय में आग लग गई थी ;

(ख) क्या उसके बाद कम्पनी को परिसमापित घोषित कर दिया गया था ; और

(ग) क्या आग लगने के कारणों की जांच कर ली गई है और प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) वहां पर आग लगने का संभावित कारण यह समझा जाता है कि वहां किसी कोई जलती हुई चीज़ गिरी होगी । जांच के बाद पुलिस ने प्रबन्ध विभाग के विरुद्ध आरोप पत्र दायर कर दिया है और यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सालारजंग संग्रहालय की नई इमारत

†२०७४. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय की नई इमारत कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ;

(ख) प्रस्तावित इमारत की लागत क्या है ; और

(ग) इस समय संग्रहालय से प्रतिदिन कितनी आय होती है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख) सालारजंग संग्रहालय की नई इमारत की पहली अवस्था के जुलाई १९६६ के अन्त तक पूरा होने की आशा है और इसकी लागत लगभग ३८.८२ लाख रुपये पड़ेगी ।

(ख) लगभग १,००० रुपये ।

राजनीतिक पीड़ित

†२०७५. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घले/व : मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री २७ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के राजनीतिक पीड़ितों के लम्बित आवेदन पत्रों के बारे में कोई प्रतिवेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी राशि बांटी गई है ; और

(ग) जुलाई १९६३ के अन्त तक उड़ीसा के राजनीतिक पीड़ितों को बांटी गई कुल राशि कितनी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) ५०० रुपये ।

(ग) १८,०५० रुपये ।

उड़ीसा में अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†२०७६. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये राज्य तथा केन्द्र द्वारा पुरःनिधान की गई योजनाओं के अधीन १९६२-६३ में बिना खर्च की गई कोई राशि लौटाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

(लाख रुपयों में)

पिछड़े वर्गों की श्रेणी	केन्द्रीय क्षेत्र			राज्य क्षेत्र		
	आवंटन १९६२-६३	व्यय १९६२-६३	कमी (–) आधिक्य (+)	आवंटन १९६२-६३	व्यय १९६२-६३	कमी (–) आधिक्य (+)
अनुसूचित आदिम जातियां	४०.२७	३८.३०	(–)१.९७	५४.९४	४८.९७	(–)५.९७
अनुसूचित जातियां	१२.१८८	११.७८	(–)०.४०	१५.९८	१६.३१	(+)०.३३
कुल	५२.४५	५०.०८	(–)२.३७	७०.९२	६५.२८	(–)५.६४

उत्कल विश्वविद्यालय में विभागीय कर्मशालायें

†२०७७. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्कल विश्वविद्यालय को अपनी विभागीय कर्मशालाओं का विकास करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिये कोई अनुदान अथवा ऋण दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस की राशि कितनी है; और

(ग) उपरोक्त विश्वविद्यालय को इसी प्रयोजन के लिये १९६३–६४ में दिये गये अथवा दिये जाने वाले अनुदान या ऋण की राशि क्या है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) और (ख). उत्कल विश्वविद्यालय में कोई विभागीय कर्मशालायें नहीं हैं । १९६०–६१ में विश्वविद्यालय को अपने सभी विभागों की आवश्यकतायें पूरी करने के हेतु एक केन्द्रीय कर्मशाला खोलने के लिये उपकरण खरीदने के वास्ते ५,२९९ रुपये का अनुदान दिया गया था । १९६१–६२ में कोई अनुदान नहीं दिया गया था ।

(ग) कोई नहीं ।

उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेज की इमारत

†२०७८. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेजों की इमारतें बनाने के लिये १९६०-६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदान अथवा ऋण की कुल राशि कितनी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (१) अनुदान :

	१९६०-६१ रुपये	१९६१-६२ रुपये	१९६२-६३ रुपये
रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, रूरकेला	..	..	३१,००,०००
इंजीनियरिंग कालेज, बुरला	४,६१५	२,३१,४०९	२,६१,०००
कुल	४६१५	२,३१,४०९	३३,६१,०००

(२) ऋण :

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, रूरकेला	..	..	३४,८०,७३०
इंजीनियरिंग कालेज, बुरला	६,००,०००	..	..
कुल	६,००,०००	..	३४,८०,७३०

उत्कल विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग तथा प्रविधिक शिक्षा

†२०७९. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इंजीनियरिंग तथा प्रविधिक शिक्षा के विकास के लिये उत्कल विश्वविद्यालय को कुल कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को इसी प्रयोजन के लिये १९६३–६४ में दिये गये अथवा दिये जाने वालें कुल अनुदान की राशि क्या है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में क्रमशः ४,६१५ रुपये तथा २,३१,४०९ रुपये के अनुदान दिये गये थे। १९६३–६४ में १,९८,४५७ रुपये की राशि देने का विचार है।

उत्कल विश्वविद्यालय के अनिवार्य वैज्ञानिक उपकरण

†२०८०. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में उत्कल विश्वविद्यालय को अनिवार्य वैज्ञानिक उपकरणों को खरीद के लिये कोई अनुदान या ऋण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस की राशि क्या है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्कल विश्वविद्यालय को १९६३–६४ में इसी प्रयोजन के लिये दिये गये अथवा दिये जाने वाले अनुदान या ऋण की कुल राशि क्या है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** :(क)से(ग). १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में क्रमशः ३२,२९२ रुपये तथा ३८,००० रुपये के अनुदान दिये गये थे। इस प्रयोजन के लिये १९६३–६४ के पुनरीक्षित आयव्ययक प्राक्कलनों में ६०,००० रुपये की राशि का उपबन्ध करने का प्रस्ताव है।

मद्रास विश्वविद्यालय को अनुदान

†२०८१. **श्री थेवरगोंडर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय को कुल कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है;

(ख) १९६३–६४ के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) विश्वविद्यालयों को किन प्रमुख प्रयोजनों के लिये अनुदान दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायन कबिर)** : (क)

	रुपये
१९६१–६२ . . .	४०,३३,३१०
१९६२–६३	२२,२४,९८३

(ख) आयोग द्वारा कोई अनुदान निर्धारित नहीं किये जाते हैं। धन इस आधार पर दिया जाता है कि विश्वविद्यालय ने विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति में कितनी प्रगति की है।

(ग) अनुदान मुख्यतः निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये दिये गये हैं :—

(१) मानव शास्त्र तथा विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्यापन का विकास।

(२) अध्यापकों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण।

(३) शिक्षा वृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां।

(४) पुस्तकालयों का विकास।

(५) प्रयोगशालाओं का विकास।

(६) छात्रावासों का निर्माण।

(७) त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का विकास।

(८) इंजीनियरिंग तथा टैक्नालोजी का विकास।

(९) शताब्दी भवन का निर्माण।

बाल अपचार

†२०८२. **श्री राम हरख यादव** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बाल अपचार बढ़ रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में नवीनतम तथ्य तथा आंकड़े क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) बाल अपचार में वृद्धि होने के मुख्य कारण ये हैं : (१) देश में त्वरित औद्योगीकरण तथा नगरीकरण, जिस के परिणामस्वरूप विकट आवास समस्या उत्पन्न होती है, गन्दी बस्तियां बनती हैं और ऐसी बस्तियोंका खराब वातावरण; (२) संयुक्त परिवार पद्धति का ह्रास तथा बड़े हो रहे बच्चों पर माता पिता के नियंत्रण का ढ़ीला होना जिस का नतीजा यह होता है कि वे बुरे लोगों के हाथ लग जाते हैं जो उन का समाज के लिये हानिकारक कामों के लिये इस्तेमाल करते हैं; (३) धार्मिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक तत्वों का मिटते जाना; (४) सस्ते मनोरंजन, अश्लील साहित्य, भयोत्पादक पुस्तकों, रोमांचकारी अपराध चलचित्रों आदि की उपलब्धता।

(ग) १९५८—६२ में जिन बालकों को पकड़ा गया उन की संख्या निम्नलिखित है :—

१९५८	२९,७७४
१९५९	४७,९२५
१९६०	४९,२७६
१९६१	५३,७७६
१९६२	५३,८०३

इस समस्या से निबटने के लिये अनेक निवारक तथा पुनर्वास सम्बन्धी उपाय किये गये हैं जैसे कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बाल अधिनियम का प्रवर्तन, बाल गृहों की स्थापना, बाल पुलिस यूनिटों का निर्माण, बाल ब्यूरा का निर्माण, लड़कों के क्लब आदि खोलना। समाज प्रतिरक्षा (देख-रेख) कार्यक्रम के अधीन बालकों की संस्थायी सेवाओं की स्थापना के लिये राज्यों को केन्द्र से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली

†२०८३. श्री सेझियान : क्या शिक्षा मंत्री २० मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १००३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली के निर्माण में वास्तव में इस्तेमाल की गई आयातित सामग्री की लागत क्या है;

(ख) आयात की गई ऐसी वस्तुओं का मूल्य क्या है जिन का इस्तेमाल नहीं किया गया है;

(ग) क्या अप्रयुक्त वस्तुओं को निबटाने के लिये सरकार द्वारा कोई हिदायतें जारी की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) २,०३,३४२ रुपये ५५ नये पैसे।

(ख) से (घ) सरकार ने भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई देहली के अत्यधिक भले के लिये निजी बातचीत द्वारा २,६९,९१३ रुपये २४ नये पैसे की लागत के फालतू सामान का निबटाना मान लिया है। केन्द्र को सूचित किया गया था कि बातचीत द्वारा ऐसे फालतू सामान के निबटान में स्कूलों,

†मूल अंग्रेजी में

कालेजों. हस्पतालों जैसे लाभ न कमाने वाले संगठनों को अथवा निजी पक्षों की अपेक्षा सरकारी संस्थाओं को वरीयता दी जानी चाहिये। इस बीक अधिकतर फालतू सामान का निबटारा कर दिया गया है।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

†२०८४. **श्री राम हरख यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान को अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: भारत सरकार ने प्रतिष्ठान को १९६२–६३ में ५ लाख रुपये का अनावर्ती अनुदान दिया है।

कोजीकोड में लोह अयस्क

†२०८५. **श्री अ० व० राघवन्** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के जिला कोजीकोड में लौह अयस्क का पता लगाने के लिये भूतत्वीय जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो काम कब आरम्भ होगा; और

(ग) क्या केरल के किन्हीं अन्य जिलों में ऐसे सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां। १९६३–६४ के क्षेत्र मौसम में कन्नानोर जिले के कासारगोड तालुक में लौह अयस्क का पता लगाने के लिये जांच करने का प्रस्ताव है।

भारत सेवक समाज को सहायता

२०८६. **श्री रणञ्जय सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज को शिविरों के संचालनार्थ जो आर्थिक सहायता शिक्षा मंत्रालय से मिला करती थी वह बहुत कम कर दी गयी है ;

(ख) क्या अब केवल परिवार नियोजन सम्बंधी शिविरों के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक शिविर के लिए अधिक से अधिक कितनी राशि दी जायेगी ; और

(घ) क्या किसी अन्य प्रकार के शिविर आयोजित करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) कुछ कटौती की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) श्रम और समाज सेवा शिविरों के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

†२०८७. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में उड़ीसा सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां ।

(ख) ३,१०० रुपये ।

उड़ीसा में कोयला खानें

†२०८८. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी कोयला खानें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के नियंत्रण में हैं ; और

(ख) राज्य में कितनी कोयला खानें इस समय गैर-सरकारी कम्पनियों के हाथ में हैं ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उड़ीसा में पांच खानें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के नियंत्रण मे हैं ।

(ख) उड़ीसा में तीन कोयला खानें गैर-सरकारी कम्पनियों के पास हैं ।

प्राविधिक संस्थाओं को आवंटित छात्रवृत्तियां

†२०८९. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा की प्रत्येक प्राविधिक संस्था को दी गई योग्यता-तथा-साधन छात्रवृत्तियों की संख्या क्या है ; और

(ख) १९६३–६४ में इस राज्य को उक्त प्रयोजन के लिये कितनी राशि देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) पुरानी छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त १९६२-६३ में योग्यता तथा साधन छात्रवृत्ति योजना के अधीन उड़ीसा की प्राविधिक संस्थाओं को दी गई नई छात्रवृत्तियों की संख्या नीचे दी जाती है:—

संस्था का नाम	दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या
(१) प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये संस्थायें	
यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कालेज, बुरला . . .	१४
(२) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये संस्थायें	
१. झरसुगुडा इंजीनियरिंग स्कूल, झरसुगुडा . . .	२
२. उड़ीसा इंजीनियरिंग स्कूल, कटक	५
३. बरहामपुर इंजीनियरिंग स्कूल, बरहामपुर . . .	४
४. उड़ीसा स्कूल आफ माइनिंग इंजीनियरिंग, क्योंझर . .	२
५. भद्रक इंजीनियरिंग स्कूल, भद्रक	३
६. केन्द्रपाड़ा इंजीनियरिंग स्कूल, केन्द्रपाड़ा . . .	२
कुल . . .	१८

(ख) डिग्री के लिये . . . . ४२,३००.०० रुपये

डिप्लोमा के लिये . . . . १६,०५०.०० रुपये

कुल . ५८,३५०.०० रुपये

उड़ीसा के कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम

†२०९०. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री ५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्कल विश्वविद्यालय से सम्बंध ऐसे कालेजों की संख्या क्या है जिन्हें १९६०-६१ में तथा १९६१-६२ में अध्यापकों के वेतन-क्रम सुधारने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता मिली थी ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक कालेज को कितनी राशि दी गई थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख).

कालेज का नाम	दिये गये अनुदान	
	१९६०-६१ (रुपये)	१९६१-६२ (रुपये)
१. क्राइस्ट कालेज, कटक . . .	२७,४७९,५९	१०,४८०,०८
२. खलीकोट कालेज, बहरामपुर . .	५०,८५०,१४	—
३. भद्रक कालेज, भद्रक . . .	४४,४९६,०५	—
४. सुन्दरगढ़ कालेज, सुन्दरगढ़ . . .	—	१.०३७,२१

विदेशों में अध्ययन के लिये ऋण

†२०९१. श्री घूलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के पहले वर्ष में उनके मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजनाओं के अधीन भारत सरकार से ऋण ले कर अध्ययन के लिये विदेशों में गये विद्यार्थियों की संख्या क्या है ;

(ख) इन विद्यार्थियों में उड़ीसा से सम्बंध रखने वालों की सख्या क्या है ; और

(ग) इस अवधि में उड़ीसा के प्रत्येक विद्यार्थी को कुल कितनी राशि दी गई है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हूमायून् कबिर) : (क) ४ ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्लभ पाण्डुलिपियों की लघु फिल्म

†२०९२. श्री श्रीनारायण दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी महत्वपूर्ण पुरानी तथा दुर्लभ पाण्डुलिपियों की संख्या क्या है जिनकी १९६२ तथा १९६३ में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के यूनिट द्वारा लघुफिल्म ली गई थी ; और

(ख) क्या काम अभी चल रहा है अथवा इस बीच पूरा कर लिया गया है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :

(क) वर्ष	उद्भासनों[1] की संख्या
१९६२	१,८६,३२९
१९६३ (आज तक)	१,१४,३८२

†मूल अंग्रेजी में

[1]Exposures.

(ख) लघुफिल्में तैयार करने का काम सदा चलने रहने वाला है और इसके पूरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियरिंग शिक्षा

२०९३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुझाव दिया गया है कि इंजीनियरिंग की शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सिलसिले में क्या करने जा रही है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) जी नहीं, लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों पर, तकनीकी शिक्षा के पुनर्गठन और सुधार के लिए निम्नलिखित काम किए गए हैं :—

(१) पंचवर्षीय इंटेग्रेटेड डिग्री कोर्सों की शुरुआत जिन में विज्ञान और गणित की मात्रा ज्यादा हो ।

(२) दो साल के मास्टर डिग्री कोर्सों की शुरुआत ।

(३) पोलिटेक्नीकी में दो साल के तकनीशियनों के कोर्सों की शुरुआत जिस में उद्योग की ओर कार्यात्मक अभिविन्यास किया गया ।

छोटी कोयला खानों का समामेलन

†२०९४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक दृष्टि से घाटा देने वाली और अन्यथा दोषयुक्त गैर-सरकारी कोयला खानों के स्वेच्छा से आपस में मिल जाने के सरकार के सुझाव के बारे में उनका क्या प्रत्युत्तर है ; और

(ख) क्या उन में से कुछ कोयला खानों ने वह प्रस्ताव मान लिया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) कोयला खानों के स्वेच्छापूर्वक समामेलन समिति द्वारा स्वीकृत, समामेलन तथा सीमाओं के समायोजन संबंधी ४६ प्रस्तावों में से ३१ अगस्त, १९६३ के अन्त तक ३१ मामलों में वास्तव में समामेलन किया जा चुका है ।

संस्कृत सम्मेलन

†२०९५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित संस्कृत सम्मेलन ने मई, १९६३ में लखनऊ में सभा की हीरक जयन्ती महोत्सव में केन्द्रीय सरकार से संस्कृत को सहभाषा बनाने का आग्रह किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या राय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) इस आशय के कुछ समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं ।

(ख) सरकार का इस विषय में कोई कार्यवाही न करने का बिचार है ।

मोतिया खान, दिल्ली में आग

†२०९६. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० मई, १९६३ को मोतिया खान दिल्ली में आग की लपटों से, जिस के कारण ४३ झुग्गियां जल गयी थीं और १७ कारखानों को नुकसान पहुंचा था, एक लड़का मर गया था ;

(ख) क्या आग के कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच से यह पता लगा कि आग अचानक चाय की दुकान से एक चिनगारी के कारण लगी थी ।

हिन्दी का प्रयोग

२०९७. { श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :

क्या गृह कार्य मंत्री २४ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से सरकारी कार्यालयों में सरकारी काम-काज में अंग्रज़ी के साथ-साथ हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के कार्य की समीक्षा करने वाली विभागीय समिति नियुक्त की गई है तब से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व अन्य कार्यालयों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : कमेटी का काम है केवल समन्वय स्थापित करना और प्रोग्राम को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित मंत्रालयों की है । विभिन्न मंत्रालयों से जो रिपोर्टें मिली हैं उन से मालूम होता है कि पिछले करीब एक साल के अन्दर प्रारम्भिक कार्यक्रम में तथा विभिन्न राजकीय प्रयोजन के लिये हिन्दी के प्रयोग में प्रगति हुई है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†२०९८. श्रीमती सावित्री निगम : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजदूरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने क्या कदम उठाये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस निगम के बनाये जाने के बाद से मजदूरों को क्या क्या विशेष सुविधायें दी गयी हैं ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). खान अधिनियम तथा अन्य संविहित नियमों के उपबन्धों के अनुसार निगम ने अपनी कोयला खानों में कई सुविधाओं की व्यवस्था की है, जैसे उपहारगृह, विश्राम स्थल, पीने के पानी की सप्लाई, प्रथमोपचार साधन, खानों के ऊपर स्नानागार और शिशुगृह आदि ।

निगम कई औषधालय तथा चिकित्सालय भी चलाता है जहां केवल औषधियां देने तथा वहीं रह कर इलाज करवाने की सुविधायें भी हैं । मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों के लिए मकान बनाये गये हैं । प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में खान बोर्ड के सहयोग की व्यवस्था भी की गई है । जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानें स्थित हैं वहां चलाये जा रहे कुछ हाई स्कूलों में निगम वित्तीय सहायता भी दे रहा है । कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत कम किराये पर लाने ले जाने का इन्तजाम किया गया है । मनोरंजन की सुविधायें देने की व्यवस्था की गई है और उचित स्थानों पर तीन सामुदायिक रेडियो सेट भी लगाये गये हैं । कई सहकारी भंडार खोले गये हैं जहां से कर्मचारी उचित कीमतों पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं ले सकते हैं । इन भंडारों को ऋण और राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है । ४०० रु० माहवार तक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को मुफ्त बिजली देना मंजूर किया गया है । मृत कर्मचारियों के परिवारों और आश्रितों के लाभ के लिए एक दयापूर्ण उपदान योजना भी जारी की गयी है ।

अर्जित भूमि के लिये प्रतिकर

†२०९९. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में खान और ईंधन मंत्रालय ने खनन और अन्य प्रयोजनों के लिए जिन की जमीनें ले ली हैं उन्हें प्रतिकर देने के मामले में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कितना प्रतिकर अभी चुकता करना है ; और

(ग) अभी कितने आवेदन पत्रों पर विचार होना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग). खान और ईंधन मंत्रालय ने १९६२-६३ में कोई जमीन नहीं ली है ।

इस मंत्रालय के अधीन उपक्रमों के लिए ले ली गई जमीनों के संबंध में आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया/कृपया देखिए संख्या एल० टी० १७५९/६३]**

विकलांग बच्चों का कल्याण

†२१००. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में अंधे, बहरे और गूंगे, कमजोर दिमाग वाले तथा विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को कितनी रकम के अनुदान दिये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : निम्नलिखित रकमें दी गयी हैं :

वर्ष	दी गई रकम
१९५९–६०	१,७९,५३८ रुपये]
१९६०–६१	५,७३,९५८ रुपये]
१९६१–६२ . . .	३,४८,०९६ रुपये]

इस के अलावा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने भी बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न संस्थाओं को निम्नलिखित अनुदान दिये हैं :—

१९५९–६०	२,१०,१०० रुपये
१९६०–६१	१,९१,९५० रुपये
१९६१–६२	८,४६,१०० रुपये

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली में आग

†२१०१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ जून, १९६३ को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली के कर्मचारी प्रयोगशाला के गरमी तथा बिजली अनुभाग में आग लगने के कारण जख्मी हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी हां । प्रयोगशाला का एक वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक कम तामपान पर पाइरोमोटर संबंधी एक प्रयोग की व्यवस्था कर रहा था । इस संबंध में वह तरल वायु से ठंडी की हुई शराब से लो टम्परेचर बाथ तैयार कर रहा था । इस प्रक्रिया में हाई पोटेन्शियल तैयार हो गया और विस्फोट हुआ और आग लग गयी ।

विदेश भेजे गये अनुसूचित जाति के विद्यार्थी

२१०२. श्री वीरप्पा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन योजनाओं के अन्तर्गत जनवरी, १९६० से जून, १९६३ तक अनुसूचित जाति के कितने (हरिजन) विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया ; और

(ख) वे किन-किन देशों को भेजे गये हैं और प्रत्येक देश को कितने विद्यार्थी भेजे गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) चार ।

(ख) ब्रिटेन—२

अमरीका—२

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों को मिले अनुदान

२१०३. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २२ जून, १९६३ के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली के उच्च और उच्चतर विद्यालय कृत्रिम आंकड़े दिखा कर सरकार से अनुदान की वसूली करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सारी बात की पूरी तरह से जांच करा कर एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) यह समाचार, अनुदान के आधार के विषय में गलत सूचना और अनुत्तीर्ण छात्रों के अत्युक्तिपूर्ण आंकड़ों पर आधारित है ।

दिल्ली के स्कूलों में दाखिला

२१०४. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि दिल्ली के स्कूलों में दाखिले के लिये उन स्कूलों के प्रबन्धकों को दान देने वाले अभिभावकों के बच्चों के नाम अन्य लोगों के बच्चों की अपेक्षा आसानी से दर्ज किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के औचित्य पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) क्या यह सरकारी अनुमति से किया जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) जी हां, ऐसी कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

चमड़ा प्रौद्योगिकी का कालेज

†२१०५. श्री प्र० के० देव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चमड़ा प्रौद्योगिकी के कालेज की उन्नति के लिए १० लाख रुपये मंजूर किये गये थे ;

(ख) क्या वह रकम उस काम के लिए इस्तेमाल की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) १०.७६ लाख रुपये के अनुमानित अनावर्तक व्यय जिसमें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का बराबर-बराबर हिस्सा होगा, १.५४ लाख के आवर्तक व्यय जिसमें पांच वर्षों तक राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का बराबर-बराबर हिस्सा होगा, और छात्रावास की इमारत के लिए २.७० लाख रुपये के ऋण की एक योजना मंजूर की गई है ।

(ख) और (ग). उचित प्रकार से कई दौर में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है । ३१ मार्च, १९६३ तक ४.९१ लाख रुपये की रकम खर्च हो चुकी है ।

देशवार खनिज नक्शे[1]

†२१०६. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक ने कुछ देशवार खनिज नक्शे तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के लिए;

(ग) क्या वे नक्शे एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग को पेश किये गये हैं;

(घ) वे नक्शे किस हैसियत से तैयार किये गये थे; और

(ङ) वे किस उपयोग के लिए तैयार किये गये हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेसन)** : (क) और (ख). एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग के तत्वावधान में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक ने जापान के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के निदेशक के साथ मिल कर १० : ५० लाख के पैमाने से एशिया तथा सुदूर पूर्व के खनिज वितरण मानचित्र का एक प्रारूप तैयार किया था । यह नक्शा एशिया तथा सुदूर पूर्व आयोग के निम्नलिखित सदस्य देशों द्वारा १० : २० लाख के पैमाने से खनिज पदार्थों के नक्शे के रूप में दी गयी जानकारी के आधार पर बनाया गया है :—

अफगानिस्तान, ब्रूनेई, बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, डच न्यू गिनी, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, तैवान, जापान, लाओस, मलाया, उत्तरी बोर्नियो, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, सारावाक, थाईलैंड और वियतनाम ।

(ग) खनिज विवरण मानचित्र का प्रारूप अप्रैल, १९६३ में एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग को पेश किया गया था ।

(घ) यह काम भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक ने एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग के लिए एशिया तथा सुदूरपूर्व का खनिज विवरण मानचित्र तैयार करने के लिए एक समन्वयकर्ता की हैसियत से शुरू किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Country-wise Mineral Maps.

(ङ) यह नक्शा एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग के अधीन प्रदेश के लिए अपने किस्म का यह नक्शा ही होगा और वह मूलभूत उपयोगी वैज्ञानिक जानकारी देगा। वह एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग के अधीन प्रदेश के आर्थिक विकास की संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

दिल्ली में अनैतिक पणन

†२१०७. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मालूम करने के लिए कि अनैतिक पणन दमन अधिनियम दिल्ली में कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, कोई जांच समिति कायम करने की कोई योजना है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के जी० बी० रोड इलाके में अब भी वेश्यालय चल रहे हैं ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) जी नहीं, लेकिन गैर-सरकारी कर्मचारियों की एक परामर्शदातृ समिति इस सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) को सलाह देती है।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली में न पहचाने गये शव

†२१०८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई और जून, १९६३ में राजधानी में ऐसे कितने शव पाये गये जिन्हें पहचाना नहीं जा सका ?

†**गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजरनवीस)** : २५।

मैसूर उच्च न्यायालय

†२१०९. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मैसूर उच्च न्यायालय में कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ख) उनमें से कितने मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई हो चुकी है लेकिन जिन पर अभी तक फैसला नहीं दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) ३१ अगस्त, १९६३ को ७,९१० मामले विचाराधीन थे।

(ख) १०।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में अध्ययन के लिए ऋण

†२११०. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय की योजनाओं के अधीन १९६१–६२ और १९६२–६३ में इस देश में और विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रों को वास्तव में कितनी रकम के ऋण दिये गये ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :**

हमारे देश में		विदेशों में	
१९६१–६२ और १९६२–६३	कुछ नहीं	१९६१–६२	९,९९६ रुपये
		१९६२–६३	१७,५६७ रुपये

मेधावी बच्चों की शिक्षा

२१११. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान या किसी अन्य संस्था या समिति के द्वारा मेधावी बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) मेधावी बच्चों की शिक्षा के प्रबन्ध के लिए अब तक सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने "प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मेधावी बच्चों की पहिचान और उनका प्रभाव क्षेत्र" नामक अध्ययन शुरू किया है । माध्यमिक स्कूल स्तर पर वैज्ञानिक निपुणता की पहिचान और प्रोत्साहन के लिए, परिषद् ने दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रायोजना भी शुरू की है । इस प्रायोगिक प्रायोजना की कार्यपद्धति से प्राप्त अनुभव के आधार पर, इस कार्यक्रम को विकसित करने का विचार है ।

भारत के संविधान संबंधी कागजात

†२११२. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत का संविधान बनाने से सम्बन्धित (१) डा० राजेन्द्र प्रसाद (२) डा० अम्बेडकर (३) श्री अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर और (४) श्री के० एम० मुंशी के कागजात राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त करने की दिशा में कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नतीजा निकला;

(ग) राष्ट्रीय महत्व के प्रलेख प्राप्त करने के लिए क्या सरकारी कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या इस विषय में कोई विधान बनाया जाने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के निजी कागजात प्राप्त करने के सम्बन्ध में कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई थी लेकिन उन की असमय ही मृत्यु हो जाने के कारण मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। डा० अम्बेडकर के कागजों को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिये जाने के बारे में उन की विधवा से प्रार्थना की गयी थी लेकिन अभी तक उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सर्वश्री अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर और के० एम० मुंशी के कागजात प्राप्त करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

(ग) इस मामले में सरकार का कोई कार्यवाही न करने का विचार है। जब कभी आवश्यकता होती है तब इस बात के लिए प्रयत्न किये जाते हैं कि उन कागजों के मालिक अपनी इच्छा से वे कागजात दे दें।

(घ) जी नहीं।

कुठ[1] से तेल का निकाला जाना

†२११३. श्री हेमराज : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पूना में पंजाब के लाहौल जिले से कुठ से तेल निकालने के जो प्रयोग किये जा रहे हैं उनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उसकी खली किस काम में लायी जा सकती है; और

(ग) क्या उस आशय के भी कोई प्रयोग किये गये हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) तेल निकालने के प्रयोग चल रहे हैं।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग नहीं किये गये हैं लेकिन वह अगरबत्ती उद्योग के लिए लाभदायक हो सकती है।

मैला उठाने के लिये ठेला गाड़ियां

२११४. श्री मोहन नायक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य की कितनी नगर-पालिकाओं में मैला और गन्दगी ले जाने के लिये ठेला गाड़ियां काम में लायी जाती हैं; और

(ख) इसके लिये केन्द्र सरकार ने अप्रैल, १९५७ से अप्रैल, १९६३ तक कुल कितना धन मंजूर किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Kuth.

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ३४ ।

(ख)

	रु०
१९५७–५८	३९,०००
१९६०–६१	५५,०००
१९६१–६२	७७,०००
१९६२–६३	२,००,०००
योग	३,७१,०००

नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये लायन्स क्लब

२११५. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्रीमती शशांक मंजरी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश भर में नेत्रहीन आदमियों के लिये लायन्स क्लब बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो इस वक्त सरकार की देख रेख में कितने रोजगार केन्द्र चल रहे हैं ; और

(ग) उन में कितने नेत्रहीन व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं। 'लायन्स क्लब' व्यापारिक और व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित 'सर्विस क्लब' हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना

२११६. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्रीमती शशांक मंजरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ अगस्त, १९६३ को पुलिस ने जनपथ पर १५ टीन विस्फोटक पदार्थ एक दुकानदार से बरामद किये ;

(ख) यदि हां तो इन टीनों में क्या-क्या विस्फोटक वस्तुएं थीं ;

(ग) यह विस्फोटक पदार्थ कितने मूल्य के थे ; और

(घ) उस दुकानदार के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां। १७ अगस्त, १९६३ को विस्फोटक पदार्थों की १५ गत्ते की पेटियां बरामद की गई थीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) प्रत्येक पेटी में पचास पचास गनकार्क पोटाशियम क्लोरेट तथा आर्सेनिक सल्फाइड के निषिद्ध मिश्रण के बरामद हुए अर्थात् कुल मिला कर ७५० गनकार्क ।

(ग) पन्द्रह रुपये ; तथा

(घ) दुकानदार पर भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा ६ के अधीन मुकदमा चलाया जा रहा है ।

पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

†२११७. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १७ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार की समस्या पर विशेषज्ञ समिति ने इस बीच विचार किया है : और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). उस समिति की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का डिजाइन और इंजीनियरिंग यूनिट

†२११८. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १७ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में तैयार की गयी प्रक्रियाओं के मूल्यांकन में सहायता करने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में डिजाइन और इंजीनियरिंग यूनिट की स्थापना के संबंध में नवीनतम प्रगति क्या हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (डिजाइन और इंजीनियरिंग यूनिट स्थापित किया जा चुका है और थोड़े से कर्मचारी भरती किये गये हैं । यह यूनिट पिछले जून से काम कर रहा है और आजकल विभिन्न दशाओं में आठ परियोजनाएं चला रहा है । एक परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और परियोजना रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेगी ।

सेक्शन आफिसरों का पैनल

†२११९. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री १० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सेक्शन आफिसरों के पैनल संबंधी संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर विचार किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) तथा (ख). इस बीच यह निश्चय किया गया है कि १९५९ और १९६० की परीक्षाओं के शेष परीक्षार्थियों का नामावलि सेक्शन आफिसरों को श्रेणी के लिए चुनी हुई नामावलि में शामिल की जाने के लिए तैयार की जानी चाहिये। यह नामावलि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और प्रतिवर्ष थोड़ी थोड़ी तैयार होगी एवं नियमों में उल्लिखित पांच वर्ष की अवधि की आवश्यकतानुसार तैयार की जायेगी ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†२१२०. श्री अ० चि० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम से आयुर्वेदिक विभाग हटा दिया है और स्नातकोत्तर पाठयक्रम खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक कालेज के जुलाई, १९६० में चिकित्सा विज्ञान कालेज बनने पर विश्वविद्यालय ने आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम के लिए नए दाखिले बन्द कर दिये। एक आयुर्वेदिक अनुसंधान तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की योजना सरकार ने स्वीकार की थी। केन्द्र ने वर्तमान शिक्षा वर्ष के आरम्भ से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। दो लाख रु० का अनावर्तक अनुदान और एक लाख रु० का आवर्तक अनुदान १९६२-६३ में स्वीकार किया गया है।

दिल्ली के स्कूलों में एम० ए० बी० टी० अध्यापकों की पदोन्नति

†२१२१. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री ३ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों में अभी तक एम० ए० बी० टी० अध्यापकों की पदोन्नति नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) हाल में कितनी पदोन्नतियां की गई हैं और इनमें प्रशिक्षित स्नातकों तथा भाषा अध्यापकों की कितनी संख्या है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हाल में श्रेणी—१ के भाषा अध्यापकों (हिन्दी) के पदों के लिए तैंतीस एन्दर्थ पदोन्नतियां की गई हैं। ये पदोन्नतियां भाषा अध्यापक (हिन्दी) श्रेणी—२ के पदों से हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के अध्यापकों के लिए अलग वेतन आयोग

†२१२२. { श्री उमा नाथ :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अध्यापक संघ ने मांग की है कि अध्यापकों के वेतन तथा काम की शर्तों की जांच एक अलग वेतन आयोग से कराई जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) आयोग की नियुक्ति कब होगी ?

†शिक्षा मंत्रालय के मारंाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली पोलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्स

†२१२३. श्री श्रीनारायणदास : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पालिटैक्निक में एक आंशिक काल पृथक डिप्लोमा या एक सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम आरम्भ करने के प्रश्न पर हाल में सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाष्पायन तेल[1]

†२१२४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमाटी तेल शोधक कारखाने में हाल में वाष्पायन तेल नामक एक नये उत्पाद का उत्पादन होने लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक तेल का कितना उत्पादन हुआ है और इस नये उत्पाद के लिये तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) अब तक लगभग ८०० मीट्रिक टन । उत्पादन क्षमता २४००० मीट्रिक टन तक प्रति वर्ष है ।

लदान सुविधाओं का सर्वेक्षण

†२१२५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्द वैगनों के आने जाने के लिए अपेक्षित लदान सुविधाओं का सर्वेक्षण करने के लिए उन के मंत्रालय ने कोई टेक्निकल समिति बनाई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vaporising Oil.

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं और उस के निर्देश पद क्या हैं ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). कोयला नियंत्रक संगठन में एक रेलवे इंजीनियर और एक खान इंजीनियर वाली एक टेक्निकल सैल बनाई गई है । इस सैल के कार्य निम्न हैं :—

(१) कोयला खानों में बंकर बनाने या लदान की अन्य मशीनी व्यवस्था का सर्वेक्षण करना ;

(२) उपरोक्त पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाना ; और

(३) आवश्यक मशीनों आदि की उपलब्धता का ध्यान रख कर ऐसा प्रबन्ध करने का निश्चित प्रोग्राम बनाने के सुझाव देना ।

बेलाडिला लोह अयस्क निक्षेप

†२१२६. श्री प० कुन्हन :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बेलाडिला लोह अयस्क निक्षेपों की अध्ययन यात्रा के लिए यवत आइरन एण्ड स्टील कम्पनी के मि० सदाओ सुनमता के नेतृत्व में छः सदस्यीय एक जापानी सर्वेक्षण दल मध्य प्रदेश गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन के सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा ; और

(ग) इन निष्कर्षों का ध्यान रख कर इन निक्षेपों के शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां । जापानी इस्पात उद्योग ने मध्य प्रदेश के बेलाडिला क्षेत्र से लोह अयस्क खरीदने का करार किया है । इस उद्योग की ओर से एक जापानी सर्वेक्षण दल २९ मई और ६ जून, १९६३ के बीच मध्य प्रदेश के बेलाडिला क्षेत्र गया ।

(ख) बेलाडिला की अपनी यात्रा की समाप्ति पर, दल ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को एक रिपोर्ट दी, जिस में सुझाव दिया कि :

(१) बेलाडिला में अयस्क खान संख्या ५ और संख्या १४ का जापान को लौह-अयस्क देने के लिये विकास किया जाये; और

(२) संभव है कि बेलाडिला में अयस्क खान संख्या १० जापानी इस्पात मिलों को वांछित अयस्क न दे सके ।

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० आज कल सर्वेक्षण दल के सुझावों पर विचार कर रहा है । अयस्क खान संख्या १४ के वाणिज्यिक प्रयोग के लिये निगम पहिले से ही परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है । निगम अयस्क खान संख्या १० के विकास की सम्भावनाओं की भी जांच इस प्रकार कर रहा है कि उस से जापान के साथ हुए करार के विवरणों के अनुसार अयस्क का उत्पादन हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माध्यमिक शिक्षा की कैम्पस परियोजनायें

†२१२७. **श्री मान सिंह पु० पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक शिक्षा की कैम्पस परियोजनायें चालू वित्त वर्ष में भी चल रही हैं; और

(ख) चालू वर्ष में नई परियोजनाओं के लिये कुल कितना उपबन्ध किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) राष्ट्रीय संकट के कारण चालू वित्त वर्ष में कोई नई परियोजना स्वीकार नहीं की गई है परन्तु संकट से पहिले स्वीकृत तथा आरम्भ की गई परियोजनाओं के लिये अनुदान की किश्त दी जा रही है ।

(ख) शून्य ।

स्टेनोग्राफर

†२१२८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के विकेन्द्रीकरण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार सेवा को पुनः केन्द्रीय नियंत्रण में लाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाल में कोई नहीं मिला । भारत सरकार स्टेनोग्राफर संघ ने १९६१–६२ में इस बारे में अभ्यावेदन दिया था और उस समय उन पर विचार किया गया था ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा कक्षायें

†२१२९. **श्री प० कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि वह भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों के लिये केरल विश्वविद्यालय में शिक्षा कक्षायें प्रारम्भ करे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)**: (क) केरल सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल में होम गार्ड

†२१३०. श्री प० कुन्हन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में "होम गार्डों" की भर्ती और उन्हें रखने के लिये केरल को कोई विशेष अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

†२१३१. श्री प० कुन्हन : क्या खान और ईंधन मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कौन कौन विभाग फरीदाबाद चले गये हैं और वे वहां कब गये;

(ख) क्या निगम के सभापति का कार्यालय और अतिथि-गृह अब भी पूसा-रोड, नई दिल्ली में है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभापति कार्यालय और अतिथि गृह को अलग रखने पर होने वाले व्यय का क्या ब्यौरा है ।

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के अनेक विभाग, केवल काम चलाऊ दफ्तर को छोड़ कर, तीन बार में नई दिल्ली से फरीदाबाद भेज दिये गये । इन के जाने की तारीखें नीचे प्रत्येक के सामने अंकित हैं :—

(१) आयोजन विभाग . .	२२-४-१९६३
(२) क्रम तथा लेखा	२१-५-१९६३
(३) अनुशासन, संस्थापन्न, वित्त, परियोजना तथा बोर्ड सेक्शन .	२७-५-१९६३

(ख) सभापति का कार्यालय और अतिथि गृह नई दिल्ली में रखे गये हैं ।

(ग) सभापति को भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों तथा अन्य कार्यालयों विशेषकर निगम में दी गई अनेक परियोजनाओं के आरम्भ काल में, के निरन्तर सम्पर्क में रहना पड़ता है । तदनुसार काम चलाऊ कार्यालय, जिस में सभापति और वित्त नियंत्रक तथा महालेखा अधिकारी एवं न्यूनतम कर्मचारी हैं, नई दिल्ली में रखा गया है ।

अतिथि गृह के बारे में यह है कि इसे निर्देशकों, परामर्शदाताओं, और विभिन्न परियोजना अधिकारियों आदि के लिए, जो निगम के कार्य से नई दिल्ली आते हैं, रखना अनिवार्य पाया गया है, क्योंकि दिल्ली में उनके उपयुक्त आवास के लिए उन्हें कठिनाई होती थी ।

(घ) काम चलाऊ कार्यालय और अतिथि गृह दोनों ही एक इमारत में हैं । कार्यालय नीचे की मंजिल पर और बरसाती में है जब कि अतिथि गृह पहिली मंजिल पर है । सारी इमारत का किराया २,७०० रु० मासिक है एवं इसके अलावा सामान्य संधारण पर जैसे बिजली, पानी, आदि पर, व्यय होता है ।

---

†तूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारी

†२१३२. **श्री प० कुन्हन** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के दस अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है और उनके विरुद्ध कुछ जांच पड़ताल हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनका तबादला करने के क्या कारण हैं तथा उस का ब्योरा क्या है; और

(ग) जांच पड़ताल कब से हो रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग) औद्योगिक प्रबंध मूल प्रणाली का एक अधिकारी जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में प्रति नियुक्ति पर था, मार्च, १९६३ में बदल दिया गया। उस पर कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था और उनकी जांच हो रही है। फरवरी, १९६२ में अधिकारी पर लगाये गये कुछ आरोप की जांच हो गई है, जबकि नवम्बर १९६२ में लगाये गये आरोप की जांच पड़ताल हो रही है।

दिल्ली में यातायात नियम

†२१३३. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यातायात में नियमों को कड़ा बनाने पर भी, माल ढोने वाली अनेक गाड़ियां रात दिन लम्बे नल, इस्पात की छड़ें और गर्डर लिये इधर उधर आती जाती हैं और उनके गाड़ियों से निकले हुए भागों पर न लाल झंडी होती है और न ही लालटेन लटकी होती है और इससे सड़कों पर यातायात में बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो नागरिकों के जीवन के इस खतरे को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) इस संबंध में यातायात नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आये हैं।

(ख) ऐसे मामलों में अभियोग चलाये गये हैं और अपराधियों को पकड़ने में बड़ी सतर्कता की जाती है।

रायफल ट्रेनिंग

†२१३४. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६२ में चीनी आक्रमण होने के बाद कितने नागरिकों को राज्यवार रायफल जलाने की ट्रेनिंग दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)**: राज्यों/प्रशासनों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†२१३५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने लद्दाख के सीमान्त क्षेत्रों में अपनी कार्यवाही आरम्भ करने का निश्चय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कल्याण कार्यक्रम का क्या ब्योरा है और इस उद्देश्य के लिए क्या संसाधन उपलब्ध किये जायेंगे ;

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है और भारत सरकार ने उसे स्वीकृत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें किस साधन तथा प्रक्रिया से लागू किया जायेगा ?

†शिक्षा मंत्रालय में के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) क्षेत्र में तीन कल्याण विस्तार परियोजना केन्द्र खोलने का विचार है । होने वाले व्यय की गणना की जा रही है ।

(ग) कार्यक्रम को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की एक योजना के अन्तर्गत अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसके लिए भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) प्रसूति सेवा, बालवारी, शिल्पी प्रशिक्षण तथा समाज शिक्षा जैसी कार्यवाही आरम्भ करने का विचार है । कार्यक्रम जम्मू तथा काश्मीर के समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के नियंत्रण में बनाई गई परियोजना कार्यान्विति समिति(यों) द्वारा लागू किया जायेगा ।

सर्वे आफ इंडिया ट्रेनिंग स्कूल

†२१३६. श्री भक्त दर्शन : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून स्थित सर्वे आफ इंडिया का प्रशिक्षण निदेशालय हाल में वहां से हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) भेज दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण निदेशालय को हैदराबाद किस आधार पर भेजा गया ; और

(ग) हैदराबाद में प्रशिक्षण निदेशालय के कर्मचारियों के रहने के लिये क्या प्रबंध किया गया है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जी हां ।

(ख) हैदराबाद में विस्तार और प्रशिक्षण के लिए अधिक अच्छी सुविधाएं हैं ।

(ग) कर्मचारियों ने अपने रहने के इंतजाम खुद किए हैं ।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक

२१३७. श्री भक्त दर्शन : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के जीवन चरित संग्रह और प्रकाशित करने की एक योजना कुछ वर्ष पूर्व स्वीकार की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक इस विषय में कितनी प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): : (क) जी हां ।

(ख) से (ग) स्थिति नीचे दी गयी है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० १७६०।६३]

दिल्ली यातायात

†२१३८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में यातायात विनियमों का प्रवर्त्तन की कार्यवाही करने के बाद सड़क-स्थिति में काफी सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस)**: (क) और (ख) जी हां । सुरक्षा तथा सड़क परिचालन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

कोयला खानें

†२१३९. **श्री उटिया** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने शहडोल जिले (मध्य प्रदेश) में कितनी कोयला खानों का काम अपने हाथ में ले लिया है और वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) प्रत्येक कोयला खान में कितना कोयला निकाला जा रहा है और उस पर कितना व्यय हो रहा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). तीसरी योजना काल में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दो खोनों को खोलनें की योजना बनाई है । ये दो खानें इस प्रकार हैं :—

(१) बिजरी रेलवे स्टेशन के पास अन्नूपुर–चिरमिरी रेलवे लाइन पर बिजूरी नामक स्थान पर और (२) १५ तथा १८ मील-चिन्हों के बीच में अन्नूपुर-चिरमिरी लाइन पर जमुना नामक स्थान पर । बिजूरी परियोजना का प्रतिवर्ष में ०.३६ मिलियन टन उत्पादन करने का लक्ष्य है और इस पर लगभग दो करोड़ तथा ६ लाख रुपये कुल लागत आयेगी । तीसरी योजना के अन्त में जमुना परियोजना प्रति वर्ष में ०.५ मिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य रखती है तथा चौथी योजना के दौरान में प्रति वर्ष उत्पादन को एक मिलियन टन तक बढ़ाया जाये । इस परियोजना की कुल लागत लगभग ४ करोड़ और ८७ लाख रुपये होगी । फिलहाल ये दोनों परियोजनाएं निर्माण स्थिति में हैं ।

अशोधित तेल

†२१४०. **श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : क्या खान और ईंधन मंत्री २१ अगस्त १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा आयल कम्पनी और आसाम आयल कम्पनी की लागत बाहर जाने वाले धन और करों के बावजूद ९ प्रतिशत लाभांश की गारन्टी दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस बात को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की है कि ये लागत और बाहर जाने वाला धन अधिक और अयुक्तियुक्त है ; और

(ग) कितना नियंत्रण रखा जाता है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इसका अनुपूरक करार दिनांक २७-७-६१ में आयत इंडिया समिति ने भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के समान अंश है सभी करों का भुगतान करने के पश्चात् अंशधारियों को ९ प्रतिशत न्यूनतम लाभांश देने का उपबंध है ।

(ख) और (ग) कम्पनी के वित्तीय मामलों के ऊपर नियंत्रण करने के लिये, भारत सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी को कम्पनी का वित्तीय निदेशक बनाया है । प्रबंध निदेशक को वित्तीय के सभी मामलों में वित्तीय निदेशक से परामर्श करना आवश्यक है और वित्तीय निदेशक वित्तीय नीतियों एवं विचारों वाले सभी मामलों पर प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल को मंत्रणा देने के लिये उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त, आयल इंडिया समिति के निदेशक मंडल में भारत सरकार एवं बर्मा आयल कम्पनी के समान प्रतिनिधि हैं और यदि एकमत से निर्णय नहीं हो पाता, तो मामला समझौते के लिये दोनों अंशधारियों के पास जाता है ।

"ओमबड्समैन"

†२१४२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसदीय जांच के लिये "ओमबड्समैन" का आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता एवं संभावना का विचार किया है ; और

(ख) क्या इसके बारे में कोई सुझाव दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां सरकार ने प्रारंभिक अध्ययन किया है ।

(ख) जी हां ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

†२१४३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किन पदों तथा वेतन पर पुनर्नियुक्त किया गया ; और

(ख) उक्त पुनर्नियुक्ति के मामले में क्या तरीका अपनाया गया और क्या उच्चतम न्यायालय से सलाह ली जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कोई औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, केवल समन्वय की दृष्टि से सभी मंत्रालयों से प्रार्थना की गई है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में बातचीत करने से पहले गृह-कार्य मंत्रालय से परामर्श लिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम के घंटों का बढ़ाया जाना

†२१४४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकट काल के पश्चात् काम के घंटे बढ़ाये जाने के लाभों का कोई अध्ययन किया हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या आंकड़ों का संक्षेप तथा निष्कर्ष दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा अध्ययन करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग) कोई अध्ययन नहीं किया गया है, किन्तु काम के घंटे बढ़ाये जाने से अधिक काम हुआ है और कुछ मितव्ययता भी हुई है ।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

२१४५. **श्री कछवाय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति, वेतन और पदोन्नति संबंधी सेवा नियम बना लिये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : जी, हां ।

कलात्मक वस्तु क्रय समिति

२१४६. **श्री कछवाय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्ट पर्चेज कमेटी नें पिछले तीन वर्षों में कितने मूल्य का कला संबंधी सामान खरीदा;

(ख) कमेटी यह खरीद व्यक्तियों या संस्थाओं से करती है, और

(ग) ऐसे सामान की कीमत निर्धारित करने के क्या नियम हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) आर्ट परचेज कमेटी कोई खरीद नहीं करती पर उसकी सिफारिशों पर नेशनल म्यूजियम ने २१, ३६, ४०१ रूपयों और नेशनल गैलरी आफ मौडर्न आर्ट ने २, ६४, ४२९ रूपयों की चीजें खरीदीं ।

(ख) दोनों स्रोतों से ।

(ग) इसका कोई निश्चित नियम नहीं है । किसी चीज की कीमत तै करने के लिए कमेटियां बाजार की हालत, उस चीज के पुरातनत्व और दुर्लभता जैसी बातों को ध्यान में रखती हैं ।

शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता

२१४७. **श्री कछवाय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता समिति द्वारा बनाई गई योजनाओं पर सरकार ने पिछले २ वर्षों में कितना धन खर्च किया, और

(ख) उसमें से श्री शंकर को कितना धन दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) २,१०,००० रूपये ।

(ख) कुछ नहीं ।

तिब्बती शरणार्थियों के लिये सांस्कृतिक योजनायें

२१४८. **श्री कछवाय** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तिब्बती शरणार्थियों के लिए सरकार ने क्या-क्या सांस्कृतिक योजनायें बनाई हैं;

(ख) उन पर कब से अमल हुआ है; और

(ग) उन पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) भारत में तिब्बती शरणार्थियों के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक योजनाएं बनाई गयी हैं :—

(१) ११ तिब्बती शिक्षित लामाओं को विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूशनों में अनुसंधान करने के लिए प्रति व्यक्ति ३०० रुपये प्रति मास की फ़ेलोशिपें ।

(२) डिग्री स्तर की शिक्षा पूरी करने के लिए २५ तिब्बती लामा छात्रों को प्रति व्यक्ति १०० रुपये प्रति मास की छात्रवृत्तियां ।

(३) अम्डो तिब्बतन कल्चुरल ड्रामा ट्रप, मंसूरी और तिब्बतन् रिफ्यूजीज़ कल्चुरल एण्ड ड्रामेटिक इंस्टीट्यूट, धर्मशाला को ईक्विपमेंट ग्रांट ।

(४) लेह में स्कूल आफ बुद्धिस्ट फिलासफ़ी की स्थापना ।

(५) त्सेचू आफरिंग असोसिएशन कलिंपोंग को लाइब्रेरी हाल और स्कूल भवन के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान ।

(६) सिक्किम में शेदह और दुन्दह केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान ।

(७) तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और प्रचार तथा तिब्बती रिफ्यूजियों के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं देने के लिए शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग और डलहोजी में तिब्बतन स्कूल्स सोसायटी के जरिये तिब्बतन होम्स फाउंडेशन की स्थापना ।

(ख) और (ग) १९५९–६० में तिब्बती शरणार्थियों के आने के समय से अब तक करीब २९,६०,८७२ रुपये खर्च किये गये हैं ।

शिक्षा निदेशालय, देहली

†२१४९. **श्री कछवाय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि शिक्षा निदेशालय, देहली के पास फालतू कर्मचारी हैं फिर भी वह विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को अभी तक भर्ती कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). शिक्षा निदेशालय, देहली के अधीन कोई भी फालतू कर्मचारी नहीं हैं। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती उपलब्ध, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये की गई है या की जा रही है।

राजस्थान के जागीरदारों के कर्मचारी

†२१५०. **श्री काशीराम गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जागीरों पर कब्जा करते समय राजस्थान सरकार ने भारत सरकार की सहमति से, यह गारंटी दी थी कि उस समय के जागीरदारों के कर्मचारियों को राज्य की सेवाओं में लगा लिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि बहुतेरे ऐसे कर्मचारियों को अभी तक विविध राज्य सेवाओं में नहीं लिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया था कि कब्जाकृत जागीरों के कर्मचारियों को, जो सरकारी सेवा के उपयुक्त समझे जायेंगे और जो ५५ वर्षों से कम हों, सेवा में लगाया जायेगा। इस निर्णय के लिये भारत सरकार की स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं।

(ख) और (ग). इन प्रश्नों पर विचार करना राज्य सरकार का काम है।

यू० डी० सी० पदाली का उन्मूलन

†२१५१. **श्री उमानाथ :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्लर्क संघ की इस मांग पर कोई निर्णय कर लिया है कि अपर डिवीज़न क्लर्कों की पदाली समाप्त करके सभी वर्तमान यू० डी० सी० को सहायकों के पद पर पदोन्नत कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

कारतूसों और बन्दूकों का पकड़ा जाना

२१५२. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्रीमती शशांक मंजरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालिम्पोंग के निकट तिस्ता पुल की चौकी पर नियुक्त भारतीय पुलिस ने ५०० कारतूस तथा कुछ बन्दूकें पकड़ीं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है, और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

२१५३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ५ वर्षों में सेशन जजों के पदों से सेवा-निवृत होने के बाद कितने व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : दस ।

आयल इंडिया कम्पनी द्वारा आसाम में भूमि का अधिगृहण

†२१५४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है के आयल इंडिया समिति आसाम में समुचित बातचीत के बिना बलात् छिद्रण करने के लिए भूमि में भूमि अधिग्रहण कर रही है जिस से भूमि के मालिकों को अनावश्यक परेशानी में डाल दिया गया है;

(ख) इस को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने आयल इंडिया समिति को गैर-सरकारी बातचीत द्वारा भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दे दिया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) आयल इंडिया कम्पनी द्वारा बातचीत के बिना बलात् भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी किसी शिकायत की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कराया गया । तथापि सरकार का ध्यान ज़िला अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में अपनाये गये तरीके के खिलाफ शिकायतों की ओर दिलाया गया है ।

(ख) भूमि मालिकों को परेशानी से बचाने के लिये आयल इंडिया कम्पनी को कहा गया है कि वह भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी अपने प्रस्तावों की सूचना राज्य के राजस्व अधिकारियों को काफी समय पहले दें । राज्य सरकार से भी प्रार्थना की गई है कि वह भूमि अधिग्रहण से भूमि मालिकों को होने वाली कठिनाइयों को रोकने के लिये उचित कार्यवाई करें ।

(ग) आयल इंडिया कम्पनी स्वायत्त संगठन है और यह निर्णय कर सकता है कि आया भमि अधिग्रहण गैर सरकारी बातचीत के द्वारा किया जाये; अतः सरकार द्वारा आयल इंडिया कम्पनी को ऐसे मामलों में अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गृह-निर्माण संबंधी सहकारी समितियां

†२१५५. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की गृह-निर्माण सम्बन्धी सहकारी समितियों से कोई अधिशुल्क (प्रीमियम) की राशि ली गई है;

---

†भूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, किन समितियों से और किस दर पर;

(ग) क्या ऐसी समितियों से भी अधिशुल्क ली गई है जिनकी दिल्ली में भूमि थी, जिसका अर्जन कर लिया गया था और बाद में फिर जिसे वापिस लौटा दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी समितियों से अधिशुल्क लेने का क्या कारण है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) (क) और (ख). जिन शर्तों के अधीन दिल्ली की गृह निर्माण सम्बन्धी सहकारी समितियों को भूमि दी जाती है, वे दिल्ली में अर्जित भूमि के बांटने के सम्बन्ध में भी श्री पी० जी० देब द्वारा नियम १९७ के अधीन दी गई सूचना के उत्तर में २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी हुई हैं। उस के अनुसार गृह-निर्माण सम्बन्धी समितियों से दी हुई भूमि के लिये जो अधिशुल्क ली जायेगी वह इस प्रकार होगी :—

(१) यदि अविकसित भूमि दी जाती है तो प्रीमियम, अर्जन की लागत जमा सामान्य दरों से आधी अतिरिक्त शुल्क और पहले १० वर्ष के लिये १ रुपया प्रति वर्ष की दर से भूमि किराया और उस के बाद अधिशुल्क का २½ प्रतिशत होगा; किन्तु प्रति ३० वर्ष बाद इसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा; और

(ख) जहां विकसित भूमि दी जाती है वहां अधिशुल्क रक्षित मूल्य अर्थात् अर्जन और विकास की लागत जमा सामान्य से दरों अतिरिक्त शुल्क और पांच वर्षतक एक रुपया प्रति वर्ष की दर से भूमि किराया और उस के बाद अधिशुल्क का २½ प्रतिशत होगा; किन्तु प्रति ३० वर्ष बाद इस का पुनिरीक्षण किया जा सकेगा।

उन समितियों की सूची जिन्होंने अधिशुल्क दिया है, संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १७६१६३]

(ग) और (घ). समस्त सहकारी समितियों से, जिन में वे समितियां भी सम्मिलित हैं जिन की भूमि का अर्जन किया गया था, उपर्युक्त दरों से अधिशुल्क लिया गया है। समितियों की जिस भूमि का अर्जन किया जाता है उसका प्रतिकर पृथकशः भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अनुसार, जिसके अधीन दिल्ली के नियोजित विकास के लिये भूमि अर्जित की जाती है, दिया जाता है।

हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां

२१५६. श्री इ० मधुसदन राव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९६३–६४ में हिन्दी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों के लिये कोई छात्रवृत्तियां मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं; और

(ग) छात्रवृत्तियां देने का क्या मापदण्ड रखा गया है ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) १९६३–६४ के दौरान २२० छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उम्मीदवारों का चुनाव उनके राज्य अथवा संघीय प्रशासन के लिए निर्धारित कोटे के आधार पर किया जायेगा । जो उम्मीदवार नौकरी में हैं और जिन के नाम राज्य सरकारों द्वारा भेजे जायेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी । अन्य उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चुना जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय बधिर शिक्षा कांग्रेस

२१५७. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वाशिंगटन में हुई बधिर शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कांग्रेस में कितने प्रतिनिधि भेजे गये थे और उनकी राज्यवार संख्या क्या थी ; और

(ग) उक्त कांग्रेस में अन्य कौन-कौन से देशों ने भाग लिया ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय दूतावास, वाशिंगटन के एक अधिकारी ने कांग्रेस में एक प्रेक्षक के रूप में भाग लिया ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

अध्यापकों की आर्थिक स्थिति

२१५८. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अध्यापकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कोई व्यवहारिक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) कुछ कार्रवाई की जा चुकी है और कुछ पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) यह बताना संभव नहीं कि जो बातें विचाराधीन हैं उन्हें कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

अहिन्दी भाषी राज्यों के लिये हिन्दी की पुस्तकें

२२५९. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी की पुस्तकों बांटने के लिये राज्यवार कितनी राशि नियत की है ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री श्री हुमायून कबिर : तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि के लिये १५.०० लाख रुपये और १९६३-६४ वर्ष के लिये २.०० लाख रुपये । राज्यवार कोई राशि नियत नहीं की जाती है ।

तेलगू भाषा का विकास

†२१६०. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजना में अब तक केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की सरकार को तेलगू भाषा के विकास के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) और (ख) :

द्वितीय योजना

प्रकाशन	राशि रुपया
डाइरेक्टरी आफ म्यूजियम्स इन इंडिया	१,०००

तीसरी योजना

(३१ मार्च, १९६३ तक)

१. डाइरेक्टरी आफ म्यूजियम्स इन इंडिया	३७,४९१
२. टुवर्ड्स युनिवर्सल मैन	
३. दि वे वी लिव	
४. ग्लिम्प्सेज आफ बुद्धिज्म . .	
५. तेलगू-तेलगू डिक्शनरीज़	
कुल	३८,४९१

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवायें परीक्षा, १९६२

†२१६१. **श्री मणिवंगाडन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, १९६२ में हुई भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं परीक्षा में कितने अभ्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये, कितनों की डाक्टरी परीक्षा की गई और कितनों को अब तक नियुक्त किया गया ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को अभी नियुक्त किया जाना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) और (ख) : जानकारी नीचे दी गई है :

उत्तीर्ण घोषित किये गये अभ्यार्थियों की संख्या	उन अभ्यार्थियों की संख्या जिनकी डाक्टरी परीक्षा की गई	अब तक नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	आगे नियुक्त किये जा जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
३७४	३१८	२९९	५९

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

(१) नागा विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सेना के छै व्यक्तियों के मारे जाने की कथित घटना

†श्री विश्राम प्रसाद (लाल गंज) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"नागालैंड के सेमा क्षेत्र में नागा विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सेना के छै व्यक्तियों का कथित मारा जाना ।"

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ९ सितम्बर, १९६३ को लगभग ८.३० बजे सुबह लगभग २५ विद्रोही नागाओं के एक दल द्वारा, जो एक एल०एम०जी,० बन्दूकों और स्टेन गनों से लैस थे, मोकोकचुंग के दक्षिण में करीब ६ मील दूर एक स्थान पर, सुरक्षा सेना के एक सड़क संरक्षण दल पर गोली चलाई गयी । हमारे दस्तों ने जवाबी तौर पर गोली चलाई और फिर उस क्षेत्र में विद्रोहियों की खोज की परन्तु वह उन्हें न पा सके ।

हताहत व्यक्ति. सुरक्षा सैनिक—४ अन्य रैंकों के मारे गये ।

विद्रोही नागा—मालूम नहीं ; चूंकि कोई शव नहीं पाया गया इस लिये धारणा है कि कोई नहीं मारा गया ।

खोये गये शस्त्रास्त्र. ३०३ राइफिल—१

बेयोनेट—१

•३०३ के ५० राउंड

हैंड ग्रेनेड—२

सुरक्षा सैनिक छिपे हुए विद्रोहियों के विरुद्ध गहन रूप से कार्यवाही कर रहे हैं जिस के परिणाम-स्वरूप कई विद्रोही मारे गये, घायल हुए और पकड़े भी गये; उन के शस्त्रास्त्रों को छीना गया, उन के छिपने के स्थानों को नष्ट किया गया और उहें निरन्तर बेघर बनाये रखा । विद्रोही , जब भी उन के लिये सम्भव हो, सुरक्षा सैनिकों पर बदला लेने के लिये आक्रमण करते हैं ।

एक सड़क संरक्षण का अपने स्थान को ग्रहण करने के लिये जाना आक्रमणकारी गश्त नहीं है । इन के अपने स्थान तक जाने और वहां से लौटने का मार्ग निश्चित और जाना हुआ होता है । विद्रोही सड़क संरक्षण दल को विशेषतया घेरने की योजना बना सकते हैं क्योंकि उन के आने जाने का मार्ग विदित होता है । सुरक्षा सेना द्वारा चूंकि विद्रोहीयों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है इस लिये इस प्रकार की घटनायें भी स्वाभाविक ही हैं । ऐसी घटनाओं से यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि स्थिति बिगड़ रही है ।

दूसरी ओर गश्तों के कहीं आने जाने के बारे में किसी को विदित नहीं होता इस कारण जब कभी उन का टकराव विद्रोही नागा दलों से हुआ है उन्हें सफलता मिली है

†मूल अंग्रेजी में

और वह विद्रोही को काफी संख्या में हताहत कर सके हैं और उन को काफी संख्या में बन्दी भी बना सके हैं ।

नागालैंड में अधिक प्रभावशाली ढंग से विधि तथा व्यवस्था ला कर पुनः शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भावी योजनाओं पर चर्चा के लिए नागालैंड के मुख्य कार्यपालक परिषद अब दिल्ली में आये हुए हैं ।

†श्री विश्राम प्रसाद : क्या यह सच है कि हमारी सुरक्षा सेना को पर्याप्त मात्रा में शस्त्रास्त्र आदि सम्भरित नहीं किये गये और शस्त्रास्त्र विद्रोहियों के पास हैं वह या चीन के हैं या पाकिस्तान के ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारी सेना को पर्याप्त शस्त्रास्त्र दिये जाते हैं । विद्रोहियों के पास जो सामान है यह प्रतीत होता है कि वह बाहर से आया हुआ है । उन में से कुछ लोग पाकिस्तान से वापिस आ कर नागालैंड में बसे हैं, सम्भव है कि वह पाकिस्तान से शस्त्रास्त्र ला कर उन का प्रयोग कर रहे हों ।

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या यह सच है कि विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ गयी हैं और वह हमारे शत्रु पड़ौसियों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं ? क्या सरकार समझती है कि वह नागा विद्रोहियों को निकट भविष्य में समाप्त कर सकेगी ?

†जवाहरलाल नेहरू : नागा विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ गयी हैं यह कहना ठीक नहीं है । जैसाकि मैंने कहा उन्हें उन के छिपने के स्थानों से निकाला जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उन के कुछ दल ताक में रहते हैं । हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तान से कुछ शस्त्रास्त प्राप्त हुए हों । चूंकि उनका एक दल पाकिस्तान हो कर वापिस आया है मैं समझता हूं कि वह अवश्य ही किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र वहां से लाया होगा ।

जहां तक विद्रोहियों को पूर्णतः समाप्त करने का प्रश्न है मैं इस के लिए कोई तिथि तो निर्धारित नहीं कर सकता परन्तु हम विद्रोहियों को समाप्त करने और विकास योजनाओं को संभवतः अगले वर्ष निर्वाचन होने तक पूरा कर लेंगे ।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि संसदीय सचिव के लन्दन में श्री फ़िजो को मिलने से विद्रोहियों को प्रोत्साहन मिला है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे संसदीय सचिव का यहां वर्णन करना सर्वथा न्यायसंगत नहीं है । वास्तव में यदि संसदीय सचिव के वहां जाने का कुछ प्रभाव हुआ है तो इस के उलट ही हुआ है । मैं नहीं कह सकता कि विद्रोही श्री फ़िज़ो के सम्पर्क में हैं कि नहीं । हो सकता है कि कभी कभी उन का सम्पर्क रहता हो परन्तु मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अब श्री फ़िज़ो की बातों का विद्रोहियों पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता ।

†श्री दाजी (इन्दौर) : मैं जानना चाहता हूं कि हमारे सर्वक्षमा के प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसके परिणाम हमारी आशा के अनुसार तो नहीं निकले हैं परन्तु कुछ अच्छे परिणाम अवश्य निकले हैं। मुख्य बात तो यह है कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। हमारे उस प्रस्ताव से विद्रोहियों को काफी परेशानी हुई है और वह लोगों को कह रहे हैं कि वह इससे लाभ न उठायें।

(२) लाठीटोला में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने की कथित घटना

†**अध्यक्ष महोदय :** करीमगंज सीमा पर निरन्तर गोली चलाये जाने के बारे में मुझे सर्वश्री हेम बरुआ और स० मो० बनर्जी से स्थगन प्रस्ताव की और सर्वश्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, ब्रजराज सिंह और उ० मू० त्रिवेदी से ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की नई सूचनायें मिली हैं। हम कल इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं परन्तु मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री को कोई नई सूचना सीमा स्थिति के बारे में मिली है जिससे वह सभा को अवगत कराना चाहें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** आज सुबह आसाम सरकार से एक और तार प्राप्त हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि लाठीटीला के आस पास के कई क्षेत्रों में १५ और १६ सितम्बर की तरह पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा एक एक कर बन्दूकों और छोटी मशीन गनों से गोलियां चलाई जा रही हैं। हमारी ओर से किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हमारे सीमा दस्ते पाकिस्तानी सैन्य दस्तों की गोली के उत्तर में गोली चला रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी सूचना प्राप्त हुई है कि हरीनगर और चंडीनगर में जहां हमारी चौकियां हैं हमारे मुकाबले में नई चौकियां बना रहे हैं। कछार के आयुक्त ने पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ गोली चलने वाले क्षेत्रों का दौरा किया। स्थानीय अधिकारी आवश्यक सहायता का प्रबन्ध कर रहे हैं। उस क्षेत्र में स्थिति की गम्भीरता के बारे में हम अपने ब्रिगेड कमांडर के निर्धारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस मामले को पाकिस्तान सरकार के पास ले जाने के लिये पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त को हिदायतें मिल गई हैं। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि सम्बद्ध क्षेत्र के फिर से सीमांकन के लिये कुछ समय पूर्व जो हमने प्रस्ताव किया था उसके बारे में भी पाकिस्तान सरकार का निर्णय लें। हम ने यह सुझाव इसीलिये दिया था कि बाद वाले क्षेत्रों का शीघ्र और अन्तिम सीमांकन ही समस्या का स्थायी हल है परन्तु कई अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी पाकिस्तान ने हमारे प्रस्तावों का उत्तर नहीं दिया।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से विदित है कि सीमा पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तानियों की ओर से निरन्तर गोली वर्षा हो रही है परन्तु आसाम सरकार के प्रेस नोटों से मालूम होता है कि हमारे सुरक्षा सैनिक इस का जवाब अभी गम्भीरतापूर्वक नहीं दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सीधे प्रश्न ही पूछिये। प्रत्येक समय आप इतनी विस्तारपूर्वक बातें नहीं कह सकते। प्रत्येक समय ऐसा सहन नहीं किया जा सकता।

†**श्री हेम बरुआ :** मुझे यह देख कर दुःख होता है कि आप भी सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते (**अन्तर्बाधायें**)

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे बहुत खेद है कि मेरे बारे में भी कहा जा रहा है कि मुझे सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सहानुभूति नहीं है। माननीय सदस्य सभा में जो कुछ कहते हैं उन्हें संयम से कहना चाहिये। मैं आप को इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरी आप पर आक्षेप करने की इच्छा नहीं है। यदि आप को इस से दुःख हुआ है तो मुझे इस का बहुत खेद है (**अन्तर्बाधा**)। अब प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप मेरे निदेश का उल्लंघन करते हैं तो आप को अवसर नहीं मिलेगा। यदि आप उस का पालन करेंगे तो अवश्य आप को अवसर मिलेगा।

†**श्री हेम बरुआ** : म सीमा की स्थिति के बारे में चिन्तित हूं और सभा के सामने इस विशेष मामले को लाना चाहता हूं परन्तु आप बीच में अपने विनिर्णय और टीका टिप्पणियां देते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा के नेता का ध्यान इस स्थिति की ओर दिलाऊंगा। यदि दलों के नेता अपने सदस्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो निश्चय ही मुझे उन के साथ गुटों से अलग रूप में बर्ताव करना पड़ेगा। क्या उन के नेता समझते हैं कि यह सब न्यायसंगत है ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : हम आप के किसी भी विनिर्णय और न्याय को स्वीकार करते हैं परन्तु कभी कभी सदस्य कुछ मामलों में भावुक हो जाते हैं। आप कभी कभी उन्हें सहन करते रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मैं कभी कभी ऐसी बातों को सहन करता हूं तो वह मेरी गलती भी हो सकती है, परन्तु मैं ने दो तीन बार उन्हें बताया है कि वह मेरे निदेश का पालन करें कि वह बैठ जायें और कि मैं उन्हें अवसर दूंगा। परन्तु वह मेरे निदेश का उल्लंघन करते हुए खड़े हो जाते हैं और मुझ पर आक्षेप लगाते हुए बोलते जाते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आसाम के मुख्य मंत्री ने कहा कि सीमा पर स्थिति अधिक गम्भीर होती जा रही है। पाकिस्तान चौकियां स्थापित कर रहा है, खाईयां खोद रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सीमा पर रहने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए मुख्य मंत्री को क्या हिदायतें दी गयी हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस विषय पर आसाम के मुख्य मंत्री से बात हुई थी। हिदायत यह दी गयी थी कि वहां उपस्थित हमारी सेना तथा सशस्त्र पुलिस द्वारा पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली किसी भी कार्यवाही के जवाब में उसी समय कार्यवाही करनी चाहिये और ज्योंही ऐसा अवसर उत्पन्न हो अपनी और सेना भी वहां भेजनी चाहिए।

†**श्री नाथ पाई** : पाकिस्तान की चीन के साथ संयुक्त रक्षा संधि की चर्चा हो रही है। तो क्या सरकार इस स्थिति की गम्भीरता के प्रति सचेत है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारी सीमा पर जो गोली चल रही है वह एक गम्भीर बात है, परन्तु इसे हम उचित प्रसंग में ही देख सकते हैं। कई दिन तक गोली चलने और हजारों गोलियां चलने के बावजूद भी बहुत कम लोग हताहत हुए हैं। इस अवसर पर कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गोली उस क्षेत्र में बेचैनी फैलाने और तनाव कायम रखने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। परन्तु इस का जवाब दिया जाना आवश्यक है। सेना और जिन लोगों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

का यह उत्तरदायित्व है हम ने उन के सुपुर्द कर दिया है । सामान्यतया थोड़ी सी गोली चलने पर सेना कार्यवाही नहीं करती । कार्यवाही क्या की जाय और कब की जाय यह देखना उन्हीं का काम है । सेना द्वारा कार्यवाही करने से मेरा तात्पर्य यह है कि वह बड़ी संख्या में आगे नहीं बढ़ती । परन्तु इसे आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कल सिंचाई मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था उस पर भी कुछ प्रश्न पूछे जाने हैं ; इसलिए मैं इसे ५ बजे लूंगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** अब तक की प्रैस रिपोर्टों से विदित है कि हम ने उन का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं किया । इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता के इस सन्देह को दूर किया जाय कि सदैव हम ही मारे जाते हैं और कि हम कोई प्रभावयुक्त कार्यवाही नहीं करते ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सीमा के दोनों ओर कितने व्यक्ति हताहत हुए इस बारे में सभा में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किये गये । इस विशेष अवसर के बारे में मैं आंकड़े नहीं बता सकता । अपनी तरफ के हताहत व्यक्तियों की संख्या बताना आसान है । दूसरी तरफ के हताहतों की संख्या तभी बताई जा सकती है जो सेना आगे बढ़े और मृत तथा घायल लोगों को देखे और बन्दी बनाये । इस अवसर पर हमारा कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ । कुछ समय पूर्व २ अथवा ३ व्यक्ति हुए थे । सीमा की दूसरी ओर हो सकता है कुछ लोग मारे गये हों परन्तु यह दूसरी तरफ के लोगों के साक्ष्य से ही मालूम कर के बताया जा सकता है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मेरा अनुरोध है कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सरकार सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से एक दिन पूर्व सभा को सीमा की स्थिति के बारे में अवगत कराये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जो भी सूचना उन्हें प्राप्त हो उसे सभा को बतायें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** निश्चय ही जो भी सूचना प्राप्त होगी वह सभा को दे दी जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रोपैगेंडा द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से सीमा के इस ओर के लोगों का नैतिक साहस बनाये रखने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस का ब्योरा नहीं दे सकता । स्थानीय प्राधिकारी निश्चय ही इस बात का ध्यान रख रहे हैं । मेरी सूचना यह है कि वहां के लोगों का नैतिक साहस काफी ऊंचा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तानियों ने सीमान्त क्षेत्रों से अपने नागरिकों को पीछे हटा कर ही गोली चलाई है, इसी कारण उन का कोई व्यक्ति नहीं मारा गया । तो क्या हम भी अपनी सीमा पर इसी प्रकार की कार्यावही करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पाकिस्तान द्वारा अपने सीमांत क्षेत्र से लोगों को पीछे हटा लिया गया है इस का मुझे ज्ञान नहीं है । व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी सीमा से लोगों को हटा

---

†मूल अंग्रेजी में

लेने का परामर्श नहीं दूंगा। इस प्रकार की कार्यवाही करने से लोग डर जाते हैं और उन का नैतिक साहस कम होता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री आगामी तीन चार दिनों में प्रत्येक दिन सुबह सीमा स्थिति के बारे में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आखिरी दिन वह वक्तव्य देंगे।

एक समाचार पत्र द्वारा सभा की कार्यवाहियों का अशुद्ध प्रकाशन किये जाने के बारे में

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप को देर है, मैं कहे देता हू। श्री राम सेवक यादव ने मुझे यह लिखा था कि जब डा० राममनोहर लोहिया ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि वे हिन्दी में जवाब दें तो उस की रिपोर्ट को इंडियन ऐक्सप्रैस अख़बार में निकली उस में यह कहा गया कि डा० राम मनोहर लोहिया ने यह कहा कि वे हिन्दी के सिवाय और किसी ज़बान में न बोलें और सिर्फ हिन्दी में ही वह जवाब दें, यह ठीक है न ?

श्री राम सेवक यादव : उन्होंने मातृभाषा में जवाब देने के लिए कहा था। डा० राम मनोहर लोहिया ने मातृभाषा शब्द का प्रयोग किया था, शब्द "हिन्दी" का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है लेकिन जो इंडियन ऐक्सप्रैस में ख़बर निकली उस में यह कहा गया कि उन्होंने कहा था कि वह हिन्दी के सिवाय और किसी ज़बान में जवाब न दें। इस शिकायत के आने पर कि अखबार ने मातृभाषा के शब्द के स्थान पर हिन्दी लिख दिया है जब कि डा० साहब ने मातृभाषा शब्द का प्रयोग किया था, इंडियन ऐक्सप्रैस को लिखा गया। उन्होंने जवाब दिया कि हम आमतौर पर डिसपैशनेट रिपोर्टिंग करते हैं और मातृभाषा शब्द के बजाये जो हिन्दी शब्द लिख दिया गया और इस तरह जो ग़लती हो गयी उस को हम रिग्रेट करते हैं। मैं ने इस को काफ़ी समझा और इससे ज्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।

श्री राम सेवक यादव : एक निवेदन करना चाहता था . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब क्या बाक़ी रहता है ? उन्होंने रिग्रेट ज़ाहिर कर तो दिया है।

श्री राम सेवक यादव : वह तो ठीक है और मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं। निवेदन सिर्फ यह है कि इस चीज़ को सिर्फ इस लिए रखा गया कि इस का प्रचार आमतौर से होता है, हमारे साथी के खिलाफ़ भी और हम अन्य सदस्यों के खिलाफ़ भी कि हम लोग हिन्दी को लादना चाहते हैं और यदि उसका जवाब न दिया जाये तो उसका बुरा असर भारत पर और ख़ासतौर पर दक्षिण वालों पर पड़ता है कि हम ज़बरदस्ती हिन्दी लादना चाहते हैं और हमारे मित्र डी० एम० के० के लोगों पर इस तरह के ग़लत प्रचार का ग़लत असर पड़ता है इसलिए मैं ने यह चीज़ साफ़ करनी चाही थी कि उन्होंने हिन्दी नहीं अपितु मातृभाषा में उन से बोलने का आग्रह किया था और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री राम सेवक यादव]

उन के उस अनुरोध का माननीय सदस्यों पर असर भी अच्छा पड़ा था और उन्होंने इस के लिये तालियां भी बजाई थीं लेकिन उस की रिपोर्ट अखबार में ग़लत छपी और अगर उसका निराकरण न किया जाता तो उसका असर ग़लत पड़ता। अब चूंकि सम्बन्धित अखबार ने माफी मांग ली है इसलिए मैं अपने सवाल को वापिस लेता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रधान मंत्री को कोई हक नहीं है कि वे यहां अंग्रेजी में बोलें। मैं कभी नहीं कहता कि वह और कुछ न बोलें मैं तो यही कहता हूं कि जो भी बोलें लेकिन अंग्रेजी न बोलें।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयले वाले क्षेत्र संशोधन नियम तथा खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन):** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ सितम्बर १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५६९ में प्रकाशित कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन नियम १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल टी—१७३७/६३]

(दो) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत उक्त एक्ट की दूसरी अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल० टी—१७३८/६३]

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का पांचवां प्रतिवेदन तथा शस्त्रास्त्री नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) शस्त्र अधिनियम १९५९ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २४ अगस्त १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७७ में प्रकाशित शस्त्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल टी—१७३९/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) संविधान के अनुच्छेद ३५० ख (२) के अन्तर्गत १ जनवरी से ३१ दिसम्बर १९६२ तक की अवधि के लिये भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की पांचवीं रिपोर्ट ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-१७४०।६३]

निर्वाचकों का पंजीयन (संशोधन) नियम और निर्वाचनों का संचालन में (संशोधन) नियम

†**विधि मंत्रालय में उपमत्री (श्री विबुधन्द्र मिश्र)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५७७ में प्रकाशित निर्वाचकों का पंजीयन (संशोधन) नियम १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-१७४१/६३]

(दो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ सितम्बर १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५७८ में प्रकाशित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १७४२/६३]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सभा को सूचना देनी है कि राज्य सभा अपनी १६ सितम्बर १९६३ की बैठक में लोक सभा द्वारा १४ अगस्त १९६३ को पारित किये गये नाट्य प्रदर्शन (दिल्ली निरसन) विधेयक १९६३ से बिना किसी संशोधन से सहमत हो गयी है ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्ण मूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

भेषज तथा शृंगार सामग्री संशोधन विधेयक—जारी

राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा ११ सितम्बर १९६३ को डा० सुशीला नायर द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी अर्थात् :—

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी २८ अगस्त १९६३ की बैठक में स्वीकार किये गये और २ सितम्बर १९६३ को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में की

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

की गयी राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक सभा भेषज तथा शृंगार सामग्री अधिनियम १९४० में आगे संशोधन करने वाले बिल सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित २० सदस्य मनोनीत किये जायें अर्थात् डा० रा० बनर्जी, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, डा० गायतोंडे, श्री शिव चरण गुप्त, श्री हरि विष्णु कामत, श्री लहरी सिंह, श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा, डा० मेलकोटे, श्री मुरारका, श्री पाराशर डा० द० स० राजू, श्री शिवराम रंगो राने, डा० शरदीश राय, श्री अ० त्रि० शर्मा, डा० सरोजिनी महिषी, श्रीमती जयबहिन शाह, श्री कृष्णपाल सिंह, डा० श्रीनिवासन, श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव और डा० सुशीला नायर।"

श्री कुं० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक की कुछ बातें पहले ही निवेदन कर चुका हूं। इस विधेयक की धारा १५ में कई वस्तुओं के ज़ब्त करने की बात रखी गई है। उस में अशुद्ध दवाएं ले जाने के लिए जो जानवर या मोटर ट्रक या दूसरी गाड़ियों का प्रयोग होगा उन्हें भी ज़ब्त करने की बात इस विधेयक में रखी गई है। मैं समझता हूं कि वह अशुद्ध दवाएं और जिन औज़ारों से वह बनाई जाती हैं या जो बर्त्तन उन में प्रयोग किये जाते हैं उनका ज़ब्त करना वह खैर ठीक ही है लेकिन ज्वाएंट कमेटी को इस बात पर विचार करना होगा कि गाड़ियों का या जानवरों का ज़ब्त करना कहां तक उचित होगा ? ऐसा तो नहीं है कि यह ज़रूरत से ज्यादा दंड समझा जायगा ?

सन् १९६० में एक संशोधन विधेयक इस माननीय सदन के सम्मुख लाया गया था। उस समय यह मांग की गई थी कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं पर भी नियंत्रण होना चाहिए। उस समय सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में इसके लिए भी प्रयत्न किया जायगा क्योंकि सिर्फ़ एक दिक्कत थी कि यह कान्कैन्ट सबजेक्ट है और इस विषय पर राज्य सरकारों का भी अधिकार है। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद ऐसा संशोधक विधेयक लाया जायगा। मुझे इस बात का हर्ष है कि उस वक्त सरकार ने जो वचन दिया था उस की इस विधेयक के द्वारा पूर्ति होती है।

हम आयुर्वेदिक औप यूनानी दवाओं पर जो नियंत्रण करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उससे हमारी प्राचीन चिकित्सा-पद्धितियों की उन्नति होंगी, जिनकी अंग्रेजो ज़माने में कम कद्र हो गई थो और जिन पर से बहुत से लोगों का विश्वास उठ गया था। अगर इससे शुद्ध आयुर्वेदिक और यूनानी दवायें हमारी जनता को मिलने लगी हैं और उनसे उनको लाभ होता है, तो उन दवाओं पर उनकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा। ज़ाहिर है कि कि ये दवायें सस्ती होती हैं। इसलिए हम उन के द्वारा अधिक से अधिक जनता की चिकित्सा कर सकेंगे और इस प्रकार हमारी गरीब और साधारण जनता का स्वास्थ्य बढ़ेगा।

मेरा यह निजी विश्वास है कि वास्तव में आयुर्वेदिक और यूनानी दवायें हमारे देश के लिए भी ज्यादा उपयोगी हैं। जो रोग हमारे देशवासियों को होते हैं, उन को जड़ से उखाड़ने में वही दवायें कारगर होती हैं। एलोपेथी इस में इतनी कारगर नहीं होती है। वह सिर्फ मर्ज को दवा देती है।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, इस विधेयक के लाने से आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की उन्नति होगी और यह हमारे राष्ट्र के लिए एक अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक हमें

कल्याण की ओर ले जाता है, लेकिन मेरी समझ में केवल दंड-व्यवस्था से ही पूरा कल्याण नहीं होगा। इस का कारण यह है कि बहुत सी बातों पर हम ने नियन्त्रण किया है, कट्रोल किया है लेकिन हम देखते हैं कि बावजूद इस के कि हम ने इसके लिए दंड-व्यवस्था की है, उन में चोर-बजारी मिट्टी नहीं है, उन में भ्रष्टाचार होता रहता है और उन को हम पूरी तरह से मिटा नहीं सके हैं। अगर हमें वाकई इस बात की फिक्र है और हमारी सरकार यह चाहती है कि हमारी आम जनता को, साधारण जनता को, सभी लोगों को शुद्ध दवायें मिलें, तो मैं समझता हूं कि हम दवायों को किस तरह से तैयार करें, उन का वितरण किस तरह से हो, इस के लिए हमें कुछ न कुछ रचनात्मक कदम उठाना पड़ेगा। मैं तो यह समझता हूं कि इतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमें दवाओं की कीमतों पर भी नियंत्रण करना होगा।

हम सभी लोग यह जानते हैं कि इस समय जो निजी कारखाने दवायें वगैरह बनाते हैं, उन में मुनाफा खोरी की भी नीयत रहती है और मुनाफाखोरी की नीयत होने की वजह से दवाओं में केवल मिलावट ही नहीं होती है, बल्कि ये दवायें काफी मंहगी बेची जाती हैं, जिस की वजह से हमारी साधारण और गरीब जनता उन्हें खरीद नहीं पाती और अपनी चिकित्सा ठीक तौर से नहीं कर पाती। अमरीका में भी यह मर्ज है और वहां इस बात की अब काफी शिकायत हो रही है कि निजी कारखानों की मुनाफाखोरी की नीयत होने के कारण दवायें मंहगी होती जा रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहां की जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो, वह अपने मर्ज का ठीक ठीक इलाज कर सकें और ऐसा न हो कि महंगी दवाओं की वजह से वह उन्हें खरीद न सके, अपने रोग का इलाज न कर सके और वह एड़ियां रगड़-रगड़ कर मरे—जो कि एक कल्याणकारी राज्य के लिए शोभनीय नहीं होता है—, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास सिवाय इस के और कोई तरीका नहीं है कि हम दवायें बनाने के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करें।

अगर हम इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करते हैं, तो उस में मुनाफाखोरी की कोई बात सरकार की तरफ से नहीं होगी और इस प्रकार दवाओं का दाम कम होगा और शुद्ध दवायें साधारण और गरीब जनता को कम कीमत पर मिल सकेंगी। हम ने पैंसलिन बनाने के कारखाने का राष्ट्रीयकरण किया। इस के अतिरिक्त सिन्थेटिक ड्रग्ज, ग्लैंडुलर प्राडक्शन, मेडिसनल प्लांट्स प्राडक्ट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एप्लायेंसिज का भी हम ने राष्ट्रीयकरण किया और सभी लोगों को इस बात का अनुभव है कि ये चीजें काफी सस्ती मिलती हैं। इस लिए मुझे आशा है कि जो ज्वांइट सिलेक्ट कमेटी बनने जा रही है, वह इन बातों पर विचार करेगी और ऐसी व्यवस्था की जायगी, जिस से हम शुद्ध दवायें कम कीमत पर खरीद सकें, ताकि हमारी जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो।

श्रीमती शशांक मंजरी (पालामऊ) : श्रीमन्, इस विधेयक की बहुत आवश्यकता थी। अभी तक यूनानी और आयुर्वेदिक ओषधियों के बनाने पर कोई नियंत्रण नहीं था और अच्छी दवायें मिलना मुश्किल होता जा रहा था। हमारे देश में अधिकतर गरीब जनता उन औषधियों को इस्तेमाल करती है। यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियों लाभ भी बहुत पहुचाती हैं। इस लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध और सस्ती दवायें लोगों को मिल सकें। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि दवाइयां बनाने के कारखानों की निगरानी के लिए योग्य इंस्पैक्टर रखे जायें, जो खुद वैद्य हों और जो कारखानों की निगरानी करने के अलावा उनको दवाइयां बनाने की विधियां भी बता सकें। जब दवा बन जाय और उसको पैक कर दिया जाए तो बाद में उस पर मुहर भी लगवाई जानी चाहिए। जो दवा बनाने वाला या उसको बेचने वाला कोई भूल करे, उसको कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इस कानून के अदर जो दण्ड रखा गया है वह कम है। उसको बढ़ाया जाना चाहिये।

[श्रीमती शशांक मंजरी]

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सारे हिंदुस्तान के वैद्यों के प्रतिनिधियों की एक सभा बनाई जाए जिससे इस विषय में गवर्नमेंट समय समय पर परामर्श करती रहे और उन से इस कार्य में सहायता लेती रहे ।

आप जो आज मिलावट पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, वह ठीक है । लेकिन गवर्नमेंट ने पन्द्रह साल से आज तक डालडा घी के अन्दर रंग मिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है । क्या गवर्नमेंट के पास इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला कोई नहीं है । मैं चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी रंग मिलाने के लिए कोशिश आप करें ।

मेरी समझ में यह नहीं आता है कि रंग मिलाने में सरकार के रास्ते में अड़चन क्या है । मैं समझती हूं कि डालडा की एजेंसियां आज बड़े बड़े सेठ साहूकारों के हाथों में हैं जो कांग्रेस को इलेक्शन के दिनों में चन्दा देते हैं । इसी कारण से देरी हो रही है ।

सरकार दूसरों से तो यह कहती है कि मिलावट मत करो लेकिन खुद सोने में ताम्बा, घी में डालडा, दूध में पाउडर और शहद में गुड़ मिलाती है ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : तब तो जहर हो जाएगी ।

श्रीमती शशांक मंजरी : यह चीज नहीं होनी चाहिये और हमारे देसी दवाइयां जो बनाने वाले हैं, उनको शुद्ध चीजें मिलनी चाहियें ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से देसी दवाओं पर आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, उसी तरह से आप बाजार में, फुट पाथ पर जो दवायें बचते हैं, उन पर भी प्रतिबन्ध लगायें । कोई चाक मिट्टी को दांत का मंजन बता कर कोई इमली के बीज को बिच्छू की दवा और कोई जड़ी बूटी को सांप के काटे की दवा बता कर बेच देते हैं । इस तरह से वे लोग जनता को ठग लेते हैं । मैं जानना चाहती हूं कि इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, ड्रग्ज एंड कासमैटिक्स एमेंडमेंट बिल जो आया है, इस के लिए मैं शासन को बधाई देता हूं । कुछ क्लाजिज पर मेरी आपत्ति है और मैं चाहता हूं कि ज्वांइट सिलेक्ट कमेटी उन व्यक्तियों पर विचार करे ।

जहां तक बोर्ड की स्थापना का संबंध है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि यहां आयुर्वेद वालों का एक सम्मेलन हुआ था और वैद्यों की तरफ से एक अपना बोर्ड बना हुआ है और उस बोर्ड में से प्रतिनिधि इस में लिये जाने चाहिये । इस में लिखा हुआ है

"एक व्यक्ति आयुर्वेदिक अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित किया जायगा ।"

मेरा कहना यह है कि आयुर्वेद वालों की जो सभा यहां हुई थी और जो बहुत बड़ी सभा थी, उन्होंने भी अपना एक बोर्ड बनाया है और इस हर साल वे अपना प्रेज़ीडेंट और सक्रेटरी वगैरह चुनते हैं, उस आयुर्वेदिक बोर्ड से अगर किसी व्यक्ति को लिया जाए तो मैं समझता हूं कि शासन का जो उद्देश्य है, वह पूरा हो जायेगा ।

आपने इस बिल में आयुर्वेद और यूनानी पर प्रतिबन्ध लगाया है। इसके जो आवजक्ट्स एंड रीजन्स हैं, उन में आपने लिखा है :—

"कुछ निर्माता अंशतः आधुनिक तथा अंशतः आयुर्वेदिक अथवा यूनानी ओषधियों को मिला कर इस प्रकार की औषधियां बेचते हैं कि उन पर भेषज तथा शृंगार सामग्री अधिनियम १६४० के अन्तर्गत नियंत्रण नहीं रखा जा सकता।"

इसके साथ ही यह भी लिखा हुआ है, गोल्ड, मस्क, पर्ल सेफरन आदि को ले कर मिलावट होती है मैं समझता हूं कि अभी भी जो आपका एक्ट है और जो एलोपैथी पर लागू होता है, उसके अन्दर जितनी गड़बड़ियां होती हैं, उन को भी आप नहीं रोक पाये हैं। कलकत्ता से हम ने दे रखा है कि डिसटिल्ड ट्यूब्ज आई थी वे खराब पाई गईं और उनको जब्त कर लिया गया। उसके बाद क्या एक्शन लिया गया उसका क्या रिज्लट निकला, हमें मालूम नहीं है। इसी तरह से पैनिसिलीन में से मक्खियां निकली हैं और इसके इजेंक्शन देने से लोगों की मौतें तक हो गई हैं। इस तरह का जो खराब असर इसका होता है, उसको भी आप अभी तक रोक नहीं पाये हैं। हमें इसके बारे में अभी तक भी आपकी तरफ से कोई डिटेल्ज़ नहीं दी गई है कि उसके बारे में क्या आपने किया है। अब आप इस कानून को कड़ा बना रहे है और उसको आयुर्वेद और यूनानी पर भी लागू करने जा रहे हैं। आप जब इन पर कंट्रोल लगाते हैं, तो आपको यह भी देखना चाहिये, कि इसका परिणाम क्या होगा। आज आप देखें कि देहातों में, गांवों में एलोपथी की दवाइयां नहीं मिलती हैं और आयुर्वेद और यूनानी की ही दवाइयां मिलती है। कुछ अच्छी अच्छी फर्में भी हैं, जिन की तरफ से अच्छी अच्छी दवायें बनती जाती हैं, जैसे वैद्यनाथ फार्मेसी है, गुरूकुल कांगड़ी है, झांडू फार्मेसी है। उनकी जो चीजें होती हैं वे स्टैंडर्ड की होती हैं। इन इन चीज़ों का वैद्य लोग उपयोग करते हैं। आप डाक्टर दे नहीं सकते हैं। आप कहते हैं कि ३६,००० के पीछे एक ही डाक्टर हिन्दुस्तान में हैं डाक्टर भी आप नहीं दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक हज़ार डाक्टरों की कमी है। और अगर वैद्य भी नहीं होंगे तो लोगों का क्या हाल होगा, क्या इस पर भी विचार किया है। गांवों में ऐसे भी वैद्य होते हैं, जो अपने ही घर में दवायें बनाते हैं, चूर्ण इत्यादि बनाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। उन पर आप कंट्रोल कैसे करेंगे। एक्ट बना देना तो आसान है लेकिन उसको इम्प्लेमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के एक्ट को कैसे आप लागू करेंगे। क्या इंस्पक्टरों के द्वारा भ्रष्टाचार शुरू नहीं हो जाएगा। आपका यह मंशा हर्गिज नहीं हो सकता है कि इस तरह का कानून बने जिससे भ्रष्टाचार शुरू हो। लेकिन आप देखें कि इसका कि नतीजा क्या होगा। इस तरह का कानून बना कर आप गांवों में, देहातों में लोगों को उन दवाओं से भी वंचित रखना चाहते हैं जो वैद्य लोग घरों में बना लिया करते हैं। ये जो सब चीजें हैं, इन पर आपने विचार किया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। एलोपथी के डाक्टर आप दे नहीं सकते हैं। लेकिन जो बाप दादाओं के ज़माने से वैद्य की करते आए हैं, घरों में दवायें बनाते आये हैं, उनका इससे क्या हाल होगा, यह भी क्या आपने कभी सोचा है। उनके द्वारा बनाई गई दवाओं का अगर एलेसिस होना शुरू हो गया, उनकी दवाओं के बारे में अगर इसकी जांच शुरू हो गई कि वे शुद्ध हैं या नहीं तो गांवों में मुसीबत आ जाएगी, आपत्ति आ जाएगी। आप कानून तो विदेशों को देख, र बना देते हैं लेकिन, यहां पर क्या परिस्थितियां हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं। फारेन कंट्रीज़ -- अच्छे डाक्टरों की सुविधायें लोगों को मिलती हैं, जो यहां नहीं है। यहां पर आप अच्छे डाक्टर देते हैं, अच्छे वैद्य नहीं देते हैं। ये जो सब चीजें हैं, इनकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

[श्री बड़े]

दूसरी आपत्ति मेरी पनिशमेंट के बारे में है। दस साल की मैक्सिमम सज़ा आपने इस में रख दी है। आपने मजिस्ट्रेट के भी हाथ बांध दिये हैं यह कह कर कि नाट लेस देन टू यीअर्स पनिशमेंट ही शुडगिव। यह जरूरी कर दिया गया है। जुरिसप्रुडेंस में इस प्रकार के जो एक्ट्स होते हैं, उनको खराब माना गया है। मजिस्ट्रेट के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते हैं। एमेंडमेंट में आपने लिखा है :—

"(क) धारा २७ के खंड (क), के अन्तर्गत कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा जो किसी सूरत में भी दो वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगा और जर्माना भी लगाया जा सकेगा।"

इस प्रकार से उसके हाथ बांध देना ठीक नहीं है। अगर कोई इंस्पैक्टर किसी से एक हज़ार रुपया देने को कहता है और वह आदमी दे नही सकता है तो वह इंस्पैक्टर उस आदमी को सीधे कोर्ट से दो साल की सज़ा दिलवा देगा। मेरा कहना है कि कानून में जो लूपहोल होते हैं, जो डिफेक्ट होते हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। कानूनी बातों की तरफ ही केवल आपका ध्यान है। ज्वायेंट कमेटी इस पर बिचार करे। १० वर्ष का इम्प्रिजनमेंट करने का अधिकार तो सेशन्स जज को होता है। इस को आप ने काग्निजेबल बनाया है या नहीं यह भी मालूम नहीं होता है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट होने से वह काग्निजेवल हो जाता है। लोकल एक्ट से भी यह काग्निजेवल होता है। इसके साथ साथ सेशन्स कोर्ट में ही यह ट्रायल हो सकता है। यह बेलेवल है या नहीं, इसका भी कोई प्राविजन इस में नहीं है। इस तरह का डिफेक्टिव कानून आप को नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात इस के बारे में यह है कि आखिर इसको बेलेबल क्यों नहीं बनाया गया। पता नहीं यह काग्निजेबल है या नहीं। इसको नानकाग्निजेबल अगर करना था तो वह भी आप ने नहीं बनाया। सेशन्स ट्रायल इस का नहीं होना चाहिये, इस प्रकार का भी कोई प्राविजन नहीं है। यदि यहां पर वकील हों तो उन को मैं सर्टिफाई कर सकता हूं कि यह बिल्कुल गलत कानून बनाया जा रहा है।

इसी तरह से आग देखिये। यह **ट्रायबल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट** है। **ट्रायबल बाई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट** कहने के बाद फिर **टेन इअर्स इम्प्रिजनमेंट** कैसे हो सकता है? क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दस वर्ष का इम्प्रिजनमेंट दे ही नहीं सकता। इसलिये वह इसको सेशन्स कोर्ट में भेजेगा। इसके लिए माननीय श्री रघुनाथ सिंह क्या जबाब देंगे यह मुझे मालूम नहीं। अगर उनको कानून का ज्ञान है तो वे इस का जबाब दें। **ट्राययल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्टेट** और **टेन इअर्स इम्प्रिजनमैंट** यह दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं ?

मुझे तीसरी आपत्ति यह है कि आप ने होमियोपैथी को इस में नहीं लिया। आप ने यूनानी को लिया, हकीम को लिया, वैद्य को लिया, लेकिन होमियोपैथ को नहीं लिया। मैंने देखा है कि पंजाब से यह लिख कर आया है कि **'सैंड रुपीज ५०, यू विल गट दि सर्टिफिकेट"**। अगर कोई ५० रु० भेज देता है तो उस के पास डाक्टरी का सर्टिफिकट आ जाता है कि यह होमियोपैथ है। वह आर० एम० पी० यानी रजिस्टर्ड मैडिक्ल प्रक्टिशनर लिखता है। मैंने पूछा कि मैंने एल० एम० पी० देखा है इसी तरह की दूसरी चीजें भी देखी हैं लेकिन यह आर० एम० पी० क्या होता है ? मैंने पूछा कि आर० एम०पी० का टाइटल कैसे आ गया तो उस आदमी ने कहा कि मैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रक्टिशनर हूं। होमियोपेथी के सर्टिफिकेट वाला हूं, मैंने ५० रु० भेजे हैं और सर्टिफिकेट लिया है। डा० मुकर्जी, एक होमियोपेथ डाक्टर हैं उनके नीचे पढ़ रहा हूं और मेडिसिन देता हूं। जो इस चीज का उपयोग करते हैं उन पर इस कानून का कंट्रोल क्या है ? जिन को क्वेक्स कहते हैं उन पर क्या कंट्रोल है?

कोई कंट्रोल नहीं है ? जो मेडिसन्स तैयार होती हैं उन पर कंट्रोल है, डाक्टर्स पर कंट्रोल नहीं है, होमियोपैथ्स पर कंट्रोल नहीं, क्वैक्स पर कंट्रोल नहीं । इसी प्रकार से होमियोपैथिक मेडिसन्स पर भी कंट्रोल होना चाहिए ।

फैमिली प्लानिंग के बारे में कहते हैं कि एलोपैथिक का उपयोग करते हैं। फैमिली प्लानिंग की बहुत सी यूनानी और आयुर्वेदिक की दवायें हैं। उन पर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आज हिन्दुस्तान में ८०, ९० करोड़ रु० की या इससे ज्यादा की मेडिसन्स तैयार होती हैं। इस में कोशिश यह करनी चाहिये कि फैमिली प्लैनिंग के वास्ते जो दवायें बाहर से मंगाई जाती हैं उनके बजाय आयुर्वेदिक और यूनानी का प्रयोग किया जाय। आज सरकार इस की कोशिश क्यों नहीं करती है ? इस पर भी विचार करना चाहिए ।

मैंने जिन बातों की तरफ आप का विशेष ध्यान दिलाया है उन में से एक तो बोर्ड है, दूसरे सजा देने के बारे में। तीसरी आपत्ति मुझे जो है जिस की ओर मैं ज्वायेंट कमेटी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह है वार्डेन आफ प्रूफ के बारे में। सेक्शन १८ में लिखा है :

"बशर्ते कि इस धारा के अन्तर्गत अध्याय में उपबन्धित कोई दण्ड नहीं दिया जायगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध का उसे ज्ञान नहीं था अथवा कि उसने अपराध को रोकने के लिये समुचित सावधानी बरती थी।"

यह बार्डेन आफ प्रूफ की बात भी गलत है। जब अपराधी कटरे में आता है तो वह इन्नोसेंट समझा जाता है, वह निरपराध समझा जाता है। लेकिन इस में आप ने प्रज्यूम कर लिया है कि वह अपराधी है और उस को साबित करना है कि वह निरपराध है। बर्डेन आफ प्रूफ का धीरे धीरे इस तरह पर उपयोग करना गलत है इस कानून में ।

इस के साथ ही आपने कहा है कि सब कुछ जब्त कर लिया जायेगा। यह क्या है ? सब गाड़ियां और उसके साथ अगर कोई कनवेयन्स होगी, कोई पैकेज होगा या अगर वह उस चीज के वास्ते कोई गाड़ी उपयोग में लाई गई होगी तो वह गाड़ी, कन्वेयन्स, यानी हाथगाड़ी भी, आप जब्त कर लेंगे। इस तरह का कानून बनाना ठीक नहीं है। फारेस्ट एक्ट में इस तरह का कानून था। उस पर भी हाई कोर्टस् ने बड़े स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं कि इस तरह का कानून बनाना ठीक नहीं है। जो आदमी दवायें ले जाता है जब तक उसे नालेज न हो कि वह एडल्टरेटेड फूड या एडल्टरेटेड मेडिसिन ले जा रहा है तब तक आप किस तरह से उस की कन्वेयन्स को जब्त कर सकते हैं ? वोट हो, हाथगाड़ी हो, कोई कन्वेयन्स हो, उस का जब्त करना ठीक नहीं है। यह जो प्राविजन है वह भी गलत है। इस पर ज्बायंट कमेटी विचार करे। बाकी जो प्राविजनस हैं उन सब के खिलाफ यह जाता है ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का हर तरफ से स्वागत होगा। और मुख्यतया इसलिये स्वागत होगा कि जैसा **स्टेटमेंट आफ आब्जक्ट्स ऐंड रीजन्स** में दिया है :

> "उदापा समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट मालूम होता है कि कीमती कच्चे माल, जैसे सोना, अम्बर, हीरे आदि जिन का प्रयोग आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों में होता है या तो उन का प्रयोग नहीं किया जाता या उन के स्थान पर नकली वस्तुओं का प्रयोग होता है ।"

उन औषधियों का प्रयोग कुछ भी नहीं होता है। जैसे स्वर्ण सिन्दूर खरीदने जायें बाजार में तो आप को स्वर्ण सिन्दूर नहीं प्राप्त होगा। दाम तो उतना ही चार्ज करेंगे लेकिन ताम्र भस्म देंगे। इसी

[श्री रघुनाथ सिंह]

प्रकार से अगर मकरध्वज खरीदने जायें तो, जैसा मेरे भाई, श्री बड़े ने कहा है, उन्हों ने तीन चार औषधालयों के नाम लिये हैं, वैद्यनाथ है, काशी विश्वविद्यालय है, अलम्बिक है, झंडू है, एक ही दवा मकरध्वज है लेकिन एक जगह ८ रु० तोला, दूसरी जगह ५ रु० तोला, तीसरी जगह तीन रु० तोला, और कहीं पर १२ रु० तोला है। उस के इंग्रीडिएन्ट्स एक ही हैं, स्वर्ण का प्रयोग उस में जरूर होता है, उस में सलफर होता है, एक ही तरह का नुक्सा है आयुर्वेदिक का। तब फिर क्या कारण है कि वही दवा एक जगह पर ३ रु० तोला है दूसरी जगह पर ४ रु० तोला है और तीसरी जगह पर १२ रु० तोला है? इस प्रकार की चीजों को रोकने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं एक और उदाहरण आप को देता हूं। आप बाजार में आंवले का तेल देखिये। उदयपुर का तेल है, कांगड़ी का तेल है। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में शुद्ध आंवले का तेल बहुत कम बनता है। जो तेल आप देखते हैं उस में थोड़ा सा तिल का तेल होता है और थोड़ा जिस को आप व्हाइट आयल कहते हैं वह होता है। वह फोरन तेल होता है। कुछ मसाला डाल कर उसे खोलाते हैं। खौल जाने पर उस में सेंट डाल कर आंवले का तेल कह कर बाजार में रखते हैं।

श्री बड़े: आंवले का रस डालते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह: आंवले का रस आप ने कहा। मैं बतलाऊं कि बनारस में आंवला सब से अधिक प्रयोग होता है और बनारस ही सारे हिन्दुस्तान को उत्तम आंवला सप्लाई करता है। अगर आंवले का रस तेल में डाला जायेगा तो तेल इतना कास्टली हो जायेगा कि कोई उसे बेच नहीं सकता। क्योंकि अगर आप आंवले को कूटें तो रस बहुत कम मिलता है। आंवला का रस होता कैसे हैं? बनारस में जिस आंवले का मुरब्बा बनता है उसे कोंचा जाता है। उससे जो रस निकलता है वह बहुत कम होता है। इस तरह से मुश्किल से एक या दो मन तेल ही बन सकता है। कोई भी अगर बाजार में आंवला खरीदने जाता है तो वह १ या १ ½ रु० सेर खरीदता है। अगर आंवले को आप कूटेंगे, उस में परिश्रम लगायेंगे तो रस कितना निकलेगा? अगर एक सेर आंवला कूटेंगे तो मुश्किल से पाव भर रस निकलेगा।

श्री बड़े: कोल्हू में डालते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह: कोल्हू में वह नहीं डाला जाता है, इस वास्ते कि उस में बीज होता है। जब बीज होता है तो उस को लोहे के कोल्हू में डालना कठिन होता है। कोल्हू में डालने से तेल काला हो जायेगा।

श्री बड़े: दो हकीमों में चर्चा न होनी चाहिये। यह पार्लियामेंट है।

श्री रघुनाथ सिंह: यह आंवले का तेल लगाते नहीं हैं, अगर लगाते तो बाल काले हो जाते।

अध्यक्ष महोदय: आपको जो कुछ कहना था आप ने कहा। आप दोनों एक्स्पर्ट हैं, लेकिन यहां की बातों को समझें।

श्री रघुनाथ सिंह: इस लिये मैं कहता हूं कि जो आंवले का तेल है या इस प्रकार की दूसरी चीजें हैं उन पर कोई प्रतिबंध होना चाहिये, और जो चीज उस में डाली जाय वह उस पर लिखी जाय कि उस में फलां फलां चीजें डाली गई हैं और इस तरह से यह चीज तैयार हुई है।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर): आप के ख्याल से आंवले का तेल कैसे बनाना चाहिए?

समय नियत करने के बारे में प्रस्ताव

श्री रघनाथ सिंह : उस की पद्धति है । आंवले का रस भी पड़ता है तेल में ।

अध्यक्ष महोदय : आपने आंवले के तेल पर ही झगड़ा डाल दिया ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैंने इसलिये बतलाया कि उस को हर आदमी इस्तेमाल करता है और बाजार में बिकता है ।

श्री विश्राम प्रसाद : आप ने कहा कि आंवले का तेल धोखा है । तब आप को घर बैठ कर सरकार को बतलाना चाहिए था कि आंवले का तेल धोखा है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खाने की चीजों जैसे शरबतों, को आप लें । उन की बोतलों पर लिखा है शरबत केबड़ा, शरबत चन्दन । और आप से दाम चन्दन या केवड़ा के चार्ज किए जाते हैं लेकिन आपको जो शरबत मिलता है उस में चन्दन और केवड़ा का सेंट पड़ा होता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसी चीजों के लेविल पर लिखना चाहिए "सेंटिड शरबत केवड़ा" आदि । अभी तो हम दाम देते हैं असली चीज के और हमको मिलती है नकली चीज । यह न होना चाहिए ।

इसी तरह से गुग्गुल की बात है । यह आयुर्वेदिक की बड़ी अच्छी दवा है और इस का बहुत लोग उपयोग करते हैं । लेकिन जितने भी बड़े बड़े कारखाने इस को बनाते हैं उनके बनाए गुग्गुल का एक पैटर्न नहीं है । इस वास्ते मैं डाक्टर साहाब से कहूंगा कि जब यह बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जाए तो इस बात पर भी विचार हो कि जो विभिन्न कारखाने जैसे अलेम्बिक और हिन्दू यूनिवर्सिटी का कारखाना—जहां आप गयी थीं और उस विभाग को खोला है-आदि जो दवा बनाएं वह एक तरह की हो और जो आदमी बाजार में दवा लेने जाए उसको जेनुइन चीज मिले । यह न होना चाहिए कि दाम तो लिया जाय अच्छी चीज का और दी जाए नक्ली चीज ।

हमारे बहुत से भाइयों ने एक खास बात और उठायी है और खास तौर से लाइयर क्लास वालों ने । बिल में लिखा है कि जो सजा दी जाए वह दो साल से कम न हो । इस में लिखा है :

"दो वर्ष से कम नहीं होगा"

मुझे डर है कि इस का एब्यूज होगा । ऐसा करके तो आप मजिस्ट्रेट या जज के हाथ बांध देते हैं । हो सकता है कि एक गरीब आदमी जो खड़िया डाल कर टुथपेस्ट बनाता है और उस को फुट पाथ पर बेचता है वह इस कानून में पकड़ा जाए । उस को इस काम से दो तीन रुपया से ज्यादा नहीं मिलता । वह अपने लिए वकील नहीं कर सकेगा और न मुकदमे की पैरवी कर सकेगा । तो ऐसे आदमी को भी मजिस्ट्रेट को दो साल की सजा देनी होगी क्योंकि आपने उसके हाथ बांध दिए हैं । दुनिया में ऐसे कानून बहुत कम हैं जहां कि जज को इस के लिए बाध्य किया जाए कि वह इससे कम सजा न दे । तो मेरा सुझाव है कि इस क्लाज को हटाया जाए और इस में से ये शब्द "दो वर्ष से कम नहीं होगा ।" निकाल दिए जाएं । दस साल का जो मैक्सिमम सजा रखा है वह ठीक है पर मजिस्ट्रेट के हाथ इस तरह नहीं बांधने चाहिए । मैं आपको एक उदाहरण दूं । दफा ३९६ में डकेती के केस आते हैं । इन में ६महीने की भी सजा दी जाती है, एक साल दो साल की सजा भी दी जाती है और फांसी भी दी जाती है क्योंकि इस में खून भी होते हैं । लेकिन अगर यह कहा जाए कि ३९६ के केस में फांसी से कम सजा न दी जाए तो यह ज्यादती हो जाएगी और इस तरह से कानून का बहुत एब्यूज होगा । तो मेरा निवदन है कि जब यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी के सामने जाए तो डाक्टर साहब इस पर खास ध्यान दें ।

मैं उन से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों में मिलावट के बारे में तरह तरह की धारणाएं हैं । तो मेरा सुझाव है सरकार कोई ऐसी फर्म खोले जिस में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं तैयार हों, ताकि व शुद्ध रूप में और उचित कीमत पर जनता को मिल सकें ।

समय नियत करने के बारे में प्रस्ताव

[श्री विश्राम प्रसाद]

इन थोड़े शब्दों के साथ मैं डाक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि वे ऐसा सुन्दर विधेयक लायीं हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री कछवाय (देवास) : मैं माननीय मंत्राणी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बहस का उत्तर हिन्दी में दें क्योंकि अधिकतर सदस्य हिन्दी में बोले हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं डिप्टी स्पीकर महोदय के ख्याल से अंग्रेजी में बोल रही थी।

मैं इस सदन के सदस्यों की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी के साथ इस विधेयक पर अपने अपने विचार व्यक्त किये और सदन के दोनों तरफ से सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है।

यह विधेयक नया तो नहीं है। इस विधेयक में पुराने कानून को सुधारने की कुछ कोशिश की गयी है।

मुझे एक दो बातों पर कुछ आश्चर्य हुआ। दो तीन माननीय सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि इस में कम से कम सजा दो साल की रखी गयी है। जो पुराना कानून है उस में भी दो साल की सजा मौजूद है, लेकिन देखा यह गया कि करीब करीब किसी को भी वह सजा दी नहीं गयी। थोड़े बहुत जुरमाने कर दिए जाते हैं। और इस सदन में और राज्य सभा में भी अनेक बार माननीय सदस्यों ने इस पर असंतोष प्रकट किया है और चिन्ता प्रकट की है कि जुरमाने से कोई लाभ नहीं होता। लोग मिलावट के लिए जुरमाना दे देते हैं और फिर जो इस जुरमाने को देने में खर्चा हुआ है उस को पूरा करने के लिए और अधिक मिलावट करते हैं। तो सदन की इस भावना को सामने रखते हुए यह तरमीम रखी गयी है कि कम से कम दो साल की सजा की जाय। अगर कोई इस कानून की पकड़ में आ जाता है और गुनाहगार साबित हो जाता है तो उस को सचमुच ऐसी सजा दी जाय जो डराने वाली हो, और जिस के भय से लोग ऐसा काम करने से हिचकें और पीछे हटें। माननीय सदस्यों के जो भी विचार हैं वे सिलेक्ट कमेटी के सामने तो जायेंगे ही लेकिन मैं यहां यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि हम ने इस में कम से कम सजा की धारा क्यों रखी।

इसी प्रकार कहा गया है कि जो आदमी दो चार रुपये कमाता है उस को अगर जेलखाना करेंगे या उस पर ज्यादा जुरमाना करेंगे तो कैसे चलेगा। इस सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूं कि इस दो चार रुपये कमाने वाले को इस तरह की दवा बेचने देने की इजाजत देने की क्या आवश्यकता है। दवा आखिर में ऐसी चीज है जिसका जीवन और मृत्यु से सम्बन्ध है। मैं बहुत अदब से कहना चाहती हूं कि कभी तो माननीय सदस्य इतने आवेश में आ जाते हैं कि दवा में मिलावट करने वाले को चौराहे पर खड़ा कर के कोड़े लगाने की सजा तजवीज करते हैं, उन की निगाह में जेलखाने की सजा भी काफ़ी नहीं है। दूसरी तरफ हम भावना में आ जाते हैं कि किस तरह आप एक गरीब आदमी को इतनी सजा देंगे, कैसे उस के ऊपर इतना जुरमाना करेंगे, कैसे आप उसे जेलखाने भेजेंगे इत्यादि। तो समझने की बात यह है कि क्या दवा का धंधा रोटी कमाने के लिए किसी गरीब आदमी के हाथ में रखना उचित है। हम यह काम उसी के पास रहने दे सकते हैं जिस में वदवा बनाने की योग्यता हो, जिस के पास उन को बनाने के साधन हों और दवा बनाने के बाद उस को टैस्ट करने के साधन हों। दवा बेचना है तो उस के स्टोरेज के उपयुक्त साधन हों। ऐसे आदमियों के हाथ में यह काम रहना चाहिये। तो मेरा नम्र निवेदन है कि हम को इस में इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहिये कि हम को अच्छी दवा मिले बनिस्बत इस के कि किसी छोटे या गरीब आदमी को इस काम को अपनी रोटी कमाने का साधन बना सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि कुछ लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर बना कर कलकत्ते में या किसी और जगह बेचा और उस से बहुत नुकसान हुआ । वह इसी तरह हुआ कि कुछ गरीब लोगों ने सोचा कि चलो यह बहुत अच्छा तरीका है चार पैसे कमाने का । रोटी बनाने के बाद स्टोव पर डिस्टिल्ड वाटर तैयार कर लो और उस को ट्यूब में बन्द कर के बेच दो । उस से कितने लोगों को नुकसान हुआ और कितनों की जानें गयीं इस का ठीक अन्दाजा नहीं है । लेकिन यह चीज पकड़ में इस तरह आयी कि ये एम्प्यूल बहुत सस्ते दामों में बिक रहे थे, इतने सस्ते दामों में कि जो उचित साधन रखने वाले लोग हैं वे इस को इतने सस्ते दामों पर बना कर नहीं बेच सकते थे । तब यह चीज पकड़ में आयी ।

इसी प्रकार कुछ माननीय सदस्यों की ओर से कहा गया है कि जो हम ने वारंटी क्लाज़ निकालने की बात की है वह ठीक नहीं किया । उन का कहना है कि जो रिटेलर होलसेलर से खरीद कर लाता है और बेचता है उस का क्या कुसूर है अगर वह दवा खराब निकले तो । इस में हुआ यह कि कई केसेज़ में जब दवा खराब पायी गयी तो बेचने वाले ने कहा कि मैं बनाने वाला नहीं हूं, बनाने वाला तो फलां आदमी है, आप उस को तलाश कीजिये, मेरा कोई कुसूर नहीं है । लेकिन जब उस को तलाश करने जाते हैं तो देखते हैं कि न कोई ,ऐसे नाम का आदमी है न कोई फर्म है । अब आप किस को पकड़ेंगे । इसलिये ऐसा सोचा गया कि जो कोई दवा खरीदता है और खरीद कर बेचना चाहता है जनता को, उस का यह धर्म है कि वह उन से दवा खरीदे जो अच्छे माने हुए दवा बनाने वाले हैं, न कि उन से जोकि रसोई घर में बैठ कर डिस्टिल्ड वाटर बना लेते हैं और उस को पांच नए पैसे में बेच देते हैं । ऐसे लोगों से ज़रा सस्ते दामों पर ख़रीद कर बेचने से नफ़ा ज्यादा होने की उम्मीद होती है । इसलिए वह ग़लत जगह से चीजें ख़रीद कर ले आता है लेकिन जब पकड़ होती है तो कहता है कि मैं तो बेगुनाह हूं । लेकिन क्या कभी यह भी सोचा गया है कि जिस बेचारे को उस ख़राब और अशुद्ध दवा से नुक्सान हुआ वह किस को पूछे और वह किस के पास जाय ? इसलिए यह दफ़ा रक्खी गई है कि जो ख़रीद कर लाता है और बेचता है उस का यह धर्म है कि वह सही जगह से, ठीक जगह से जो बनी हुई दवा खरीदे और बेचे ।

श्री गांधी ने कहा कि जो दवा स्वत: रक्खी हुई बिगड़ जाती है, विटामिन्स वग़ैरह, उस के ऊपर सज़ा न हो । अब उन की यह बात मुनासिब बात नहीं है । अगर दवा का स्टोरेज ठीक नहीं होगा, ठीक तरीक़े से उस को नहीं रक्खेंगे, समय से ज्यादा अर्से तक उस को रख लेने से उस की शक्ति कम रह जायगी तो क्या जो ग्राहक है वह उस ख़राब दवा को ख़रीद ले और सरकार ग्राहक की उस से रक्षा न करे ? ग्राहक की ख़राब दवाई से रक्षा न की जाय, यह कोई ठीक बात तो नहीं होगी । इसलिए इस क़िस्म की मांग करना कि स्वत: ख़राब हो जाने वाले दवा बेचने के लिए दवाफ़रोशों को दंड न दिया जाय, मुनासिब नहीं ।

सदन में कहा गया कि आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग्स को तो आप ने इस विधेयक में शामिल कर दिया है लेकिन आप ने इस में होम्योपैथिक दवाइयों को शामिल नहीं किया है तो मैं उन को बतलाना चाहती हूं कि होम्योपैथिक ड्रग्स तो पहले से ही शामिल हैं । अलबत्ता यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां उस में शामिल नहीं थी इसलिए अब यह क़ानून उन के ऊपर भी लागू किया जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि देहातों में जो दवा बनायेंगे अपने बीमारों के लिए, तो उन के ऊपर भी क्या यह क़ानून लगायेंगे ? मेरा कहना यह है कि जो वैद्य या हकीम अपने बीमारों के लिए खुद अपने घर में दवा तैयार करता है उस के ऊपर यह क़ानून लगाने की बात नहीं है । लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जो फैक्टरीज़ लगा कर दवाएं बना और बेच रहे हैं, लाखों रुपये की दवायें बनाते

[डा० सुशीला नायर]

हैं और बेचते हैं उन के ऊपर यह कानून लगाने की बात है। जैसा कई एक माननीय सदस्यों ने कहा कि आज आयुर्वेद का दवाओं के मामले में बड़ी भारी मिलावट होती है तो इस मिलावट को रोकने के लिए इस कानून में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। अब मिलावट का यह हाल है कि ऐस्प्रिन वगैरह में कुछ थोड़ी सी डाल दी शंखभस्म, और उस का नाम रख दिया श्वेतचूर्ण। वे आज किसी की पकड़ में नहीं आ सकते, क्योंकि नाम आयुर्वेद का दे दिया है। तो इस क़िस्म की जो बातें होती हैं उन को सख्ती के साथ रोकने की आवश्यकता है। बड़े बड़े वैद्यों ने भी कहा है कि यह होना चाहिए। उडप्पा कमेटी ने इस को कहा है। इस सदन ने भी कहा है और इस सदन की ऐस्टीमेट्स कमेटी ने भी कहा है। इसलिए आयुर्वेद और यूनानी दवाओं उन पर यह क़ानून मर्यादित तरीक़े से लगाने की बात है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि दवाओं का स्टैंडैराइज़ेशन होना चाहिये। इस के लिए पहले से ही एक कमेटी नियुक्त की जा चुकी है। जगह पर रिसर्च हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है और विशेषज्ञ इस काम को कर रहे हैं ताकि इन दवाओं का स्टैंडैराइज़ेशन हो सके, किस दवा में क्या चीज़ कितनी होनी चाहिए। इस का मापदण्ड हमारे पास मौजूद रहे।

एक सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा यह भी दिया गया कि हम को दवा शुद्ध मिले, इस के लिए सरकार स्वयं आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनाना शुरू करे। कई ने यह कहा कि सारी की सारी ड्रग्स इंडस्ट्री को नेशनलाइज़ेशन होना चाहिये। श्रीमन्, जो चार नये कारख़ाने दवाएं बनाने के लग रहे हैं जब उन में दवा बनन लगेगी तो क़रीब ८० प्रतिशतः दवा सरकारी कारख़ानों में ही बनेंगी, थोड़ी सी सिर्फ बाहर रह जायेंगी।

जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को बनाने का सवाल है चंद एक अच्छे कारखाने हैं जहां यह दवाएं बन रही हैं। अब देखने का सवाल है कि इन दवाओं को उन से बनवाया जाय या कहीं और बनाया जाय। माननीय सदस्य का जो सुझाव है वह इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है लेकिन वैसे इस पर विचार किया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो मिलावट वाली दवा बनायेंगे उन की कार, गाड़ी वगैरह सब ज़ब्त कर लेना यह कहां की बात है ? अब सवाल यह है कि जो मिलावट वाली दवा बनाते हैं, गंदी दवा बनाते हैं उन के उस दवा को बनाने के साधनों को ज़ब्त करने और उस दवा को ले जाने का जो साधन है उस को भी पकड़ लेने की बात इसमें इसलिये रक्खी गई है ताकि ऐसा गंदा काम करने वालों को भय हो, इस तरीक़े से दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ कर के जो पैसा बनाना चाहते हैं उन को शर्म महसूस हो, उन को ऐसा करते हुए चिहकिचाहट हो क्योंकि ऐसा करने से उन को बहुत नुक़सान हो सकता है। कानून में इस तरह की व्यवस्था कोई नई चीज़ नहीं है। इस किस्म की धारायें दूसरे कानूनों में भी मौजूद हैं।

फिर यह कहा गया कि ऐंटीबायोटिक्स वगैरह लोग ज्यादा लेते हैं इस को रोकना चाहिए। हैल्थ एजुकेशन करनी चाहिये। इस मे कोई शंका नहीं है कि स्वास्थ्य शिक्षा बहुत आवश्यक है और यह लोगों को दी जानी चाहिये। हम यह काम कर भी रहे हैं और उस को और ज्यादा बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आयुर्वेद में जो अच्छी अच्छी दवाएं मिलती हैं उन तमाम को ले कर आप अपनी फार्मकोपीया में क्यों नहीं दाखल कर लेते ? किसी ने यह भी कहा कि हम ब्रिटिश फार्मकोपीया इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी फार्मकोपीया बनानी चाहिए । हमारी अपनी फार्मकोपीया होनी चाहिए । मैं बतलाना चाहूंगी कि हमारी अपनी फार्मकोपीया काफी दिनों से बन चुकी है और हम कई एक अपने यहां की दवाएं उस में दाख़िल भी कर चुके हैं । आयुर्वेदिक से कई दवाएं ले कर, उन का ऐनालिसिस करके, उन को टैस्ट कर के अभी जो नया फोर्मकोपीया बना है उस में भी उन्हें हमारे फोर्मकोपीया में डाला गया है । तीन-चार ऐसी दवाएं अभी अभी डाली गई हैं जैसे जटामंसी है और दूसरी कुछ और दवाएं हैं । यह सिलसिला चालू है । जैसे जैसे नई दवा मिलती है उस को हम टैस्ट कर लेते हैं, उसका असर समझ लेते हैं और उस के बाद हम उस को फार्मेकोपीया में दाख़िल कर लेते हैं ।

कई माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि क्वैक्स को क्यों नहीं रोकते हैं । उन को रोकने की आवश्यकता है, मैं इस से बिलकुल सहमत हूं । स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एक विधेयक बना कर भेजा था राज्य सरकारों को, कुछ राज्य सरकारों ने वह विधेयक अपने यहां पास भी किया है लेकिन उस पर और तवज्जह देने की ज़रूरत है.और कड़ाई से कानून का पालन करने की आवश्यकता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आप यह कड़ा कानून तो बना रही हैं लेकिन कानून का अमल ठीक तरीक़े से होना चाहिए, यह आवश्यक है । मैं इस को बिलकुल मानती हूं । कानून तभी लाभदायक साबित हो सकता है जब कि उस के ऊपर सही प्रकार से अमल भी हो और अमल करने के लिए जो साधन चाहिएं वह साधन भी मौजूद हों । इस तरफ़ हम तवज्जह दे रहे हैं और राज्य सरकारों की भी तवज्जह दिला रहे हैं । उन को कई एक पत्र वग़ैरह भी इस बारे में लिखे हैं और अभी जो हमारी सैंट्रल हैल्थ कौंसिल की नवम्बर में मीटिंग होगी उस में भी इस बारे में और चर्चा होने जा रही है ।

श्री बड़े : इस संशोधन विधेयक की धारा ३ के अनुसार जो बोर्ड बनने जा रहा है उस में वैद्यों को रखना चाहिए ।

डा० सुशीला नायर : बोर्ड में वैद्यों को रखा गया है । यह सोचा गया है कि आयुर्वेदिक रिसर्च का जो काम कर रहे हैं वे उसमें ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे और इसलिए उन को इस में रखा गया है । इस के अलावा जो बड़ी बड़ी दवाएं बनाने वाली फ़ारमेसीज़ हैं उन के प्रतिनिधियों को भी रखने की बात है । मेरा ख़याल है कि उस में कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

श्रीमन्, इस के अलावा इस समय तो इस विधेयक को ख़ाली ज्वाएंट कमेटी के सुपुर्द करने की बात है । इस विधेयक को कोई हम पारित तो कर नहीं रहे हैं इसलिए और अधिक समय सदन का लेना मुझे आवश्यक नहीं लगता है । मैं फिर से इस सदन का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी से इस बहस में हिस्सा लिया और चारों तरफ़ से इस विधेयक का स्वागत किया है । मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि उन्होंने जो विचार प्रकट किये हैं, ज्वाएंट कमेटी, उन सब पर विचार करके आख़िरी फैसला करेगी, और वह सदन के सामने आयेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी २८ अगस्त, १९६३ की बैठक में स्वीकार किये गये और २ सितम्बर, १९६३ को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में की गई

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक-सभा भेषज तथा शृंगार सामग्री अधिनियम, १९४० में आगे संशोधन करने वाले बिल सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित २० सदस्य मनोनीत किये जायें, अर्थात् डा० रा० बनर्जी, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, डा० गायतोंडे, श्री शिव चरण गुप्त, श्री हरि विष्णु कामत, श्री लहरी सिंह, श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा, डा० मेलकोटे, श्री मुरारका, श्री वी० सी० पाराशर, डा० द० स० राजू, श्री शिवराम रंगो राने, डा० शरदीश राय, श्री अ० त्रि० शर्मा, डा० सरोजिनी महिषी, श्रीमती जयबहिन शाह, श्री कृष्णपाल सिंह, डा० श्रीनिवासन, श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव, और डा० सुशीला नायर।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

समय नियत करने के बारे में प्रस्ताव

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए ५ घंटे का समय नियत करने से सहमत है।"

इस बारे में कार्य-मंत्रणा समिति में मतभेद रहे हैं अतः समय निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम) : संयुक्त समिति में किसी भी महिला सदस्य को नहीं लिया गया।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : इतने महत्वपूर्ण विधेयक के लिए चर्चा का समय केवल ५ घंटे रखना, सरकार की गैर-जिम्मेदारी का कृत्य है। इस पर तो सोच-विचार और मत प्रकट का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

†**श्री बड़े** (खारगौन) : कम से कम दो दिन होने चाहिए।

†**श्री विश्राम प्रसाद** (लालगंज) : मैं कहना चाहता हूं कि जैसा यह बिल है और जैसी इस की इम्पार्टेंस है, उस के लिहाज से यह टाइम कम है और इस पर कम से कम दस घंटे बहस होनी चाहिए।

†**श्री लहरी सिंह** (रोहतक) : यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है, इस पर चर्चा के लिए कम से कम १० घंटे रखे जाने चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी कहा गया है, यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। इस के मैरिट्स पर न जा कर मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए कम से कम दस घंटे का समय दिया जाये और सब माननीय सदस्य इस बात का समर्थन करें। जो रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य हैं, वे भी दस घंटे के लिए सहमत हो जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

†**श्री अ० क० गोपालन** (केसरगोड) : इसके लिए कुछ अधिक समय होना चाहिए।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : यह महत्वपूर्ण विधेयक है इसीलिये तो इसे संयुक्त समिति के सुपुर्द किया गया है आज तक किसी भी विधेयक पर २, ३ दिन अथवा १०, १२ घंटे चर्चा नहीं हुई। इस प्रकार की बातों को सदन के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करना भी अच्छा नहीं लगता। अतः मैं ७ घंटे स्वीकार करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए ७ घंटे का समय नियत करने से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को ४५ सदस्यों की दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिस में इस सभा के ३० सदस्य हों, अर्थात्, श्री विभूति मिश्र, श्री सचीन्द्र चौधरी, श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, श्री अ० क० गोपालन, श्री काशी राम गुप्त, श्री अन्सार हरवानी, श्री हरिश्चन्द्र हेडा, श्री हेम राज, श्री अजित प्रसाद जैन, श्री कन्दप्पन, श्री केप्पन, श्री लीलाधर कटकी, श्री ललित सेन, श्री हरेकृष्ण मेहताब, श्री जशवन्तराज मेहता, श्री बिबुधेन्द्र मिश्र, श्री पु० र० पटेल, श्री तु० अ० पाटिल, श्री राघवन, श्री रघुनाथ सिंह, श्री राम सेवक, श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री भोला राउत, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री म० प० स्वामी, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री राधेलाल व्यास, श्री बालकृष्ण वास्निक, श्री राम सेवक यादव, और श्री अशोक के० सेन

और राज्य सभा के १५ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

---

†मूल अंग्रेजी में

(श्री आ०कू० सेन)

विधेयक का लक्ष्य माननीय सदस्यों पर प्रकट हो गया होगा। आखिर इसे प्रस्तुत करने की क्यों आवश्यकता हुई। केरल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के दो निर्णयों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद ३१-क में "सम्पत्ति" शब्द की व्याख्या में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। जब संविधान में संशोधन किया गया था तो इस बात का ध्यान ही नहीं आया था कि अनुच्छेद ३१-क (२) में "सम्पत्ति" शब्द की जिस प्रकार व्याख्या की गयी है उससे इस मामले का अर्थ गलत ही निकाला जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि भूमि अर्जन विधियों अथवा भूमि सुधार विधियों में कई महत्वपूर्ण स्वामित्व अधिकार सम्मिलित न किये जा सकें, जिन का उद्देश्य स्वामित्व के अधिकारों को कम करना और जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारित करना है।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जो निर्णय दिया और जो निर्णय हाल ही में केरल उच्च-न्यायालय ने दो मामलों में दिये हैं, उन से यह पता चलता है कि केवल मात्र केरल में ही, समूचे राज्य में लागू किये जाने वाले भूमि सुधार विधि की वैधता के बारे में, सन्देह हो सकता है। यह सन्देह इसलिए भी पैदा हो सकता है क्योंकि वहां विशेष प्रकार की पट्टेदारी है। अतः इन हालात में केरल के कुछ भागों में कई ईनामदारी अधिकारों को अनुच्छेद ३१-क के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त रखना होगा। फिर भी यह नवीं अनुसूची के अनुकूल नहीं होगा। इसी प्रकार की कुछ कठिनाइयां बम्बई विधि के अन्तर्गत भी आती हैं।

हमारी भूमि सम्बन्धी नीति का यह मूल सिद्धान्त है कि हम अधिक समय तक स्वामित्व अधिकार रहने नहीं दे सकते। इसका उद्देश्य यह है कि किसान को उस भूमि का मालिक बना दिया जाय, जिसको कि वह जोतता है। जब तक किसानों को मालिक नहीं बनाया जाता, वे प्रभावशाली ढंग से उत्पादन नहीं कर सकते। इस हालत में कृषि उत्पादन में किसी प्रकार भी किसी प्रकार की वृद्धि की आशा नहीं हो सकती। जापान ने युद्ध के बाद कृषि में जो महान परिवर्तन किये हैं वे बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुये हैं। उससे उनकी उत्पादकता भी बढ़ी है और कुशलता भी। इस सब का मुख्य कारण एक ही है कि किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया है। हमारे देश में भी इसी प्रकार का कोई पग उठाया जाना चाहिए। देश भर में स्वामित्व सम्बन्धी हितों को समाप्त कर भूमि और पट्टेदारी के उसी तरह के ढंग अपना लिये जाय। भूमि की जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। भूमि की उपलब्धता, और उस पर निर्वाह करने वाले लोगों की संख्या प्रत्येक राज्य के अपने अपने हालात पर निर्भर होगी।

हमारी भूमि सम्बन्धी नीति की मुख्य बात यह है कि स्वामित्व के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाय। जोत की अधिकतम सीमा को निर्धारित किया जाय। इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमको सर्वोच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के हाल के निणयों के कारण इस विधि में परिवर्तन करने चाहिए। इसी उद्देश्य से हम 'सम्पत्ति' शब्द की व्याख्या में परिवर्तन कर रहे हैं। परन्तु यह समस्या इतने से ही हल नहीं हो जाती। व्यक्तिगत रूप में किसानों द्वारा जोत की अधिकतम सीमा के बारे में विधि की वैद्यता को चुनौती देने से भी यह समस्या हल नहीं होगी। एक बात स्पष्ट है कि हम आर्थिक और सामाजिक आयोजन के ऐसे मूलभूत मामलों के बारे में कोई जोखिम नहीं उठा सकते। हम नहीं चाहते कि हर विधान को चुनौती दी जाय और विधियों को अवैध

घोषित किया जाय। इसीलिए हम ने इनको वैधता के बारे में उत्पन्न होने वाली किसी भी अनिश्चितता को दूर करने के लिए नवी अनुसूची में १४३ विधियां रखी हैं। उन लोंगों से जमीन ले ली जाये जिनके पास फालतू है और उन्हें दे दी जाय जिनके पास नहीं है। यही इसका उद्देश्य है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। यह गम्भीरता इस लिए नहीं कि हम एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहे हैं। परन्तु इस लिए कि हम ने जो यह समझा था कि इस निधि को चुनौती नहीं मिल सकेगी, परन्तु उसे चुनौती मिल गयी है। और यह चुनौती बहुत सफलता से की गयी है। कई बातों के भविष्य की कई बार ठीक तरह कल्पना नहीं की जा सकती। हमें महसूस हुआ है कि पहले जो विधि बनाई गयी है, उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अतः संविधान में और परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। सिद्धान्त पहिले भी था और अब भी रहेगा, वह यह कि जाते की अधिकतम सीम के अनुसार भूमि को समुचित ढंग से वितरण किया जायेगा। हम उसे करने जा रहे। सभी राज्यों में इस दिशा की ओर कदम उठाये जा रहे हैं। हमारा साधनों के बारे में मतभेद हो सकता है, परन्तु सिद्धान्त के बारे में हमारा कोई सिद्धान्त नहीं। संयुक्त समिति ने इन सब मामलों पर विचार करना है। इस मामले में हम बिल्कुल किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। यह आधारभूत मामला है।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : आपने अभी कहा है कि क्योंकि परिसीमन अधिनियम को चुनौती मिल गयी इसे नसी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। परन्तु भमि राजस्व सम्बन्धी अधिनियमों की अवस्था क्या है क्या मध्य प्रदेश का राजस्व अधिनियम उसमें है? यही हमारी कठिनाई है।

†**श्री (आ० क०) सेन** : यदि संयुक्त समिति में यह सिद्ध हो गया, हम इस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते। यह कार्य संयुक्त समिति का है। हम इसमें सम्मिलित किये जाने पर जोर नहीं देंगे। परन्तु यह सिद्ध करना है कि कोई विधान बिना किसी उद्देश्य के ही नयी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री क० ना० तिवारी (बगदा) : मैं एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। जो सीलिंग के बाद आप जमीन लेंगे उसका कम्पेन्सेशन देने का रेट क्या होगा?

श्री अ० कॅ० सेन : इसका फैसला होगा विभिन्न साधनों द्वारा जोकि विभिन्न राज्यों द्वारा लाये जाय या पास किए जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे १५ फरवरी
किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : ये दोनों प्रस्ताव अब सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री रंगा : आज का दिन भारत के किसानों के लिए मनहूस दिन है कि यह विधेयक पारित कर यह विधान संयुक्त समिति के सुपुर्द किया जा रहा है। यह तो देश के किसानों को नष्ट कर देगा। यह विधेयक उन सभी लोगों पर लागू होगा जो गांवों में रहते हैं और उन शहरी लोगों पर भी लागू होगा जिनकी गांवों में कुछ भूमि है ।

यह साधारण विधेयक नहीं है। संविधान (संशोधन) विधेयक है। यह बड़े खेद की बात है कि सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वह अपनी सुविधा के अनुसार उसमें १६ बार संशोधन कर चुकी है और अब भी कर रही है। जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय ने किसी विधि को त्रुटिपूर्ण और संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध बताया, सरकार ने तुरन्त एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने में तनिक भी झिझक नहीं दिखाई। सरकार के विचार में संविधान के निदेशक सिद्धान्तों से निकलने वाले सिद्धान्तों के नाम पर मूलभूत अधिकारों को निरर्थक बनाया जा रहा है। संविधान के बारे में इस प्रकार से कार्यवाही करना, कभी भी उचित ढंग नहीं कहा जा सकता। इसके विरुद्ध हम अपना विरोध प्रकट करते रहे हैं परन्तु सरकार ने सुनवाई नहीं की। अनुच्छेद ३०, ३१, ३१-क का अजीब सा इतिहास रहा है। जब भी सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों में नुक्स पाया, सरकार ने संविधान के संशोधन के लिए इस सभा के सामने विधेयक रखा। अतः सरकार सवच न्यायालय की अक्लमन्दी से लाभ नहीं उठाना चाहती।

सरकार कहती है कि यह नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आती है। इन सिद्धान्तों से भी अधिकतर महत्वपूर्ण मूल अधिकार हैं जिनकी सुरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। इन अधिकारों का दमन किया जा रहा है।

इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी योजना में भूमि सुधारों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। यह भी कहा गया है कि अधिकतम सीमा अधिनियम लागू किए जा रहे हैं। केरल को छोड़ सभी राज्यों के बारे में काफी जानकारी दी गई है। यदि वे अधिकतम सीमा लगाने के ही इच्छुक हैं तो इस विधेयक की इतनी जल्दी नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के वेतनों पर अधिकतम सीमा नहीं लगाई गई है। उस के लिए तो कहा जाता है कि २,५०० रुपये प्रतिमास से कम में विशेषज्ञ कैसे मिल सकते हैं। कृषिकों की आय पर ५०० रुपए प्रतिमास की सीमा लगा दी गई है। इसका मतलब यह है कि सरकार किसानों के हितों का विरोध करती है।

सरकार विभिन्न राज्यों में भूमि पर सीमाओं के बारे में जो विधान हैं उन को संविधान के अनुसार बनाने की बजाए वह इस विधान को संविधान का भाग बना रहे हैं। भूमियों पर सीमाएं लगाने की लिए कोई एक नियम नहीं अपनाया जा रहा है। कहीं किसी नियम के अनुसार सीमा निर्धारित की जा रही है और कहीं किसी नियम के मुताबिक।

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकतम सीमा के नियम पर आपत्ति नहीं उठाई है। किस तरह इस का कार्यान्वियन हो इस पर आपत्ति उठाई है। कितना प्रतिकर देना चाहिए, उस पर आपत्ति की है। सर्वोच्च न्यायालय के आपत्ति उठाने पर संसद ने संशोधन किया

†मूल अंग्रेजी में

और अनुच्छेद ३१क को ले आए। इस तरह से उन्होंने सरकार की विशिष्ट नीति को बचा लिया। किसानों की भूमि लेने के लिए उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए।

रैयतवाड़ी किसानों को इस विधेयक के अन्तर्गत न लाने के बारे में मैंने प्रधान मंत्री को लिखा। मुझे योजना आयोग से उत्तर मिला कि गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में रैयतबाड़ी खेतों को संपदा की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः ऐसे सभी किसानों को उस परिभाषा के अन्तर्गत लाने में कोई गलती नहीं है। यह तरीका तो एकाधिनायक को शोभा देता है न कि लोकतन्त्रात्मक सरकार को।

रैयतबाड़ी किसान अपनी भूमि के स्वामी हैं और उन्हें ऐसा मान लिया गया है। उन में से बहुत कम लोग अमीर हैं। उनकी आय ५०० रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं है। उनको भी इस विधान से हानि पहुंचाई जा रही है। उन को ऐस्टेटदार घोषित कर के उन पर वही सख्तियां की जा सकती हैं जो कि ताल्लुकेदार, जागीरदार और अन्य लोगों पर की गई हैं। उन की भूमि अर्जित की जा सकती है और इस विधेयक द्वारा यह शक्ति ली जा सकती है। उनकी भूमि सरकार जबरदस्ती सरकार के प्रयोग के लिए, सहकारी खेतियों के लिए या अन्य लोगों के प्रयोग के लिए ले सकती है। सरकार यह भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लेगी। सार्वजनिक प्रयोजन की भाषा को यथासम्भव व्यापककरने की इच्छा है। भूमि का प्रतिकर कितना मिलेगा। यह अधिकारी जो इस काम के लिए नियुक्त किए जायेंगे उन की मर्जी पर होगा। उन को प्रतिकर किश्तों में दिया जाएगा और नकद की बजाए बांड दिए जाऐंगे।

केरल में कम्युनिस्टों के जेनमाम भारकियों के हित के लिए कुछ करना चाहिए। उन के लिए वे भूमि उसी प्रकार चाहते थे जैसे कि सारे भारत में हम जमींदारी भारकियों के लिए चाहते थे। उस में उन्होंने उन रैयतवारों को भी शामिल किया जो केरल राज्य में आने वाले थे। कम्युनिस्ट सरकार ने उस विधेयक को पारित किया, परन्तु राष्ट्रपति ने रोक लिया। फिर कांग्रेस सरकार ने विधेयक पास किया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया।

उन्होंने विधेयक का संशोधन करने की बजाए १२३ अधिनियम जो राज्यों ने पारित किए को संविधान का अंग बनाया जा रहा है। यह तो कम्युनिस्टों का तरीका है।

इस विधेयक का क्या नतीजा होगा? ६५० लाख किसान परिवारों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। उन में असुरक्षा की भावना रहेगी, क्योंकि पता नहीं कब उन की भमि छीन ली जाएगी। इस विधेयक को आपातकाल में तो नहीं लाना चाहिए था। जब कि हम देश को चीनियों के मुकाबले के लिए मज़बूत करना चाहते हैं तो इस विधेयक से उन के मन में असुरक्षा नहीं पैदा की जानी चाहिए।

इस विधेयक से किसानों के हितों की अवहेलना होगी। लगभग ६८,००० किसानों ने लोक सभा सेक्रेटरी को याचनाएं भेजी हैं। सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। अब १९६७ आ रहा है।

इस विधेयक पर लोगों की राय जाननी चाहिये। अगले निर्वाचनों में लोगों की राय जानने के बाद यदि वे चाहें तो इसे लाया जा सकता है। जो किसानों के स्वामित्व का विरोधी है वे कम्युनिस्ट विचारों के लोग हैं।

[श्री रंगा]

आज रूस में कृषि उत्पादन इसलिए पीछे है कि पिछले ४५ वर्षों में उन की नीति किसान विरोधी थी। क्या हमारा देश भी उन्हीं कठिनाइयों में से गुजरना चाहता है।

यदि सरकार विधेयक को इसी तरह पारित करना चाहती है तो उन्हें लोगों का सामना करना चाहिये। उन की राय लेनी चाहिए।

इस विधेयक को लोकमत के लिए परिचालित किया जाय। इतने महत्वपूर्ण विधेयक के सम्बन्ध में लोगों में काफी प्रचार किया जाना चाहिये।

इन हालात में सरकार को इस विधेयक को पारित करने का कोई अधिकार नहीं। हम इस का संसद् में और बाहर विरोध करेंगे।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : स्वतंत्र पार्टी ने इसलिए इस विधेयक का विरोध किया है, क्योंकि इस विधेयक का सम्बन्ध जमींदारी से है। स्वतंत्र पार्टी महाराजाओं और महारानियों की पार्टी है।

यह विधेयक देर से लाया गया है। तीन योजनाएं आ चुकी हैं। संविधान के निदेशक सिद्धान्त हैं। श्री रंगा ने कहा कि संविधान का संशोधन किया जा रहा है। संविधान लोगों की भलाई के लिए है। इसलिए यदि उस का संशोधन करना पड़े तो बुरी बात नहीं।

इस विधेयक द्वारा हम संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का कार्यान्वियन कर रहे हैं। जिन की भूमि अधिकतम सीमा से कम है उस को नहीं छेड़ा जायगा। यह तो संवैधानिक कार्रवाई है। यदि भूमि सुधार न किया गया तो अधिक से अधिक भूमि जमींदारों के कब्जे में आती जायगी। ८० प्रतिशत किसानों और कृषि मजदूरों के पास भूमि नहीं होगी। उन की खरीदने की ताकत नहीं बढ़ेगी। प्रस्तावित सुधारों से हम खुश नहीं हैं, परन्तु यह अच्छी बात है कि सरकार ने कुछ विधान पास किए हैं।

जब हम ने समाजवाद का लक्ष्य सामने रखा है तो परिवर्तन अवश्य करने पड़ेंगे। प्रश्न यह है कि क्या परिवर्तन लोगों के कल्याण के लिए हैं।

"संपदा" की परिभाषा के बाहर कई प्रकार की भूमि रह जाती है। अतः उन का परिवर्तन निश्चय ही करना है।

यह आवश्यक है कि अनुसूची में कि जिक्र किए गए सभी अधिनियमों को रहने देना चाहिए। उन के न होने से उदाहरणतः केरल में अधिनियम जो १९५७ में पारित किया गया था १९६३ में भी कार्यान्वित नहीं किया गया था, क्योंकि कई ज़मींदार न्यायालय गए और इस के कार्यान्वयन को रोक दिया।

अतः जो जमींदार——भारकी ढांचे का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं ताकि किसान स्वामित्व बढ़े हम उस विधेयक का समर्थन करेंगे। जो इस का विरोध करते हैं वह स्वभावतः इस का विरोध करेंगे। जो यह चाहते हैं कि भूमि विधान के कार्यान्वियन में न्यायालय के निर्णनय में रुकावट न डालें वे इस विधेयक का समर्थन करेंगे। यदि आप जो मुकद्दमेबाज़ी की स्वाधीनता देना चाहते हैं और जमींदारी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं वे विधेयक का विरोध करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रंगा ने मूल अधिकारों का जिक्र किया। उन्होंने जमींदारों के मूल अधिकारों का समर्थन किया न कि किसानों के। ऐसे मूल अधिकार देश के लिए हानिकारक होंगे।

जो संविधान के निदेशक सिद्धांतों तथा आयोजना के विरुद्ध हैं वे ही इस विधेयक का विरोध करेंगे। केरल में भी इसी प्रकार का विधेयक लाया गया था। केरल ने योजना आयोग के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भूमि सुधार विधेयक पारित किया था। तथापि १९६३ में उन्हें पता लगा कि जो कुछ भी विधान पारित किये गये वे रद्द हो गये और नये विधान बना दिये गये हैं।

वस्तुतः सरकार, प्रत्येक योजना में यह कहती रही है कि भूमि सुधार अधिनियमों को क्रियान्वित किया जाये। यह नीति योजना आयोग ने भी स्वीकार कर ली है। इसे तत्काल क्रियान्वित किया जाये।

भूमि नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त अधिकतम सीमा निश्चित करना है। विभिन्न राज्यों ने भिन्न भिन्न अधिकतम सीमायें निश्चित की हैं। जब आप अधिकतम सीमा के बारे में कोई विधेयक पारित करते हैं तो आप पहिले से ही एक नोटिस देते हैं कि हम एक विधान पारित करने जा रहे हैं तथा आप ५० एकड़ से अधिक भूमि नहीं रख सकते हैं इतने पर भी जो व्यक्ति ५० एकड़ से अधिक भूमि रखता है वह पागल ही है।

संविधान में संशोधन का अभिप्राय उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इस प्रकार बताया गया है कि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विधियों तथा कृषि तथा अन्य समाज सुधार से संबंधित मद जिन से कि स्वामित्व के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, संविधान के अनुच्छेद १४, १९ और ३१ के क्षेत्र से हटा दिये जायें।

उस में यह भी कहा गया है कि हमारा उद्देश्य भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करना है। इस आशय के लिये ये संशोधन आवश्यक है। तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि 'एस्टेट' शब्द की परिभाषा नवीं अनुसूची में इन सभी अधिनियमों को शामिल करना बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा उत्पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण लेगा और तब मुकदमेबाजी होगी। केरल कृषि संबंधी विधेयक के सम्बन्ध में भी यही हुआ था। अब केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को नया विधेयक लाने की अनुमति दे दी है। जब हम इस विधेयक में ही केरल कृषि संबंध विधेयक को शामिल कर रहे हैं तब नये विधेयक का क्या लाभ है ?

योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि यदि एक विधेयक पारित हो चुका हो तो संशोधन का उद्देश्य उस की त्रुटियां दूर करना ही होना चाहिये तथापि जब एक ओर केरल कृषि संबंध अधिनियम को नवीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है तो दूसरी ओर केरल सरकार की ओर से एक नया विधेयक गजट में प्रकाशित किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन है ?

वास्तव में केरल कृषि संबंध अधिनियम के अधीन काफी कार्यवाही हो चुकी है। एक प्रश्न के उत्तर में अगस्त के अन्त में यह बताया गया था कि भूमि अधिकरणों के सम्मुख १०२७६९ आवेदन-पत्र आये जिन में से २३२२७ आवेदनपत्र अस्वीकार कर दिये गये और २५८९ के संबंध में उपयुक्त लगान निश्चित की गयी। अब नये अधिनियम के लागू होने से इस सब का क्या होगा ? उक्त सभी लोगों ने पर्याप्त धन भी व्यय किया है जिस से उन्हें कुछ राहत मिली है यदि उन सब पर इस विधेयक से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो मेरे विचार से यह बहुत आपत्तिजनक है। मुझे दुख है कि केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग ने इस नये विधेयक के लिये अपनी स्वीकृति दी है। मेरे विचार से हमें इस प्रकार के पूर्व दृष्टांत नहीं कायम करने चाहियें। मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री इस पर विचार करेंगे।

†**श्री करुथि रमण** (गोवीचेट्टिपलयम्) : मैं संविधान (सत्रहवें) संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति में भेजने के पूर्व कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी ।

मेरा सुझाव है कि इनामदारी, जागीरदारी और रैयतवाड़ी के बीच स्पष्ट विभेद किया जाये । इन में से मेरे विचार से रैयतवाड़ी पद्धति सर्वोत्तम है । क्योंकि इस में किसान और जमींदार के बीच कोई नहीं रहता है । किसान स्वयं अपनी किश्तें जमा कर सकता है ।

मेरा मुख्य उद्देश्य है कि काश्तकार, जमींदार तथा भूस्वामी को पूरा प्रतिकर मिले । तथापि मुझे यह आशंका है कि संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक के उपबन्धों का दुरुपयोग किया जायेगा ।

हम ने योजना आयोग की सलाह के अनुसार ३६०० रु० की अधिकतम सीमा रखी हैं । यदि किसी काश्तकार या जमींदार से जमीनें ली जायेंगी तो उन्हें उचित प्रतिकर दिया जायेगा । मेरा अनुरोध है कि जिन की भूमि ली जाये उन्हें बाजार कीमत पर प्रतिकर दिया जाये । संविधान में भी यही उपबन्ध है कि सम्पत्ति तभी ली जा सकती है जबकि उचित प्रतिकर दिया जाये ।

†**श्री मान सिंह पृ० पटेल** (मेहसाना): विधेयक में एस्टेट (सम्पदा) की जो परिभाषा दी गयी है उस के अन्तर्गत रैयतवाड़ी प्रथा भी शामिल कर दी गयी है । चार या पांच राज्यों में भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत रैयतवाड़ी प्रथा आ गयी है तथापि सभी राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है । मेरा सुझाव है कि इस मामले में एकरूपता होनी चाहिये ।

मेरा यह सुझाव है कि संविधान की नवीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित किये सभी भूमि सुधार विधानों को शामिल किया जाये क्योंकि इन में से कई विधानों को उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया है और फलस्वरूप वहां भूमि सुधार का कार्य ठप्प पड़ गया है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अधीन ही भूमि सुधार विधानों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये । मूल्यों का जो वैज्ञानिकन किया जा रहा है उस से देश के सामान्य किसानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

ऐसे भूमि सुधार अधिनियम भी जो इस विधेयक के अधीन नहीं आये हों, किन्तु जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गयी हो इस में शामिल कर दिया जाना चाहिये । क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो भूमि सुधार अधिनियमों के क्रियान्वित होने में काफी देर लगेगी ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि 'सम्पदा' शब्द की व्याख्या से आम किसानों को किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है । मैं विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द करने की सिफारिश करता हूं ।

†**श्री अ० शं० आल्वा** (मंगलौर) : इस संशोधन विधेयक पर सिद्धान्ततः कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । तथापि इसमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा । विशेषतः उन लोगों पर जो रैयतवाड़ी प्रथा के अनुसार इस समय भूमि पर अधिकार किये हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम ने अनुसूची के अन्तर्गत कई विधेयकों को शामिल किया है । मैं आप को मैसूर राज्य के रैयतवाड़ी प्रथा के अन्तर्गत आने वाले किसानों के सम्बन्ध में कुछेंं बातें बताना चाहता हूं । भूमि सुधारों का उद्देश्य बड़े जमींदारों, इनामदारों इत्यादि को समाप्त करना है परन्तु इस से वे छोटे किसान भी जिन के पास २ या ३ एकड़ कृषि योग्य भूमि है, प्रभावित होंगे तथा उन की भूमि सरकार द्वारा अर्जित की जा सकती है और उन्हें प्रतिकर बाज़ार दर से न दिया जा कर विधान सभा द्वारा निश्चित दर से दिया जायेगा ।

वस्तुत: संयुक्त समिति को चाहिये कि वह देश की विभिन्न भूमि प्रथाओं का अध्ययन करे । उन सभी प्रथाओं को एक समान नहीं समझा जा सकता है । राज्यों द्वारा संविहित ऐसे अन्य भूमि सुधार विधेयक जिन्हें नवीं अनुसूची में शामिल करने के योग्य समझा जाये उन्हें भी नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाये ।

वस्तुत: इस विधान पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है । यह कहना गलत है कि संविधान में बार-बार परिवर्तन नहीं किया जाये । मैं विधि मंत्री से केवल यही अनुरोध करूंगा कि वे बिना उचित प्रतिकर दिये हुए किसी छोटे भूस्वामी की भूमि का अर्जन न करें ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : साहबे सदर, यह जो अमेंडमेंट लाया गया है इस से यह जाहिर होता है कि इस में छोटे पीजेंट प्रोपराइटर्स और बड़े प्रोपराइटर्स में कोई तमीज नहीं की गयी है । इस का असर छोटे मजारों पर और आर्टिजन्स तक पर होगा क्योंकि इस में मकानों की साइट्स को और उन जमीनों को जिन पर कल्टीवेटर काबिज हैं भी शामिल किया गया है । मैं नहीं समझ पाया कि इसका मकसद क्या है । इस में ऐस्टेट की एक अलग से डेफीनीशन की गयी है, हालांकि सिवाय कुछ स्टेट्स के सब में एस्टेट की डेफीनीशन कर दी गयी है । और इस डेफीनीशन में सब तरह की जमीन को शामिल कर लिया गया है, यहां तक कि पास्चर लैंड तक को शामिल कर दिया गया है । ऐसा करने से तो देहात की सारी इकानमी खत्म हो जायेगी । इस में वेस्ट लैंड, फारेस्ट लैंड सब कुछ शामिल किया जा रहा है । मेरे समझ में इस का मकसद नहीं आया कि ऐसा किस तरह की सोसाइटी बनाने के लिए किया जा रहा है ।

जो इस के बारे में सोरिश की गयी उस से जाहिर है कि कहते कुछ हैं और अमल कुछ और करते हैं। इस में साइट्स फार बिल्डिंग्स एण्ड अदर स्ट्रक्चर्स आकुपाइड बाई कल्टीवेटर्स तक शामिल हैं। यानी जो कल्टीवेटर्स की मकानात की साइट्स हैं और जो जमीन एग्रीकल्चरल लेबरर्स के पास है उसको भी इसमें शामिल किया गया है । इससे मालूम होता है कि उसको लाने का असली मकसद कुछ और ही है । यह बात नहीं है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से लाया गया है जिसमें रैयतवारी वगैरह आ जाती है । इसका मकसद यह मालूम होता है कि पीजेंट प्रोपराइटर को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाए। इसके बारे में गोल्ड स्मिथ ने कहा है ? कि यदि किसी देश के किसानों को समाप्त कर दिया जायेगा तो उनको पुन: उठाना बहुत कठिन होगा ।

मैं आपको पंजाब की मिसाल दूं । वहां कोई बड़े जमींदार नहीं थे । लोगों ने हिम्मत करके जमीनों को तोड़ा और खुद काश्त की । वे पीजेंट प्रोपराइटर थे । लेकिन इन सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी बनाने वालों ने हम लोगों पर भी जिनके पास अपनी खुद काश्त के कुछ एकड़ थे उन पर भी सीलिंग लगा दी और हमारे यहां कोई इंटरमीजियरी भी नहीं है फिर भी आप विधान के खिलाफ यह कानून हमारे लिए ला रहे हैं । एक तरफ तो आप दुनिया में नारा लगाते हैं, कि हम अपने विधान के पाबन्द हैं । विधान में हमारी बेसिक पालिसी दी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उसको ठुकराते है । विधान के मुताबिक एस्टेट के मुताल्लिक १४४ कानून स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाये हैं उनके

[श्री लहरी सिंह]

खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं दे सकती । विधान की दफात १३, १४, १९ और ३१ में हमको हमारे अधिकारों की गारंटी दी गयी है ।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस रोज अंग्रेज यहां से गया तो उसके जाने के बाद लोगों को कहा गया और कांस्टीट्यून्ट असेम्बली ने करार दिया कि हमारे देश में सावरिन डिमाक्रेटिक रिपब्लिक कायम की जाएगी । लोग यह सुन कर बहुत खुश हुए कि देश में सावरिन डिमाक्रेटिक रिपबलिक कायम होगी । लेकिन सावरिन डिमाक्रेटिक रिपब्लिक के मानी क्या हैं । डिमाक्रेसी के मानी हैं कि परसन और प्रापर्टी की गारंटी दी जाये । विधान में धारा १३, १४, १९ और ३१ में हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गयी है । विधान में कहा गया है कि कोई अदालत इन रायट्स के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती । धारा १४ में ईक्वालिटी बिफोर ला है, धारा १९ में प्रापर्टी एक्वायर करने का और डिसपोज आफ करने का अधिकार दिया गया है । जिस वक्त विधान बनाया गया था तो उस में यह रखा गया था कि अगर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए या ऐसे ही किसी काम के लिए जरूरत हो तो जमीन ली जा सकेगी, लेकिन धारा ३१ में यह दिया गया था कि उसका वाजिब मुआवजा देना होगा । जब ये चीजें डिक्लेयर की गयीं तो लोग खुश हुए क्योंकि उनका खयाल था कि इसी तरह से डिमाक्रेसी चलायी जायेगी ।

हमारा विधान बनाने के पीछे बड़े-बड़े दिमाग थे, जैसे स्वर्गीय सरदार पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद और डाक्टर अम्बेडकर । उस वक्त सारे जूरिस्ट्स ने मिल कर कहा था कि हम कम्युनिस्ट फार्म आफ गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप नहीं लाना चाहते । हम तो डिमाक्रेसी चलायेंगे । उस वक्त कहा गया था कि हमारी डिमाक्रेसी में राइट्स आफ प्रापर्टी की और फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत की जायेगी । हम को यह सारी गारंटी दी गयी थी । आप का विधान २६ नवम्बर, १९४९ को बना और इस १३ साल में उस के आप १६ अमेंडमेंट कर चुके और यह १७वां अमेंडमेंट करने जा रहे हैं । किसी एक्ट में भी इतनी जल्दी-जल्दी अमेंडमेंट नहीं किये जाते । लेकिन यह बहाना यहां बनाया गया है कि साहब सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी कायम की जायेगी । यह सोसाइटी किसके लिए कायम की जायेगी ? कैपीटलिस्ट के लिए नहीं क्योंकि उसके पास तो प्रैस है, उसके पास गवर्नमेंट को खुश करने के लिए पैसा है और भी चीजें हैं । मरे कौन ? एक जमीन का मालिक जिसके ऊपर सोशलिस्ट सोसाइटी को तेज कर दिया गया है । एक कारखाने वाला चाहे जितनी मिले खोल सकता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है । लेकिन हमारे पास अगर ३० स्टेंडर्ड एकड़ से फालतू जमीन हो तो हम से ले ली जायेगी चाहे हमारे दस लड़के हों । तो यह है सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी । मैं अर्ज करना चाहता कि जिन पीजेंट प्रोपराइटर्स पर इस कानून का असर पड़ेगा उन्हीं के लड़कों ने हमेशा देश की रक्षा की है, आप हिन्दुस्तान की तारीख उठा कर देख लें । कैपीटलिस्ट लोगों के लड़के इस काम के लिए आगे नहीं आते, और आते भी हैं तो करनल, जनरल बनने के लिए । लेकिन वास्तव में देश की रक्षा इन पीजेंट प्रोपराइटस के लड़के ही करते हैं । ये कड़ी धूप में और बारिश में खेतों में काम करके अनाज पैदा करते हैं । हमारे मंत्री साहब बहस करते हैं कि जापान में यह होता है, वह होता, तो मुझे हंसी आती है । मैंने यहां उन काश्तकारों के बारे में सवाल किया था जिनके पास अनइकानमिक होल्डिंग हैं । उन को गवर्नमेंट मदद नहीं करती पर अमरीका को अनाज मंगाने के लिए रुपया देती है । हमारे लिए डीप ट्यूब वैल्स का इन्तिजाम नहीं किया जाता, हमें सस्ते भाव पर पानी देने का इन्तिजाम नहीं किया जाता, हमें जिबह किया जा रहा है । आज एग्रीकल्चारस्ट और कैपीटलिस्ट के बीच में डिस्टिंक्शन किया जा रहा है । आज कैपीटलिस्ट्स के पास जो कारखाने हैं, जो चीजें हैं, उन को टच नहीं किया

जाता क्योंकि उनके पास जबान है, उनके पास प्रैस है, लेकिन बेचारा किसान बेजबान है, उस में इत्तिफाक नहीं है और वह तकरीबन इल्लिटेरेट और इगनोरेंट है। इसीलिए उसकी गरदन आज काटी जा रही है।

साहबे सदर, मैं अर्ज करूं कि जब यह कानून बनाये यह सारे १९, १४ वगैरह, उस वक्त यह ठीक है कि वह बड़े पीजेंट प्रोपाराइटर्स हैं जो बड़े लैंडलार्ड्स् हैं जो कभी काश्त नहीं करते थे। अंग्रेजों के जमाने में गदर के वक्त में अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के लिए बतौर इनाम के उनको जमीनें और गांव मिले थे, ऐसे बड़े लैंडलार्ड्स के बारे में आप जस्टीफाइड हो सकते हैं लेकिन जो खुदकाश्त करने वाले थे उन के लिए आप ने क्या किया ? आप ने १९ (५) क्लाज में यह दिया कि शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए या पबलिक इंटेरैस्ट के लिए ले लो। लेकिन साथ में ३१ के अंदर दिया कि कम्पैसेशन देना पड़ेगा। वगैर कम्पसेशन के आपने बहुत से कानून बनवा दिये। जब उन के खिलाफ सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां यह फैसला दे दिया कि बगैर मुआवजा दिये जमीन वगैरह नहीं ली जा सकती हैं। इसके लिए सरकार ने ३१-ए दफा बना दी कि १३, १४, १९ और ३१ दफा को अगर कोई वौयड़ कहे तो ३१-ए की रू से वह वौयड नहीं हो सकेंगे। ३१-ए में एक दूसरा अमेंडमेंट कर दिया गया और वह यह कि कोई भी अदालत मुआवजे के सवाल को टच नहीं कर सकती है। मुआवजे के मैथड्स को कोई कोर्ट टच नहीं कर सकता है। जो भी गवर्नमेंट मुआवजा मुकर्रर कर देगी वह फाइनल होगा। इसका नतीजा यह हुआ है कि गवर्नमेंट ने सन् १९४९ में जनता को जो फंडामेंटल राइट्स की ताकत ी थी उन बुनियादी अधिकारों को ३१-ए ला कर पैर के नीचे पामाल कर दिया। यह साफ कह दिया गया कि मैनर्स आफ कम्पैसेशन के बारे में कोई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट टच नहीं कर सकता है। मुआवज संबंधी सवाल अदालत की पावर के बाहर कर दिया गया। इसके रिलए ३१-ए दफा पास कर दी। चा १३ हो, १४ हो, १९ हो कोई भ हों, अगर वह विधान के खिलाफ़ होगी तो भी इस ३१-ए की रू से वौयड नहीं मानी जायेगी। एक तरफ तो आप संविधान में फंडामेंटल राइट्स रखते हैं और दूसरी तरफ यह चीज रखते हैं कि भले ही उन कानूनों में चाहे कोई खराबी हो लेकिन ३१-ए के कारण कि ी कोर्ट को इसका हक हासिल नहीं है कि वह उनको गैर-काननी घोषित कर दे। अब आप ही बतलाइये कि वह गवर्नमेंट जो सोसलिस्टिक पटर्न का ढांचा कायम करने का दावा करती हो वह एक तरफ तो जैसा कि डा० लोहिया ने कहा कैपटेलिस्ट क्लास को पैदा कर रही है, लोहिया साहब ने जैसा बतलाया कि पूंजीपति ५० लाख बन चुके हैं और दूसरी तरफ गरीब और गरीब हो रहे हो और उनको भूखों मरने की नौबत पेश आ रही हो, उसका वह दावा कहां तक सही है ? एक तरफ तो आप संसिधान में मूलभूत और बुनियादी अधि का ों की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ ३१-ए से यह प्रोवाइड कर देते हैं कि चाहे १४, १९, ३१ वगैरह में कितनी ही खराबी हो, लेकिन उस लाज को टच नहीं किया जायेगा। अब भला यह कैसा इंसाफ है। यह क्या डेमोक्रेसी हुई जिसका कि आप आये रोज दम भरते रहते हैं ? यह तो डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टटरशिप हुई। काम तानाशाही का करेंगे और दम भरेंगे डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी कहीं इस तरह से चला करती है ?

आप सोशलिस्ट पैट्रन कायम करने का जो दावा करते हैं वह महज एक धोखा है और बहानेबाजी ह। दरअसल आप कम्युनिस्ट टैंडैंसी की शक्ल में चल रहे हैं। इस तरह से आप एक गरीब काश्टकार को, आर्टिजन लेबरर को मारना चाहते हैं यह बहाना करके कि हम सीलिंग रख कर सोशलिस्टिक पैट्रन कायम करने जा रहे हैं।

मैं इस बारे में पंजाब की एक मिसाल हाउस के सामने रखना चाहता हूं। पंजाब में एक किसान के पास ५० स्टैंडर्ड एकड़ जमीन है। उसके पांच लड़के हैं। १०, १० एकड़ पर पांचों लड़के अलहदा अलहदा काश्त कर रहे हैं। उनसे आप ३० स्टैंडर्ड एकड़ के नाम पर कहते हैं कि ३० स्टैंडर्ड एकड़ ले लो, तो क्या होगा ? उन पांचों लड़कों से सब से दो, दो एकड़ लिया जायेगा।

[श्री लहरी सिंह]

अब वह कहां अपनी फरियाद लेकर जायेंगे ? उनकी क्या हालत बनेगी और वह किस तरह से उस हालत में जिंदा रह सकेंगे ? बात आप प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी की करते हैं लेकिन आपने शैड्यूल नम्बर ९ को अमैंड करके जो १४४ एक्ट्स थे और जो कि प्लानिंग के इशारे पर और सोशलिस्टिक पैट्रन का बहाना लेकर गलत तरीके पर बनाये गये थे और जोकि कोर्ट की नजर में बौयड होते थे, उनको सब को आपने शैडयूल अमैंड करके वौयड होने से बचा लिया है और उन पर यह मुहर लगा दी कि उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट टच नहीं कर सकेगा। यह आपका इंसाफ है? कांस्टीट्यूशन में आपने जो फंडामैंटल राइट्स इस देश के नागरिकों को प्रदान किय थे उनेंको इस तरह से कानून में संशोधन करके आप डिफाई कर रहे हैं। गरीब आदमियों की जमीन खोंस ली हैं, मुजारे खराब हो र हैं और वह अदालत में उसके विरुद्ध चाराजोई नहीं कर कते क्योंकि आपने ९ शैड्यूल को अमैंड करके देश में जो १४४ कानून बन चुके हैं, आफटर इंडिपैंडैंस स्टेट्स में जो १४४ कानून बनाये हैं, उनको कोई भी अदालत टच नहीं कर सकेगी। यह फंडामैंटल राइट्स की आप काश्तकारों के लिये गारण्टी कर रहे हैं ? पंजाब जैसे राज्य में जहां से कि आपको फौज वगैरह में लम्बे तगड़े जवान मिलते हैं उनको इस तरह से खत्म कर रहे हैं। लोग परेशान होकर मुझ से पूछते हैं कि चौधरी साहब आखिर यह हो क्या रहा है ? पंजाब गवर्नमैंट जो इस तरह से हमारी जमीनें खोंसें ले रही है तो क्या सैंट्रल गवर्नमेंट सो रही है ? मैंने कहा कि सैंट्रलगवर्नमेंट एक आइ-डिएलिस्टक टौक में चल रही है। उसको इसकी पर्वाह नहीं है कि हमारे लड़के और मुजारे किस तरह से मर र हैं और परेशान हो रहे हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि साफ कह दिया कि यह कानून वौयड है खराब हैं तो हमारी प्रजातंत्र का दम भरने वाली सरकार ने सोशलिस्टिक पैट्रन और प्लांनिग का बहाना लेकर कानून में ऐसा संशोधन कर दिया कि यह मामला अदालत के दखल का ही नहीं रह गया है और इस तरह से मुजारों को खत्म किया जा रहा है। आज हालत यह हो रही है कि गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। अब लोगकम्युनिस्ट नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे अब हमने कोई टाटा या बिड़ला को पालना है ? हमने क्या किसी पूंजीपति को पातर है कि हम आपको सलाम करें और आपकी राय लें ? आपकी हिफाजत करने वाले ज्यादारे-वह लड़के और मुजारे ही हैं। अब यह क्या इंसाफ है कि हमारे गरीब लोग दिल्ली के बाजार में मायमारे फिरें, भूखों मरें और पूंजीपति लोग मजे से आलीशान इमारतों में बठ कर मौज उड़ायें ? ह भी कोई साफ है कि हम गरीब काश्तकारों और मुजारों को इस तरह से तबाह किया जाय, मारा जाय? हमारे भाई भतीजे और घर वाले लद्दाख में बर्फ में मोर्चा जमाये पड़े हों और उनके बच्चे और आश्रित लोग जोकि पीछे यहां पर हों उनसे इस तरह से उनकी जमीनें खोंसी जा रही हैं। आज वह रोते हैं और आप सोच सकते हैं कि जब उनके घरवालों की चिट्ठी उन जवानों के पास जाती होगी कि हमें पीछे यहां इस तरह से तबाह कर दिया गया है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी ?

अब जमीन की जो सीलिंग हम करने चले हैं तो उनके पास है ही कितनी ? ३० स्टैन्डर्ड एकड़ की सीलिंग आपने फिक्स की है अब उसके पांच, छै लड़के हैं तो उनका क्या बनेगा ? आज वह बेजार रोते हैं। मेरा कहना है कि सरकार अपनी इस आइडिएलिस्टक टौक को छोड़े। अगर आपका इरादा हमें सात आने या आठ आने देने का है तो सबके साथ वही बर्त्ताव आपको करना चाहिये। **लैट देयर बी फेयर ट्राएल टु एवीबठी**। यह क्या कि एक क्लास ऊंचे जा रहा है और दूसरे को आप इतना कुचले डाल रहे हैं ? मुझे मालूम है कि एक बड़े कैपटैलिस्टि हैं जोकि आये साल मिलें खड़ी कर रहे हैं। उनके पास इतना धन हो गया है कि आय साल वह नई मिलें खड़ी करते जा रहे हैं। क्या आप हमें उनका पल्लेदार बनाना चाह रहे हैं या यह चाहते हैं कि हम उनके कारखाने में लेबरर्स की शक्ल में जाकर उनके हाथ जोड़ें ? इस तरह का बर्त्ताव करके हमसे आप यह उम्मीद करते हैं कि हम तलवार धारण करें। आजकल के हालात में क्या हम इतने ताकतवर हो सकते हैं कि हम तलवार उठा सकें ? मेरा कहना है कि हम उतने ताकतवर नहीं हो

सकते हैं। पंजाब का आदमी इसलिये नहीं कि वह कोई बड़े जमींदार होते थे, बल्कि इसलिये कि वह खुद खेती करता था, मशक्कत करता था, अपनी जमीन से पैदा करता था और वह आपको वैस्ट बफैलोज, बैस्ट गायें और बैस्ट नौजवान फौज के लिये दे रहा था, इस तरह से सीलिंग कर देने से उसकी हालत बड़ी अबतर होने वाली है और उनका वह हिस्सा और पार्ट जोकि आज वह ले कर रहे हैं, कायम नहीं रह सकेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि हुमायूं कामरान और अपने दूसरे भाइयों से इसलिये हारा क्योंकि उसके भाइयों ने पंजाब से अपने जवान फौज में इकट्ठे किये थे। आज पंजाब स्टेट को आप इस तरह से खत्म कर रहे हैं।

आज यह कांस्टीट्यूशन का सत्तरहवां अमैंडमैंट बिल लाकर फंडामैंट्ल राइट्स को आप खत्म कर रहे हैं। जिन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने वौयड करार दिया है उनको आप नवें शैडयूल को अमैंड करके यह प्रोवाइड कर रहे हैं कि जितने भी स्टेट्स ने १४४ कानून बनाये वह सब ठीक माने जायेंगे और अदालत में उनको चुनौती नहीं दी जा सकेगी। अब स्पीकर साहब, यह बात कैसे चलेगी ? यह पोजीशन कैसे बनेगी ? इस तरह का अमेंडमेंट लाकर संविधान के साथ मखौल किया जा रहा है और उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। एक तरफ यह विधान कहता है कि नागरिकों को फंडामेंट्ल राइट्स मिलेंगे और दूसरी तरफ उनको आप इस तरह से अमेंडमेंट लाकर नलिफाई कर देते हैं। दरअसल मालूम यह होता है कि कांस्टीट्यूशन में हमने जो फंडामेंटल राइट्स रक्खे थे वे महज हाथी के दिखाने के दांत थे। वह अमल में लाने के लिये हमने नहीं रक्खे थे। अमल में लाने यह जा रहे हैं कि ९ शैडयूल में उन तमाम १४४ एक्ट्स को जिनको कि तमाम स्टेट्स ने पास किया था उनको वोयड होने से रोक दिया है और उनके विरुद्ध सुनवाई के लिये सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत का दरवाजा बन्द कर दिया गया है। यह डेमोक्रेसी नहीं चल रही है बल्कि दरहकीकत डिक्टेटरशिप चल रही है। डेमोक्रेसी को जिन्दा रखने के लिये कोर्टस आवश्यक होते हैं जोकि गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर बेजा हो तो उस पर चैक रखते हैं लेकिन आपने इसको पास करके कोर्टस की पावर बिलकुल खत्म कर दी है। उसके अन्दर आपने यह प्रोवाइड कर दिया है कि मुआविजे के बारे में कोर्ट बोल नहीं सकते। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। अब गरीब जनता के पास सिविल लिटीगेशन ही एक रास्ता रहता है जहां कि वह एग्जीक्यूटिव एक्शन के विरुद्ध अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और इंसाफ की पुकार कर सकती है लेकिन वह दरवाजा भी आपने इस तौर पर बन्द कर दिया है। अब वह जायें तो कहां जायें। अब जैसा कि मुगलों के जमाने में होता था कि लोग बाग दरबारे मुगलिया में अपनी फरियाद लेकर पहुंचते थे और अपनी रोते गाते थे और होता यह था कि किसी की सुन ली जाती थी तो किसी की नहीं सुनी जाती थी, ठीक वही हालत आप हमारी कर रहे हैं।

यह ठीक है कि जमीन पबलिक इंटरैस्ट में है ऐसा कह कर आप उसे एक्वायर कर सकते हैं लेकिन कानून में यह भी तो साफ दिया हुआ है कि उसका जायज मुआविजा मिलना चाहिये। अब कोर्ट डिसाइड कर सकता था कि मुआविजा ठीक दिया गया या नहीं, फरियादी मुआविजे के सवाल को लेकर कोर्ट में जा सकता था लेकिन आपने सन् ५५ के अन्दर अमेंडमेंट लाकर इसे कोर्ट के परव्यू के बाहर कर दिया। आपने यह प्रोवाइड कर दिया कि मुआविजा तो हम देंगे लेकिन उसको डिटरमिन करने का जो प्रोसेस होगा, उसको देने का जो एक उसूल होगा वह हम बनायेंगे लेकिन कोई भी अदालत उसको टच नहीं कर सकेगी। अब सरकार क्या उनको मुआविजा देगी इस बारे में एक अल्फाज भी उसमें नहीं लिखा है। मुआविजा क्या दिया जायेगा ? जीरो दिया जायेगा। उसमें फकत यह कह दिया है कि हां हम तुम्हें बटाई दे देंगे। ६ महीने के बाद तुमको ले लेना है। उस एक्ट के बारे में कानून बन रहा है, पंजाब सिक्योरिटी लैंड टेंन्योर ऐक्ट। में और

[श्री लहरी सिंह]

स्टेट्स के एक्ट्स से तो ज्यादा वाकिफ नहीं और उनको ज्यादा नहीं पढ़ सका। "इस पर मोहर लगा दी है हमने, चाहे यह कितना भी खराब हो, कितना भी संविधान के खिलाफ हो, कोई कम्पेन्सेशन हो या न हो, तुम बोल नहीं सकते, तुम को हक हासिल नहीं है।" क्या यह इंसाफ है ? क्या ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्ज हैं ? यहां पर बड़े जोर से कहा जा रहा है कि हम डेमोक्रेसी को कायम करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि ये डेमोक्रेसी के तरीके हैं।

सोशलिस्ट पैटर्न के मानी ये हैं कि धन-दौलत की डिस्ट्रिब्यूशन को ठीक कराया जाये। बड़े-बड़े बैंक्स को नैशनलाइज करो। मैं इस बारे में कोई कम्यूनिस्ट व्यूज का नहीं हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि लाइफ इन्शोरेंस का जो रुपया था, उसमें कुछ आदमियों का हिस्सा था। उसको नैशनलाइज कर दिया गया। लेकिन बैंकों में तो आम पबलिक का रुपया डिपाजिट होता है। आप उन बैंकों को क्यों न नैशनलाइज करो, जिस से आप को अस्सी करोड़ रुपया सालाना मिल सकता है ? लेकिन आप उनको टच करने के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि वहां पर सोशलिस्ट पैटर्न के मानी और हो जाते हैं। आप उनको टच नहीं करना चाहते। लेकिन आप एक गरीब आदमी, दो चार एकड़ के मालिक, की नाक रगड़वाना चाहते हो। उसको कहते हो कि तुम को खत्म करेंगे। मैं फिर गोल्डस्मिथ की इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि अगर गाल्ड पैजेन्ट्री को खत्म कर दिया जायेगा तो फिर इस मुल्क का काम नहीं चलेगा। आखिर बहादुर आदमी भी वही लोग होते हैं, जो रात दिन मुशक्कत करते हैं, जो रात के वक्त जागते हैं, जो लाठी लेकर जंगल में घूमते हैं, जो डरते नहीं हैं। कोई पैदाइशी बहादुर घर में पैदा नहीं होते हैं, मां के पेट से नहीं होते हैं। इसमें प्रोफेशन बड़ा पार्ट प्ले करता है। जिसका प्रोफेशन सख्त होगा, वह आदमी भी तगड़ा होगा।

जैसाकि मैंने पहले कहा है बैंकों को नैशनलाइज करो, जिनके पास ह्यूज एमाउंट है। बैंक वाले रुपया कहां ले जाते हैं। आपने डालमिया केस के बारे में पढ़ा कि वे लोग उस रुपये को कारखानों में लगाते हैं। यह नहीं कि पब्लिक के लिए दे दें। किसानों, क्लर्कों और दूसरे छोटे और गरीब लोगों पर कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम लागू की जाती है, जो कि भूखे मर रहे हैं। हालांकि बैंकों का रुपया जो कि डिपाजिट की शक्ल में हम लोग देते हैं, कुछ फैमिलीज के पास रहता है, लेकिन फिर भी बैंकों को नैशनलाइज नहीं किया जाता है। आप के पड़ोस में बर्मा ने बैंकों को नैशनलाइज किया। कोई जुल्म नहीं किया। सोशलिस्ट पैटर्न के मानी ये हैं कि धन-दौलत को इस तरह तक्सीम करो कि सब के हिस्से बराबर-बराबर आ जाये। यह न हो कि एक तो बड़ा लखपति हो, एक की आमदनी तीन लाख रुपये महीना हो और एक के पास सात या पन्द्रह आने आते हों।

इसी तरह से कारखानों को भी रेगुलेट करो और आयल फैक्ट्रीज और पैट्रोल के काम को भी रेगुलेट करो। लेकिन उनको तो टच नहीं करना है, क्योंकि—हालांकि मेरे मुख से यह कहना शोभा नहीं देता—वे बहुत बड़े हैं, उनका रसूख बड़ा है, उनकी ताकत बड़ी है, उनका प्रेस बड़ा है, उनके आदमी बड़े हैं। आप उन को टच नहीं कर सकते। एम्बैसेडर कार को पार्टीशन से पहले दो हजार में खरीदने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज उस मोटर का सौलह हजार रुपया दिया जाता है कौन देता है ? पबलिक दे रही है और वह सब रुपया बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट्स के पास जा रहा है।

हम इस हाउस के लीडर को वैलकम करेंगे, हम खुश होंगे, अगर वह इतने बोल्ड होंगे कि बैंकों को नेशनलाइज कर दें, लेकिन वह इतने बोल्ड नहीं होते हैं और हम को मार रहे हैं। या तो उनका ख्याल है कि ये खेती करने साले अड़ियल हैं, इलैक्शन में हैंकी-पैंकी कर लेते हैं और हमारी बहुत सी बातें नहीं मानते हैं। कोई न कोई बात तह में है। सोशलिस्ट पैटर्न का तो सिर्फ बहाना है।

अगर सोशलिस्ट पैटर्न लाना है, तो ला मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोल्डली कहें कि हम ने इस मुल्क में इन्कलाब लाना है और हम ने धन-दौलत को ठीक तरह से तक्सीम करना है। एक तो यहां पर ऐश करे चार मंज़िला मकान में और एक बेचारा गरीब मरता रहे, क्या यह सोशलिस्ट पैटर्न है। इस बहाने से तुम प्रज़ेट प्रोप्राइटर्ज़ को भी खत्म कर रहे हो, यह एमेंडमेंट ला कर एग्रीकल्चरल लेबरर्ज़ और आर्टिसन्ज़ को भी खत्म कर र हो।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य बहुत पुराने पार्लियामेंटरियन हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं वह जानते हैं कि .

श्री लहरी सिंह : मैं मिनिस्टर ज्यादा रहा। तब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां आ कर बोलने की जरूरत पड़ी।

अध्यक्ष महोदय : . . .यह कायदा नहीं है कि पार्लियामेंट में मिनिस्टर को सीधे ऐड्रेस करके "तुम" कहा जाय।

श्री लहरी सिंह : मुझे इस का खेद है। अब से मैं आपको संबोधित करूंगा। मैं जनाब के थ्रू मिनिस्टर साहब को पूछना चाहता हूं कि इस एमेंडमेंट में जो यह कहा गया है: "कृषकों, खेतिहार मजदूरों तथा गांव के कारीगरों द्वारा अधिकृत इमारतों इत्यादि की जगहें" यह क्या चीज़ है। पंजाब में और हर एक जगह "एस्टेट" की डेफिनीशन्स हैं। यह क्या चीज़ है इस की तह में। आप पब्लिक को किस तरह सेटिसफाई करोग।

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार जरा सीधा हो कर चलना सीखे। इन टेढ़ी-मेढ़ी बातों में पब्लिक नहीं आने वाली है। आप सोशलिस्ट टर्न करो। हम राज़ी हैं। सब के साथ बराबरी का बर्ताव करो। आप ने बड़ों-बड़ों की जमीनें ले लीं। कह दिया कि जो बड़े लोग काश्त नहीं कर सकते, उनकी जमीनें ले लीं। लेकिन जितने बड़े जमींदार थे, उन के बराबर ही कैपिटलिस्ट्स भी थ, उन को छुआ नहीं गया।

मैं कहना चाहता हूं कि यह विधान बनाया है बड़े-बड़े लर्निड आदमियों और बड़े-बड़े जूरिस्ट ने। क्या जरूरत पड़ी कि इस विधान में फंडामेंटल राइट्स के जरिये प्रापर्टी के लिए जो गारण्टी दी गई थी, उसको खत्म किया जा रह है, उसको वेस्ट-पेपर वास्केट में फेंका जा रहा है और उन फंडामेंटल राइट्स को इगनोर किया जा रहा है। बहाना रिफ़ार्म्ज़ का किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम जापान की तरह बनाना चाहते हैं। अगर हिम्मत है, तो जापान की तरह बनाओ। हम खुश होंग। लेकिन साथ ही दूसरे पहलुओं को भी देखो, सब के साथ एक सा बर्ताव करो, ऐसा न करो कि एक के साथ एक बर्ताव और दूसरे के साथ दूसरा बर्ताव किया जाये। मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि हम लार्ज प्रोप्राइटर्ज़ को खत्म करना चाहते हैं। कहां हैं लार्ज प्रोपराइटर्स ? सीलिंग क्या है ? अगर आप ने वहां पर ट्यूबवैल सिस्टम दे रखा हो, कदम कदम पर पानी दे रखा हो, तब तो आप कह सकते हो। कौन दे सकता है ४४ हज़ार, ५० हज़ार, ६० हज़ार रुपया ?

एक अमरीकन से मेरी वात हुई। मैंने उस से पूछा कि तुम्हारी ज़मीन ब्रैकिश थी तुमने उसका क्या इन्तजाम किया। उसने कहा कि हमने डीप ट्यूबवैल खोदे एक-एक लाख-फीट पर और आज पानी ही पानी है। आप ज़मींदार को लैक्चर देते हो कि जापान की तरह चलो, लेकिन वहां पर पानी नहीं है। जहां पानी है, वहां आप के इरिगेशन सिस्टम के डिफक्ट से, ड्रेन्ज की वजह से, इतना पानी आ चुका है कि वह खत्म हो रहा है। आप ड्रेन्ज का इन्तजाम न करायें, वैरन लैण्ड्स को पानी आप न दें और लैक्चर यह पिलायें कि हम बड़ा सोशलिस्ट पैटर्न कायम करने जा रहे हैं।

[श्री लहरी सिंह]

मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन बहानों को छोड़ कर स्टेट वे में चले, ताकि पब्लिक भी समझे और छोटे-छो आदमी भी समझें कि सोशलिस्ट पैटर्न के मानी ये हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन आफ वैल्थ किस शक्ल में होना चाहिए और यह धोखा नहीं होना चाहिए।

श्री सुमत प्रसाद (मुज्जफरनगर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर एक बड़ा एतराज़ यह किया गया है कि हमारा जो कांस्टीट्यूशन बहुत बड़े जूरिस्ट्स ने बनाया था, उस को सोलह मर्तबा तरमीम किया जा चुका है और अब सत्रहवा मर्तबा तरमीम किया जा रहा है। यह कांस्टीट्यूशन एक आबजक्टिव हासिल करने के लिए बनाया गया था, इस मुल्क में डमोक्रसी चलाने के लिए बनाया गया था। कोई डमोक्रसी उस हालत में नहीं चल सकती है, जब एक तरफ़ बहुत अमीर आदमी हों और दूसरी तरफ़ बहुत गरीब आदमी हों। यहां ८५ परसेंट के करीब ऐसे किसान हैं, जिन के पास पांच एकड़ से कम जमीन है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि विधान में यह संशोधन करने से किसानों का नुक्सान होगा। हां, उन आदमियों का जरूर नुक्सान होगा जिन के पास बड़ी जमींदारी है, जिन के पास काश्त की बहुत बड़ी जमीन है।

अगर इस मुल्क में खशहाली न हों, तो यहां डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। यह भी कहा गया है कि सरदार पटेल और डा० राजेन्द्रप्रसाद के सामने यह कांस्टीटेंयूशन बना। ठीक है। लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में १९३१ में कांग्रेस ने एक तहरीक चलाई थी कि लगान कम किये जायें और उन्हीं के नेतृत्व में यू० पी० में लैंड रिफार्म्स की एक बुनियाद कायम की गई थी, जब कि जमींदारी एवालिशन के विषय में एक कमेटी बनाई गई थी। उस समय यह सिद्धांत मान लिया गया कि काश्तकार और सरकार के दरमियान में इन्टरमीडियरीज़ नहीं रहेंगे और काश्तकार अपनी जमीन का खुद मालिक होगा। अगर कांस्टीट्यूशन इस बात में बाधक है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई फैसला होता है हमारा जो मकसूद है, उसको पूरा नहीं होने देता है तो हमारी सरकार उस सूरत में बिल्कुल हक बजानिब है कि वह संविधान में तरमीम करे और इस गर्ज से करे कि इस मुल्क में खुशहाली हो, बड़ी तादाद में जो लैंडलैस लेबरर्ज हैं, उनके पास भी जमीन हो, जो बहुत छोटे किसान हैं, उनके पास भी जमीन हो।

इस बिल को पेश करते हुए, सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की तहरीक पेश करते हुए आन-रेबल ला मिनिस्टर ने दो कारण बतलाये हैं। पहला यह बतलाया है कि कुछ सूबों में कुछ जमीनें ऐसी हैं जो कि एस्टेट की डेफीनीशन में नहीं आती हैं, इसलिए एस्टेट की डैफिनेशन को यह तबदील करना चाहते हैं ताकि जो जमींदारों की एबसेंटी लैंडलार्डस की जमीनें हैं, ये उस डेफीसेंसी में आ जायें दूसरे उन्होंने यह बताया है कि सीलिंग जब लगाई जाए तो उस सीलिंग को कहीं चैलेंज न किया जा सके।

मैं पूछना चाहता हूं कि कितने आदमी हैं जिन के पास ५०–५० या १००–१०० या ५००–५०० एकड़ ज़मीनें हैं और जिनका वे ठीक तरीके से इन्तजाम भी नहीं कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिये अगर मान लिया जाय कि वे मुनासिब तरीके से इन्तजाम भी कर सकते हैं तो भी क्या यह उचित होगा कि ८५ परसेंट तो ऐसे आदमी हों जिनके पास पांच एकड़ से भी कम जमीनें हों और १५ परसेंट ऐसे हों जिनके पास बड़ी जबर्दस्त जमीन्दारियां हों। मैं समझता हूं कि जो हमारी कांस्टीट्यूशन की डायरेक्टिव पालिसी है और साथ ही साथ अपने प्लान में हमने जो लैंड रिफार्म की पालिसी बनाई है, उसको पूरा करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि इस तरह का संशोधन किया जाए जो आज प्रस्तावित किया गया है।

एक बात गौर तलब है। इसमें १२१ के करीब एक्ट्स को नवें शैड्यूल में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। जो कारण है वह तो यह है कि इंटरमीडिअरीज़ न रहें और दूसरा मुद्दा यह है कि लैंड सीलिंग हो। लेकिन उन ऐक्ट्स में ऐसे प्राविज़न भी हो सकते हैं जो किसी कानून की किसी धारा के खिलाफ हों या जस्टिस के खिलाफ हों। इसलिए मेरा सुझाव सिलेक्ट कमेटी से यह है कि वह हर एक को गौर से देखे और बताये कि फिल्वाका जो दो आब्जेक्ट्स हमारे सामने में हैं, उनको पूरा करने के लिये कितने कानूनों को इस नवें शैड्यूल में शामिल करना जरूरी है। केवल उन्हीं कानूनों को इसमें शामिल किया जाना चाहिये, जिनको शामिल करना जरूरी हो।

श्री बड़े : रयोतबारी कानून भी इसमें ले लिया है।

श्री सुमत प्रसाद : सिलेक्ट कमेटी इसको एग्जामिन करेगी कि कौन से कानून ऐसे हैं जिनको सीलिंग लगाने की गर्ज से शामिल करना जरूरी है या इंटरमीडिअरीज़ को खत्म करने की गर्ज से शामिल करना जरूरी है।

इस सदन में कम्पेंसेशन को लेकर काफी चर्चा की गई है। जहां तक कम्पेंसेशन का ताल्लुक है, उस पर चर्चा करना यहां बेमानी है। यह चीज़ तो जब स्टेट्स में बिल पेश होंगे, उनमें होगी। यह जो अनेबलिंग मैयर है ताकि सीलिंग लगाई जा सके और इंटरमीडिअरीज़ को ख़त्म किया जा सके और स्टेट्स को लेकर, उनका मुआवजा देकर छोटे किसानों को, जमीनें दी जा सकें, या उन लोगों को दी जा सकें, जिन के पास ज़मीनें बिल्कुल नहीं हैं।

जहां तक मार्किट रेट की बात है, अगर उस हिसाब से ज़मीनें ली जायें तो कभी भी ज़मींदारी एबालिशन नहीं हो सकता है। हिस्ट्री को अगर ट्रेस किया जाए तो पता चलेगा कि एग्रिकलचरल लैंड्ज़ की जो कीमतें बढ़ी हैं, वे कई कारणों से बढ़ी हैं, सोशल कारणों से बढ़ी हैं, पोलिटिकल कारणों से बढ़ी हैं या दूसरे कंसिडरेशन इसमें आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने पुरुषार्थ से, पैसा लगा कर ज़मीनों का डिवेलपमेंट किया है. . .

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : ऐसे ही हो जाता है क्या ?

श्री सुमत प्रसाद : पचास वर्ष पहले जो ज़मीन की कीमत थी वह आज. . .

अध्यक्ष महोदय : कुछ खड़े हो कर और कुछ बैठ कर बात नहीं की जाती है।

श्री रामेश्वरानन्द : खड़े हो कर कह देता हूं। वैसे ही अनुकूल हो जाती है क्या ? वैसे ही अपर हो जाती है तो उन्होंने भी कर रखी होगी।

श्री सुमत प्रसाद : जिस ज़मीन की पचास वर्ष पहले जो कीमत थी उसका मुकाबला आप करें उस सूरत में कि उसके मालिक ने कोई डिवेलपमेंट नहीं किया है, कोई पुरुषार्थ नहीं किया है और अब कितनी उसकी कीमत बढ़ गयी है .....

श्री रामेश्वरानन्द : खेती बाड़ी जो करते हैं, वे वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। दुनिया भी पहले जैसी नहीं रही। किसान बहुत मेहनत करता है।

श्री सुमत प्रसाद : यह जो बिल है, यह उसके हित में है। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ जाती हो या जो हमने लैंड रिफार्म पालिसी बनाई है, उसके खिलाफ जाती हो। उस पालिसी को पूरा करने के लिये और गरीब किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए, उनको खुशहाल बनाने के लिये यह जरूरी है कि केरल हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से जो अड़चन पैदा हो गई है उसको दूर किया जाए। हमारा जो मकसद है,

[श्री सुमत प्रसाद]

वह पूरा होना चाहिये । हमारी जो पालिसी है उसको कार्यान्वित करने के लिये अगर किसी कानून में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो यह किया जाना चाहिये ।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टायम) : संविधान की पवित्रता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है निसंदेह सरकार को बार-बार इसका संशोधन करने में कोई प्रसन्नता नहीं होती है । यदि संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का पालन न किया जाये तो फिर संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा ।

देश के लिये कृषि सुधारों की बहुत कीमत है, कांग्रेस ने देश की सत्ता संभालने के पूर्व ही अपनी कृषि नीति स्पष्ट कर दी थी । कांग्रेस ने कराची में एक संकल्प पारित किया था । तत्पश्चात् स्वर्गीय श्री कुमारप्पा की अध्यक्षता में एक भूमि सुधार समिति बैठी थी उस समिति में प्रो० रंगा भी थे । उस समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । कांग्रेस की नीति आज की वही है । यह कहा गया है कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों ने इस प्रकार का निर्णय दिया था जो केरल राज्य तथा अन्य राज्यों में किये गये भूमि सुधार विधियों के विरुद्ध था । मेरे विचार से यह बात गलत है । वस्तुतः उच्चतम न्यायालय ने भी यह स्वीकार किया है कि भूतपूर्व केरल राज्य में परवांग तथा पंडरवाना प्रकार की ऐसी ज़मीनें हैं जो कि 'सम्पदा' परिभाषा के अन्तर्गत आ जाती हैं । तथा इसी बेंच ने एक अन्य मुकदमे के फैसले में कहा है कि इस सम्बन्ध में भेदभाव इत्यादि की कुछ बातें हुई हैं । वस्तुतः निर्णय में ही यह बात निहित है कि वर्तमान विधि का संशोधन करना होगा । मेरा तात्पर्य है कि वर्तमान संशोधन विधेयक के विरुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता है । अतः संविधान को संशोधन करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है । अतः मैं संशोधन का स्वागत करता हूं ।

जहां तक केरल कृषि सम्बन्ध अधिनियम का प्रश्न है वह अधिनियम अत्यन्त अवैज्ञानिक आधार पर बना था, अतः जब उसे राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिये भेजा गया तो उन्होंने कुछ सुझाव दिये । इस बीच साम्यवादी सरकार को शासन छोड़ना पड़ा उसके पश्चात् सम्मिलित सरकर ने उन सुझावों के साथ विधेयक पारित कर दिया । जब उसे लागू करने का प्रश्न आया तो उसके विरुद्ध सैकड़ों मामले न्यायालय में दायर कर दिये गये ।

मेरे मित्र ने पूछा था कि अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता । केरल के क्षेत्रिक सम्बन्ध अधिनियम में नारियल बाग की उपरि सीमा १५ एकड़ है । अतः यह सीमा १५ एकड़ की रखी जानी है, तो इससे बहुत गड़बड़ी पैदा होगी । इसके बाद अन्य प्रकार की भूमियों के लिये भी सीमा की छूट मांगी गई थी । अब केवल काफी, रबड़, चाय और इलाइची को छूट दी गई है । काली मिर्च, सुपारी और नारियल को भी सीमा से मुक्त किया जाना था । उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय में यह कहा है कि काली मिच और सुपारी के बागानों को, जिनमें काफी धन लगाया गया है यदि तोड़ा गया तो इससे उत्पादन कम हो जायेगा । और उससे देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा ।

कुटानट क्षेत्र की कपाल भूमि को भी छूट दी गई थी । यदि इस भूमि के भी टुकड़े किये गये, तो इससे केरल राज्य में धान की खेती को बहुत हानि पहुंचेगी ।

मेरी जानकारी के अनुसार वर्तमान केरल सरकार का विचार यह है कि १९६१ के वर्तमान अधिनियम को संशोधित नहीं किया जा सकता और एक नया विधेयक बनाया जाना चाहिये । मुझे

---

†मूल अंग्रजी में

मालूम हुआ है कि वे इसे शीघ्र प्राप्त करने जा रहे हैं । फिर योजना आयोग और भारत सरकार इसकी जांच कर सकेगी ।

मेरा निवेदन है कि यदि ये सुधार आवश्यक हैं और वर्तमान अधिनियम का संशोधन नहीं किया जा सकता और एक नये विधान की आवश्यकता है, तो मेरे विचार में यह समय पर संयुक्त समिति के सामने आना चाहिये ।

केरल में जो किसान सरकारी भूमि पर बस गये हैं, उनको निकाला नहीं जाना चाहिये, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार ने किया है । यदि उनको निकालना ही है, तो उन्हें समुचित प्रतिकर दिया जाना चाहिये ।

बागानों के अधीन भूमि का प्रति कर उन पर लगी पूंजी के आधार पर आंका जाना चाहिये जैसा कि उद्योगों के मामले में किया गया है ।

देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सिंचाई और विद्युत मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा करेगा । श्री यादव ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : एक सुझाव के द्वारा मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं । यह जो बाढ़ की समस्या है, वह पूरे देश की है और इसमें लाखों एकड़ भूमि .....

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने देखा है .....

श्री राम सेवक यादव : एक निवेदन है एक सुझाव के जरिये कि कल से हम लोग एक घंटा अधिक बैठ जायें और इस तरह से २१ तारीख तक हमको तीन घंटे मिल जायेंगे .....

अध्यक्ष महोदय : अभी बैठेंगे ३०–३५ मिनट । आप सवाल करें ।

श्री राम सेवक यादव : बहुत महत्वपूर्ण विषय है .....

अध्यक्ष महोदय : सवाल करने की मैं इजाजत दे दूंगा .....

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि सभी प्रान्तों में बाढ़ की समस्या एक बड़ी समस्या है .....

अध्यक्ष महोदय : जो वक्त है, वह सब बटा हुआ है मैंने इसको देख लिया है । इसलिये आपको वक्त नहीं मिल सकेगा । मैं अभी वक्त देने को तैयार हूं । आप सवाल करें ।

श्रीराम सेवक यादव : बहस वाला यह प्रश्न है । सवाल से क्या निकलेगा ? मैं चाहता हूं कि दो तीन सवाल करने की आज्ञा आप दे दें ।

अध्यक्ष महोदय: नाम बहुत अधिक हैं । दो तीन मिनट ले लें और दो क्वेश्चन कर लें ।

श्री राम सेवक यादव : बाढ़ जैसी समस्या की वजह से हर साल लाखों एकड़ फसल नष्ट होती है, हजारों जानवर मरते हैं, लाखों की सम्पत्ति नष्ट होती है, सैकड़ों आदमियों की जानें जाती हैं । प्र न मंत्री ने कहा था कई बार कि इस समस्या को हम लड़ाई के स्तर पर हल करेंगे । मैं जानना चाहता कि क्या केन्द्र के पास बाढ़ को रोकने के लिए कोई योजना है । यदि है तो कौन सी और कह तक उस पर अमल हुआ है ?

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं ,

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी आपको तो नहीं बुलाया है ।

श्री राम सेवक यादव : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है उससे ऐसा लगता है कि जो सहायता उत्तर प्रदेश आदि राज्यो को बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए दी गई है वह बिल्कुल नाकाफी है, उससे कोई काम नहीं चल सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के पास बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये कोई योजना है, कोई खास कदम केन्द्रीय सरकार ने उठाये हैं कोई खास सहयता राज्यों को दी है, यदि दी है तो कितनी राशि दी है और कहां कहां के लिए दी है।

५० †**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० का० ला० राव)** : मेरा निवेदन है कि बाढ़ देश की उपजाऊ शक्ति और उसकी पानी की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक हैं। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इस से होने वाली अत्यधिक हानी से रोका जाये। यह याद रखना चाहिये कि १९५९ से यह केन्द्र के अधीन आ गया था और इस सम्बन्ध में काफी काम किया गया है। नदियों तथा उनके द्वारा होने वाले बाढ़ों से सम्बन्ध रखने वाली साख्यिकी इकट्ठी की गई है अब सरकार को समस्या का आकार मालूम हो गया है। हर वर्ष रुपया भी काफी खर्च किया जा रहा है। किन्तु यह याद रखना चाहिये कि बाढ़ों से पूर्ण रूप से बचना संभव नहीं है। हमारा प्रयत्न यह है कि जान, पशुओं और खेतों को कम से कम हानि पहुचे। इस वर्ष इतनी हानि हुई। कुछ हिस्सों में जैसा कि दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसाम में स्थिति कठिन हो गई है। शाहदरा में जो स्थिति पैदा हुई है, वे बाढ़ के कारण नहीं बल्कि १२ $^{१}/_{२}$ इंच की वर्षा से हुई हैं। इस सम्बन्ध में मैं और जानकारी दूंगा ।

जहां तक सहायता का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि यह इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये। किन्तु केन्द्र राज्यों को यथासंभव अधिकाधिक सहायता दे रही है। यदि किसी विशेष मामले की ओर ध्यान दिलाया जाये, तो हर संभव सहायता दी जायेगी।

श्री प० ला० बारूपाल : राजस्थान सरकार ने इस घग्घर नदी की बाढ़ को रोकने के लिये बहुत अर्सा हुआ एक योजना आपने पास भेजी थी। उस योजना पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। इसका कारण क्या है ? इसके कारण विनाशकारी बाढ़ हर साल आती है और लाखों करोड़ों की फसल व सम्पति नष्ट हो जाती है।

†**डा० क० ला० राव :** घग्घर नदी के बारे में मैं ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी । इस की समस्या बहुत गम्भीर है क्योंकि इस का कोई रास्ता नहीं है, वह राजस्थान में सूरतगढ़ के करीब रेत में समाप्त हो जाती है। पुराने जमाने में इस में पानी बहुत कम आता था। किन्तु बहुत सी नहरें हो जाने के कारण, इसमें पानी अधिक है। इसी लिए यह समस्या पैदा हुई है। राजस्थान सरकार ने एक योजना प्रस्तुत की थी। वह योजना स्वयं इतनी लाभकारी न होती। परन्तु इस के लिये एक बड़ा अच्छा हल ढूंढा गया है और वह यह कि पंजाब से राजस्थान नहर तक मिलाने वाली एक नहर बनानी पड़ेगी और वह नदी का अधिक पानी ले जायेगी। इस नई योजना पर विचार हो रहा है और राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधित योजना पर भी विचार हो रहा है।

†**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर) : मैं यह पूछना चाहूंगा कि जाड़ों में बाढ़ को पुनः रोकने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० क० ला० राव : इसको एक वर्ष के अन्दर नहीं किया जा सकता। घग्गर सम्बन्धी दोनों योजनाओं की लागत ६ से ८ करोड़ रुपये तक होगी। यद्यपि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से रुपया लेने में कठिनाई होगी, किन्तु यदि वित्त मिल गया, तो दो वर्षों में कुछ प्रभावोत्पादक काम हो जायगा।

†श्री लहरी सिंह (रोहतक) : विवरण में रोहतक जिले में बाढ़ के कारण बतलाये गये हैं। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिये दूसरे रास्ते का नाला अगले वर्ष तक बना दिया जायेगा और नजफ़गढ़ झील से पानी ले जाने वाला नाला भी बना दिया जायेगा ?

†डा० क० ला० राव : नाला संख्या ८ की समस्या वास्तव में ही बहुत गम्भीर है। माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि दोतों कार्य शीघ्र समाप्त होने चाहिये। यदि बित्त प्राप्त हो गया, तो दोनों काम एक वर्ष में हो जायेंग। मैं पंजाब सरकार से पूछताछ करूंगा। उनको भी वित्त की कठिनाई होगी किन्तु मुझे विश्वास है कि ये दोनों काम दो वर्षों में समाप्त हो जायेंगे।

†श्री लहरी सिंह : क्या नजफ़गढ़ झील और झील से नदी तक पानी ले जाने वाले नाले के प्रबन्ध को पंजाब सरकार को नहीं सौंपा जा सकता ?

†डा० क० ला० राव : हम इस बात की संभाव्यता पर विचार करेंग।

†श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : आपात काल को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार अनुच्छेद ३५३ के अन्तर्गत राज्य सरकार को विभिन्न नालियां बनाने के विषय में निदेश देगी ?

†डा० क० ला० राव : मेरे विचार में पंजाब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उसको कोई निदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

†श्री बूटा सिंह : विवरण में अगस्त के तीसरे सप्ताह से १० सितम्बर, तक की जानकारी दी गई है। क्या मंत्री महोदय १५ सितम्बर, की भारी वर्षा से हानि का विवरण देंगे।

†डा० क० ला० राव : अभी यह जानकारी देना संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी स्थिति वैसी ही है। रोहतक जिले में नजफगढ़ झील में पानी धरा हुआ है, और जब तक ऐसा है, रोहतक जिले के ग्रामीण क्षत्रों में से पानी निकालाना संभव नहीं होगा। दुर्भाग्य से नजफ़गढ़ नाले का स्तर नजफ़गढ़ झील के स्तर से १½ फुट ऊंचा है, इस लिये झील का पानी पंजाब में पानी छोड़े बिना, नजफ़गढ़ नाले में नहीं डाला जा सकता। किन्तु हम स्थिति को निरन्तर देख रहे हैं और नाले की सब रुकावटें दूर कर रहे हैं। यदि हम सफल हुए और और वर्षा न हुई, तो अगले तीन चार दिनों में कुछ न कुछ हो जायेगा।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं जानना चाहूंगा कि बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं में शीघ्रता लाने के लिये और उनमें अधिक समन्वय स्थापित करने के लिय क्या कार्यवाही की गई है ? दूसरा प्रश्न यह है कि घग्गर की बाढ़ के बारे में, पहले से क्यों कोई योजना नहीं बनाई गई थी, क्योंकि एसा होने के कारण सरकारी फार्म में पानी भर जाने के कारण खेती नहीं हो सकती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० क० ला० राव : घग्गर के सम्बन्ध में दो बातें की जानी हैं। एक यह है कि पानी को सूरतगढ़ के पश्चिम में रेत के टीलों में ले जाया जाये और पंजाब में ओदू से एक नहर निकाल कर उसे राजस्थान नहर के साथ मिला दिया जाये। इन दोनों से एक के पूरा हो जाने से बहुत सहायता मिलेगी और दो वर्षों में कुछ प्रभावोत्पादक परिणाम निकलने की आशा है ?

जहां तक सूरतगढ़ फार्म का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं कह सकता कि इसे कैसे चुना गया था। शायद उस समय इस में इतना पानी नहीं था, किन्तु दो वर्षों के बाद इस में पानी नहीं रहेगा।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : नजफ़गढ़ नाले को समय पर क्यों नहीं पूरा किया गया था।

†डा० क० ला० राव : मेरे विचार में धन के अभाव के कारण ऐसा हुआ था। परन्तु अब हम कोशिश करेंगे कि इसे पूरा किया जाये। इसमें पानी ३००० क्यूसेक आता है, किन्तु हम प्रयत्न करेंगे कि रुकावटें दूर की जायें।

श्री दे० शि० पाटिल (यवत्तमाल) : मेरा सवाल महाराष्ट्र स्टेट में खास कर विदर्भ और मराठवाड़ा में पनगंगा और असवती नदियों की बाढ़ से जो स्थिति पैदा हो गई है उसके सम्बन्ध में है।

मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार ने जो बाढ़ प्रतिबन्धक योजना बनायी है उसके अनुसार बाढ़ प्रतिबन्ध के लिये महाराष्ट्र सरकार ने क्या भारत सरकार के पास अरनी, डिगरस और पूस आदि गांवों की बाढ़ से रक्षा के लिये कोई योजना भेजी है, और यदि भेजी है तो उसके लिए भारत सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने तो एसी मुश्किल हिन्दी बोली है कि इंटरप्रीटर भी न समझ सके। मेरे भी समझ में नहीं आयी।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : हिन्दी का ध्यान नहीं है। मुझे दुःख होता है इस बात को देख कर सदन में एसे मंत्री हैं जो देश की भाषा को नहीं समझ सकते।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप को यह दुःख इतनी मर्तबा होता है कि इसका आदर नहीं किया जा सकता।

†डा० क० ला० राव : माननीय सदस्य ने जिन योजनाओं का उल्लेख किया है, मुझे उन में से कोई नहीं मिली। मैंने कल ही यह जानकारी प्राप्त की है कि महाराष्ट्र में बाढ़ की कोई गम्भीर स्थिति नहीं है।

†श्री योगन्द्र झा (मधुबानी) : कोसी का पश्चिमी तटबन्ध जो नेपाल की सीमा में डलका के पास है, टूट गया है। उसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके टूटने का कारण यह नहीं था कि जो ओरिजिनल एलाइनमेंट था उसके हिसाब से तटबन्ध नहीं बनाया गया ? और मैं सिंचाई मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पिछले साल जब वहां तटबन्ध को खतरा पैदा हुआ था, तो कोसी योजना के कर्मचारियों ने योजना अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी लेकिन सूचना के अनुसार योजना अधिकारियों ने काम नहीं किया और खतरा पैदा होने दिया और इस वजह से फिर उस पर १५ लाख रुपया खर्च करके उसकी मरम्मत करवानी पड़ी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० क० ला० राव : यह सच है कि कुछ सदहयों ने इसके बारे में चिन्ता प्रकट की है; यह मालूम था कि नदी का पानी वहां पहुंच रहा है : दुर्भाग्यवश हमें बांध बनाने के लिए भूमि नहीं मिल सकी और अब नेपाल सरकार भूमि देने को सोच रही है। ढलकापुल पर कुछ बांध टटा है किन्तु इस वर्ष कोई हानि नहीं हुई।

श्री योगन्द्र झा : उनके बयान से एक बात.....

अध्यक्ष महोदय : उनके बयान से और भी निकलेगा और जब आप और सवाल पूछेंगे, तो उससे और निकलेगा। आप बैठ जायें।

श्री योगन्द्र झा : एक बात...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। श्री बड़े।

श्री बड़े : अभी जब मैं मथुरा से यहां आया तो सड़क पर पानी भरा हुआ था और मकान गिरे हुए थे। पिछले साल भी नर्मदा में फ्लड्ज़ बहुत आए थे। तब मैंने सवाल पूछा था कि क्या शासन के पास कोई स्कीम है जिसके जवाब में शासन की तरफ से कहा गया था कि नर्मदा फ्लड्ज़ के बारे में विचार करने के लिये कमेटी नियुक्त की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन इमिजिएट रिलीफ 'कोई' देना चाहता है, मेंटेनेंस एलाउंस उनको देने वाला है जो फ्लड पीडित हैं और क्या शासन के पास एसी कोई स्कीम है कि बाढ़ के बाद ऐसे मकान बना दिये जायें जो गिरें नहीं बाढ़ में? पहले इस तरह की योजनायें हुआ करती थीं।

†डा० क० ला० राव : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्षेत्र में बाढ़ नियन्त्रण की कोई योजना हमें नहीं भेजी। नर्मदा बाढ़ों के बारे में पुनासा बांध बनने से इन पर नियन्त्रण किया जा सकेगा।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को बहुत योजना क्रियान्वित करन के लिये वित्तीय सहायता दी है?

†डा० क० ला० राव : उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग में बाढ़ की स्थिति बहुत चिन्ता-जनक है। यद्यपि एक योजना बनाई गई है, यह समस्या का पूरा हल नहीं है और में इससे संतुष्ट नहीं हूं। एक तरीका यह है कि एक बांध बनाया जाये, परन्तु, वह स्थान नेपाल में है। इसलिए उसके साथ बात चीत में काफी समय लगेगा।

दूसरा नेपाल बांध भी नेपाल में है। इसके बनाने से बहुत हानि रोकी जा सकती है। कुछ दिन पूर्व में ने नेपाल के महाराजा से भेंट की थी। उन्होंने कहा था कि वे ७ अक्तूबर को पूना अनुसंधान स्टेशन का दौरा करेंगे यदि उनको संतोष हुआ तो वे नेपाल बांध की मंजूरी दे देंगे।

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा) : चम्बल नदी की बाढ़ के कारण गांवों के अन्दर पानी आ जाता है और उन को हर साल खाली करना पड़ता है। बाढ़ के कारण सारे शहर में पानी भर जाता है। क्या उसका भी कोई इंतज़ाम शासन की ओर से किया गया है?

†डा० क० ला० राव : चम्बल में अब कोई बाढ़ नहीं है, क्योंकि हमने बांध बना दिया है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे जानकारी दें, मैं उसके लिए सहायता लेने का प्रयत्न करूंगा।

इसक पश्चात लोक सभा की बैठक १९ सितम्बर, १९६३/२८भाद्र, १८८५ (शक) तक के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बधवार, १८ सितम्बर, १९६३

---

२७ भाद्र, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		३२६५—९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
७२८	छिद्रण कार्य	३२६५—६०
७३०	रक्तचाप के लिये औषधि	३२६८–६९
७३१	मितव्ययिता समिति	३२७०—७१
७३३	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	३२७३—७५
७३५	दिल्ली में ईंटों के भट्टे	३२७५—७७
७३७	कालिजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम	३२७७—८०
७३८	गोहाटी तेल शोधक कारखाना	३२८०–८१
७३९	दिल्ली के लिये वृहद् योजना (मास्टर प्लान)	३२८१–८३
७४०	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज	३२८३—८५
७४२	"अग्रेनयन नियम"	३२८५—८७
७४३	बम्बई में फिल्म स्टूडियो की तलाशी	३२८७—९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
८	अमरीका और रूस को एक सदस्यीय शान्ति शिष्ट मंडल	३२९०—९४
९	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान	३२९४—९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		३२९६—३३३९
७२९	माध्यमिक शिक्षा का स्तर	३२९६
७३२	अनुसन्धान के लिये छात्रवृत्तियां	३२९७
७३४	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	३२९७
७३६	युद्ध सेवा लाभ	३२९७–९८
७४१	संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये सामान्य सेवा पदालि	३२९८
७४४	अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा	३२९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

७४५ विस्थापित व्यक्तियों की आयु सम्बन्धी रियायतें . ३२९८–९९
७४६ डा० प्रताप सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला . ३२९९
७४७ भारतीय सांख्यिकीय सेवा ३२९९
७४८ ब्रिटिश सरकार की छात्रवृत्तियां ३२९९–३३००
७४९ युवक व्यावसायिक केन्द्र ३३००
७५० बहुप्रयोजनीय स्कूल ३३००–०१
७५१ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ३३०१–०२
७५२ प्रशासनिक सुधार ३३०२
७५३ तेल की पाइप लाइन ३३०२–०३
७५३–क न्यायाधीशों को हटाने के लिये विधान . . . ३३०३
७५५ श्रवण चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड . . . ३३०३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०७४ सालारजंग संग्रहालय की नई इमारत . . . ३३०४
२०७५ राजनीतिक पीड़ित ३३०४
२०७६ उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण ३३०४–०५
२०७७ उत्कल विश्वविद्यालय में विभागीय कर्मशालायें . ३३०५
२०७८ उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालिज की इमारत . . ३३०५–०६
२०७९ उत्कल विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग तथा प्रविधिक शिक्षा . ३३०६
२०८० उत्कल विश्वविद्यालय के अनिवार्य वैज्ञानिक उपकरण . ३३०६–०७
२०८१ मद्रास विश्वविद्यालय को अनुदान . ३३०७
२०८२ बाल अपचार ३३०७–०८
२०८३ भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली . . . ३३०८–०९
२०८४ राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान . . . ३३०९
२०८५ कोजीकोड में लोह अयस्क ३३०९
२०८६ भारत सेवक समाज को सहायता . . . ३३०९
२०८७ उड़ीसा में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां को कानूनी सहायता ३३१०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०८८	उड़ीसा में कोयला खान	३३१०
२०८९	प्रविधिक संस्थाओं को आवंटित छात्रवृत्तियां	३३१०–११
२०९०	उड़ीसा के कालिजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम	३३११–१२
२०९१	विदेशों में अध्ययन के लिये ऋण	३३१२
२०९२	दुर्लभ पाण्डलिपियों की लघुफिल्म	३३१२–१३
२०९३	इंजीनियरिंग शिक्षा	३३१३
२०९४	छोटी कोयला खानों का सम्मेलन	३३१३
२०९५	संस्कृत सम्मेलन	३३१३–१४
२०९६	मोटियां खान, दिल्ली में आग	३३१४
२०९७	हिन्दी का प्रयोग	३३१४
२०९८	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	३३१४–१५
२०९९	अर्जित भूमि के लिये प्रतिकर	३३१५
२१००	विकलांग बच्चों का कल्याण	३३१५–१६
२१०१	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में आग	३३१६
२१०२	विदेश भेजे गये अनसूचित जाति के विद्यार्थी	३३१६
२१०३	दिल्ली के स्कूलों को मिले अनुदान	३३१७
२१०४	दिल्ली के स्कूलों में दाखिला	३३१७
२१०५	चमड़ा प्रौद्योगिकी का कालिज	३३१७–१८
२१०६	देशवा खनिज नक्शे	३३१८–१९
२१०७	दिल्ली में अनैतिक पणन	३३१९
२१०८	दिल्ली में न पहचाने गये शव	३३१९
२१०९	मैसूर उच्चन्यायालय	३३१९
२११०	विदेशों में अध्ययन के लिये ऋण	३३२०
२१११	मेधावी बच्चों की शिक्षा	३३२०
२११२	भारत के संविधान सम्बन्धी कागजात	३३२०–२१
२११३	कुठ तेल का निकाला जाना	३३२१
२११४	मैला उठाने के लिये ठेला गाड़ियां	३३२१–२२
२११५	नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये लायन्स क्लब	३३२२
२११६	विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना	३३२२–२३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या—क्रमश :

२११७ पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण . . . ३३२१

२११८ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का डिजाइन और इंजीनियरिंग ३३२१

२११९ सेक्शन आफिसरों का पैनल ३३२३–२४

२१२० बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ३३२४

२१२१ दिल्ली के स्कूलों में एम० ए० बी० टी० अध्यापकों की पदोउन्नति ३३२४

२१२२ दिल्ली के अध्यापकों के लिये अलग-अलग वेतन आयोग . ३३२५

२१२३ दिल्ली का पालिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्स . . ३३२५

२१२४ बाष्पायन तेल ३३२५

२१२५ लदान सुविधाओं का सर्वेक्षण ३३२५–२६

२१२६ बेलडिला लोह अयस्क निक्षेप ३३२६

२१२७ माध्यमिक शिक्षा की कैम्पस परियोजनायें . . . ३३२७

२१२८ स्टेनोग्राफर ३३२७

२१२९ केरल में अनुसूचित जाबतयों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा कक्षायें ३३२७

२१३० केरल में "होम गार्ड" ३३२८

२१३१ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ३३२८

२१३२ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारी . . ३३२९

२१३३ दिल्ली में यातायात नियम ३३२९

२१३४ रायफल ट्रेनिंग ३३२९

२१३५ केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ३३२९–३०

२१३६ सर्वे आफ इंडिया ट्रेनिंग स्कूल ३३३०

२१३७ स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक ३३३०–३१

२१३८ दिल्ली यातायात ३३३१

२१३९ कोयला खानें ३३३१

२१४० प्रशोधित तेल ३३३१–३२

२१४२ "ओमबड्समैन" ३३३२

२१४३ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश . ३३३२

२१४४ काम के घंटों का बढ़ाया जाना ३३३३

२१४५ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ३३३३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

अतारांकित
प्रश्न संख्या—क्रमश :

२१४६	कलात्मक वस्तु क्रय समिति	३३३३
२१४७	शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता	३३३३—३४
२१४८	तिब्बती शरणार्थियों के लिए सांस्कृतिक योजनायें	३३३४
२१४९	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली	३३३४–३५
२१५०	राजस्थान के जागीरदारों के कर्मचारी	३३३५
२१५१	यू० डी० सी० पदाली का उन्मूलन	३३३५
२१५२	कारतूसों और बन्दूकों का पकड़ा जाना	३३३५–३६
२१५३	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	३३३६
२१५४	आयल इंडिया कम्पनी द्वारा आसाम में भूमि का अधिग्रहण	३३३६
२१५५	गृह-निर्माण सम्बन्धी सहकारी समितियां	३३३६–३७
२१५६	हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृतियां	३३३७–३८
२१५७	अन्तर्राष्ट्रीय बधिर शिक्षा कांग्रेस	३३३८
२१५८	अध्यापकों की आर्थिक स्थिति	३३३८
२१५९	अहिन्दी भाषी राज्यों के लिये हिन्दी की पुस्तकें	३३३८
२१६०	तेलगू भाषा का विकास	३३३८–३९
२१६१	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध-सेवायें परीक्षा, १९६२	३३३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३३४०—४५

(१) श्री विश्राम प्रसाद ने नागा लैण्ड के सेमा क्षेत्र में नागा विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सेना के छै व्यक्तियों के मारे जाने के समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(२) लाटीटीला में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री बृजराज सिंह श्री उ० मू० त्रिवेदी तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा दी गई ध्यान दिलाने वाली सूचना और श्री हेम बरुआ तथा श्री स० मो० बनर्जी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने आसाम सरकार से प्राप्त तत्सबन्धी अग्रेतर जानकारी के पूर्ण एक वक्तव्य दिया।

एक समाचार पत्र द्वारा सभा की कार्यवाहियों का अशुद्ध प्रकाशन किये जाने के बारे में ३३४५—४६

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३४६–४७

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एम० ओ० २५६९ में प्रकाशित कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन नियम, १९६३ ।

(दो) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत उक्त एक्ट की दूसरी अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५१ ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) शस्त्र, अधिनियम १९५९ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७७ में प्रकाशित शस्त्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(दो) संविधान के अनुच्छेद ३५०-ख (२) अन्तर्गत, १ जनवरी, से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक की अवधि के लिये भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का पांचवां प्रतिवेदन ।

(३) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ६ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५७७ में प्रकाशित निर्वाचकों का पंजीयन (संशोधन) नियम, १९६३ ।

(दो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ६ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५७८ में प्रकाशित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, १९६३ ।

राज्य सभा से सन्देश ३३४७

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा नाट्य-प्रदर्शन (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ३३४७

छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति देने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ३३४७—६१

स्वास्थय मंत्री (डा० सुशीला नायर) द्वारा १२ सितम्बर, १९६३ को प्रस्तुत भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति देने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव विचाराधीन .	३३६१—७९
विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में	३३७९—८३
बुधवार, १९ सितम्बर, १९६३/२८ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि	
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।	

GMGIPND LS III—1301 (Ai) LSD—28-10-63—160.

श्री रघुनाथ सिंह . . . ३३५३—५६
डा० सुशीला नायर ३३५६—६०

समय नियत करने के बारे में प्रस्ताव ३३६०–६१

संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ . . . ३३६१—७९

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ३३६१
श्री अ० कु० सेन . . ३३६१—६३
श्री रंगा . . . . २३६३—६६
श्री अ० क० गोपालन . . . ३३६६–६७
श्री करुथिरमण ३३६८
श्री मान सिंह पृ० पटेल . . . ३३६८
श्री अ० शं० आल्वा . . ३३६८–६९
श्री लहरी सिंह . . . ३३६९—७६
श्री सुमत प्रसाद . . . ३३७६—७८
श्री मणियंगाडन . . . ३३७८–७९

देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में . . . ३३७९—८३

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३८४—९०

P.L.S. 41. XXI. 27. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।